## THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, the 28th September, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock

[Mr. Speaker in the Chair]

# Statement on Train accident near Jangaon

مسٹر اسپیکر : کل رات ریلوے کا ایک بہت بڑا حادثه هوا هے جس کا مجھے انسوس هے ۔ میں آنریبل هوم منسٹر سے خواهش کرونگا که اس بارے میں جو اطلاعات ملی هیں هاؤس کے علم میں لائیں ۔

The Minister for Home, Law and Rehabilitation (Shri D.G. Bindu): I wish to bring to the notice of the House a very unfortunate accident that took place last night. The 319-Down Express Train which left Secunderabad at 8-30 p.m. last night met with an accident at mile No. 174/175 at about 10-30-P.M. three miles away from Jangaon between Jangaon and Raghunathpalli Railway Stations. It has been reported that owing to continuous and heavy rains the bridge over a stream on which the train was passing gave way suddenly resulting in complete derailment of the train. Latest reports indicate that two bogies have flown away in the stream; while two are on the line and one is lodged in the stream at the bridge. The Guard and a T. T. I., are reported missing. The scene of accident is situated 20 miles from Hanamkonda towards Hyderabad. The exact number of casualties is not known and efforts are being made to collect the same. So far 20 deaths have been reported. Salvage work is in progress.

The Railway authorities informed the Deputy Inspector-General of Police/Railways, the Road Transport Superintendent and the Director of Medical and Public Health Services at about 1 a.m. last night. On receipt of information the Road Transport Superintendent immediately instructed the R.T.D. Depot at Kazipet to rush as many buses as were available with medical assistance. Two buses were kept at Secunderabad Station to take men to the scene of accident. Till this morning four buses have left and if more buses are required, they will be sent.

As soon as the Director of Medical & Public Health Services was informed of the tragedy he despatched:

- 7 Medical Officers;
- 4 Senior Students of the Osmania Medical College; 10 Ward Boys;
- 4 Nurses;
- 1 Male Nurse;
- 4 Dayas; and
- 2 ambulances with Dr. Daver, Assistant Director. The Director Medical Services, Dr. Khatri and Dr. Jathar also left for the place in the early hours of this morning. It has also been reported that the Indian Medical Association too have provided adequate medical assistance.

The Collector and D.S.P. Warangal with first aid equipment, petromaxes and with necessary force, the Deputy Superintendent of Police, Jangaon and the Deputy Superintendent of Police, Railways reached the spot almost immediately after they came to know about the accident—at about midnight.

The D.I.G., C.I.D. & Rlys. also left for the scene of accident early this morning. The Inspector-General of Police left by about 9 a.m. and is now there.

One H.S.R.P. Platoon consisting of 25 men, 30 men of the Railway Police and 8 officers have left Hyderabad this morning for the scene of accident.

The Railway authorities sent a special train at about 3.30 a.m. this morning but the train could not reach the place of accident as the track beyond Bibinagar is reported to have been breached between Bibinagar and Jangaon. This arrangement was of no use. The special has been held up at Bibinagar.

Sufficient men from the District force have been deputed down the stream as a number of bodies are reported to have been carried away by the strong current. All Station Houses have been alerted to collect bodies when they come down the stream. Adequate arrangements have been made for salvage operations. Precautions have been taken to keep the crowd away so as to quicken the salvage work.

The Chief Minister and the Revenue Minister have left for the scene of accident at about 11-30 a.m. today.

The accident is a very serious one and involves heavy loss of life.

مسٹر اسپیکر و جو اکسیڈنٹ ہوا میں نے سنا ہےکہ ، ۲ آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور نہیں معلوم کہ کتنے ہیں ۔ ہم اس سانحہ کے لئے دو منٹ تک سائلنس آبزرو ( Silence observe )کرینگے۔

(All the Members stood in silence for two minutes)

شری جے۔ بی۔ متیال راؤ (سکندرآباد۔ محفوظ): اسپیکر سر۔ اکسیڈنٹ کی اطلاع ملنے پر سکندرآباد کے ہم والنثیرس مقام حادثه پر جانے کے لئے تیار ہوئے میں نے اونکی طرف سے ہوم منسٹر صاحب کے پاس اپروچھ ( Approach )کیا تو انہوں نے ایک بس دی جس سے والنثیرس مقام حادثه پر چلے گئے ہیں۔ میں ہوم منسٹر کا والنثیرس کی طرف سے شکریه ادا کرتا ہوں۔

\*Shri. V. D. Deshpande (Ippaguda): Mr. Speaker, Sir. On behalf of the Opposition, I wish to join in the condolences to the people involved in this accident. Some of our M.L.As. belonging to those constituencies, Shri Syed Akthar Hussain and Shri Gopalrao have left for the place and if there is need of any help being rendered in this regard, I assure the Government that our services are at their disposal. I hope at least those who are injured will be getting adequate relief in time and every thing will be done in that respect.

# L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker: Now we shall take up the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

The Minister for Finance, Statistics, Customs, Commerce, & Industries (Shri. V. K. Koratkar) I beg to introduce L.A.Bill No.XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker: The Bill is introduced.

Shri. V. K. Koratkar: I beg to move:

"That L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time".

Mr. Speaker: Motion moved.

श्री. वि. के. कोरटकर:—अिसके बारे में मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कल हमने जो सिप्लमेंट्री डिमांड्स मंजूर किये हैं अनको ही अंक जगह लाकर यहां बिल के शकल में पेश किया गया है। आशा है कि असको आप मंजूर कर लेंगे। आपकी मंजूरी के लिये ही सिर्फ अुन्हें अंक जगह लाया गया है और यह बिल पेश किया गया है।

\* Shri. V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir. At the time of the First reading of this Bill, I have to say a few words.

Firstly, this introduction of the Bill consequent on granting of Supplementary Demands shows the infancy and the inefficiency through which our Finance Department is going. I am not prepared so accept for a minute that most of the items could not have been anticipated and provided for in the last budget. At this time, of course, as we have granted the demands, there is not much in the way of opposing the Appropriation Bill as such but I have to point out to the Government that such practices do not augur well for the efficiency of the Department, and in future at least, I hope, every effort will be made not to make the House consider these demands after the Budget Session.

Secondly, Sir, as regards the various views expressed at the time of granting these Demands, I am left with a feeling that the Government of Hyderabad has learned nothing and forgotten nothing in their policies. We were expecting when we were discussing the Land Commission and the Jagirdars Debt Settlement Board that the Government will have at least the frankness to accept the wastage that they have incurred. But we find the hon. Minister for Revenue, instead of accepting frankly that certain expenditure was being met on certain Departments or certain Boards which was not necessary in the situation as the ordinary Judicial machinery was adequate for that purpose also, went on pleading their case. We feel that certain unnecessary expenditure was being incurred just to appease certain personalities in the ruling party. This aspect was not accepted by the hon. Revenue Minister. We strongly feel that this practice of the Government of dividing fishes and loaves does not help to build up democracy in Hyderabad. Howsoever he may satisfy that the consolidation of the Congress party is in the interests of the Congress party, we, Members on this side, cannot accept such expenditure being incurred. It is an expenditure not warranted by the situation.

Coming next to the expenditure on cars, though the House has granted the Demand relating thereto, we so feel that there was no necessity for the purchase of new cars within two years of the Government coming into power. If it is a question of reducing the petrol consumption we had already granted certain amount towards petrol expenses; and there is no need for incurring this expenditure now.

Turning to the Police Department and the Demands connected thereto which have been granted by the House, I have a feeling once more to place before the House that the attitude of the Police Department and the Home Ministry has not changed and is not in keeping with the best democratic traditions that we have to develop in the State of Hyderabad. The enforcement of Section 144 orders and the various measures taken by the Home Ministry were not I think, necessary in the situations and were aimed at suppressing the movements of the peasants, workers and the middle classes. In today's paper it has come how the Nagpur High Court has passed strictures against the Government there for having enforced Section 144 orders to ban processions of workers there. Hyderabad also, if we go to the High Court I have no doubt left in my mind that it would not justify the enforcement of Section 144 order in the whole of the District of Nalgonda for some time and later on for two months in the town of Nalgonda and also in the cities of Hyderabad and Secunderabad. These measures were not justified in the situation and were in contravention of the right of movement and association guaranteed by the Constitution. The Home Ministry should take a lesson from the strictures passed by the Nagpur High Court before enforcing Section 144 in future to suppress the movement, and it should think ten times before resoting to such measures. I would also like to point out that the attitude of the Home Ministry towards the Police Officials continues to be the same of screening them and giving them support and passing adverse comments against the criticism of the opposition. In saner moments and in moments of wisdom the hon. Home Minister has accepted that there are certain difficulties and he too is facing them; but instead of appreciating the stand of the House, he has been condoning the atrocities and misbehaviour of his officials. I should like to point out to the Home Minister that the Opposition during the last two years has been trying to keep up to the democratic traditions. I am afraid instead of appreciating it as a better development, perhaps it is being taken by the Home Minister as a sign of . 1

weakness. I would like to point out to him that the people's movement in Hyderabad is growing in strength every day and if we are adjusting with situation, let not the Government feel that it is a sign of weakness. It is a sign of all of us trying to let the democratic methods solve our problems. It will be good for the Government and it will help the situation if the Government realise this aspect and try to enforce law and order in such a way as not to contravene the civil liberties guaranteed by our Constitution.

Coming to other matters—labour, commerce and industries, I have to say that the Government of Hyderabad in its labour ministry has failed to do justice to the drainage workers, to the road workers, to the textile workers and in general to the working classes in Hyderabad. The closures and the cuts that the workers have been facing every day have not been compensated for and in Hyderabad closures and other atrocities are going on. Take the case of N.G.Os. The matter was discussed in this House. I wish to point out to the Government that problem is a very urgent one and needs the attention of the Government forthwith.

These are few of the remarks which I wanted to place before the House while speaking on the First Reading of the Appropriation Bill. This is not the time to go into details and I realise that. Therefore, without going much into the details, I will, in a few words, conclude my remarks.

Coming to the Education Department, yesterday we had a chance to discuss those matters and I have only to request the hon. Minister for Education that the Government have to evolve a policy of regionwise development in Hyderabad State. I wish again to say with emphasis that in Hyderabad if we want to develop various regional languages and if we want to provide education cheap, it is absolutely necessary

t the development of education in Hyderabad should regionwise in Telangana, Marathwada and Karnataka; and it is only then that it will be possible for us to cater to the needs of the people and give to the common man education cheaply. I think this matter will be taken into consideration by the Government of Hyderabad.

These are the few matters which I wish to put before the House and I hope the hon. Ministers concerned will think: over these matters, and at least in future before taking recourse to the contingency fund they will see whether it is absolutely necessary to spend from the contingency fund and while preparing the budget for the next year all the items which are likely to come in the future will be anticipated and duly included therein. I hope the amounts will not be spent unless the House has been given a chance to discuss over the items and grant: hem if only they are proper.

श्री. वि. के. को रटकर :—अध्यक्ष महोदय, जिस अप्रोप्रियेणन विल के पहली पढत के दौरान में बहुतसी चींजें कही गओं, जो कि आम नौर से कटौनी प्रस्ताव के समय कल और परसों कही जा चुकी थीं। अन तमाम के बारे में संबंधित मंत्रियों ने, जब अनकी मांगे आयी थीं तब तफसीली जवाब दिया है। अब रह गया फायनान्स डिपार्टमेंट। असकी अयोग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह कहा गया कि वित्त विभाग ने पहलेसे सोंच कर धन की तजबीज करके क्यों नहीं रखी जो कि पूरक मांगे रखने की जरूरत हो रही हैं। अभी जो पूरक मांगे हाजुस के सामने आयी हैं अनके बारे में में जितना ही कह सकता हूं कि यह कोओ नजी चींज नहीं है। दूसरे स्टेट में भी जिस तरह से पूरक मांगे सभा के सामने आती हैं। जितनाही नहीं बल्कि बाहर के मुमालिकों में भी जिस तरह से पूरक मांगे सभा के सामने जाती हैं। जितनाही नहीं बल्कि बाहर के मुमालिकों में भी जिस तरह से सिल्जमेंट्री ग्रॅन्ट्स हाजुस के सामने रखे जाते हैं। अगर ६ महीने में कोओ नयी चींज नहीं की गजी तो आप ही कहेंगे कि जिन छः महीनों में न आप कुछ नयी चींज सीखे और न कुछ पुरानी चींजें भूले। और यदि कुछ नयी चींजें की गयीं तो आप ही कहते हैं कि बार बार नयी मांगें क्यों लेकर आते हैं? साल भर में क्या खर्चा होता है जिसका पूरा अंदाज तो पहले किया जा सकता है। परंतु जब नयी चींजें की जाती हैं तो असके लिये सप्लीमेंटरी ग्रॅन्ट्स हाजुस के सामने मंज्री के लिये रखनी ही पडती हैं। यह कोंबी अचरज की बात नहीं है। सभी सरकारों को जिस तरह से पूरक मांगे रखनी पडती हैं।

अंक बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि हमने यानी (विरोधी दल ने) जितनी नयी नयी चीजें बताओं लेकिन गव्हर्नमेंट ने तो कोजी नयी चीज नहीं सीखी और न पुरानी कोजी चीजें मुलादी। जिसके लिये तो में अपने को केडिट (Credit) लेना चाहता हूं कि जो चीजें अव्वाम के फायदे की नहीं, और आप हमें सिखाना चाहते थे, अनमें से कोजी चीज हम नहीं सीखे और हमें जिन चीजों को मूलने की जरूरत नहीं थी वह हम नहीं भूले। यह तो अच्छी ही बात हमारे लिये हुमी जिससे बढ़कर में जिस आक्षेप का कुछ जवाब नहीं देना चाहता।

असके बाद मोटर गाडियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह सही हो सकता है कि जो गाडियां अभी निकाली गयीं, वह और दो साल चल भी जातीं। लेकिन हमने यह देखा कि वह अंतितनी पुरानी होगयी थीं कि अनपर मरम्मत का ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। वह खर्च हमें ज्यादा मालूम होता था। जिस लिये हमें अन्हें निकालना पड़ा। दो साल पहले निकाली गयीं और दो साल बाद क्यों नहीं निकाली गयीं, यह को आ बड़ा आक्षेप नहीं हो सकता है। यह कहा गया कि पेट्रोल तो आपके ही जेब से जा रहा था, असमें सरकार का क्या नुकसान है? यह शायद सही हो, लेकिन हमने देखा की अनपर मरम्मत का जो खर्चा आता था वह बहुत ज्वादा

होता था। अिस लिये हमने अुन्हें निकालना मुनासिब समझा। अुसमें हमारा भी थोडा फायदा हुआ और गव्हर्नमेंट का भी फायदा हुआ।

पुलिस की हदतक भी अंतराज किया गया कि १४४ दफा क्यों लगाया गया ? मैं असके बारे में अतनाही कह सकता हूं कि जब जरूरत होती है तब १४४ दफा लगाया जाता है।

दफा १४४ कब लगाया जाय अिसके लिये भी अक जाप्ता मौजूद है, और अुसके लिये भी कुछ शरायत कानून में हैं। अुसके तहत ही अिस दफे का निफाज किया जाता है।

में यह कहना चाहता हूं कि जो प्रोसेशन्स लाये जाते हैं वे असेंब्ली के सामने ही जाने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने प्रोसेशन्स मंत्रियों के घर तक ले जाते हैं तो बात अलग है। आप यदि औसा कहते हैं कि हम अपने प्रोसेशन्स असेंब्ली हॉल तक नहीं लायेंगे बिल्क सिर्फ मंत्रियों के घर तक ही ले जायेंगे, तो फिर कुछ समझौता हो सकता है। असेंब्ली का वह हक है कि यह किसी के दबाव में न आये, और स्वतंत्रता से अपना काम करे। अस अधिकार की रक्षा करना गर्व्हनंमेंट का काम होता है। असेंब्ली में बिलकुल स्वतंत्रता पूर्वक काम होना चाहिये। असके पहले भी मैंने बताया था कि अस तरह से असेंब्ली तक प्रोसेशन्स लाना मुनासिब नहीं है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: — दफा १४४ का संबंध सिर्फ असेंब्ली से नहीं है, बिल्क पूरे नलगोंडा जिले में जिस तरह दफा १४४ नाफिज किया गया था, और कुछ स्थानों में तो दो महीने तक जिसें रखा गया था। और हैदराबाद स्टेट के अंदर १० मुकामात पर अभी अभी दफा १४४ लगाया गया था।

श्री. वि. के. कोरटकर:—वह जहां भी लगाया गया हो वह प्रोसेशन के बारे में ही लगाया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:-वे मिनिस्टर फाँर रेव्हिन्यू के बंगले पर जानेवाले थे।

श्री. वि. के. कोरटकर:-अगर असा होता तो असकी जरूरत न होती।

श्री. व्ही. देशपांडे:--अगर आप असके बारे में मिनिस्टर साहब को मिवरा देते तो ठीक होता।

श्री. वि. के. कोरटकर :--अभी तो मैंने महिवरा दिया है।

बेन. जी. बोज के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। जिसके बारे में जीब असाधारण प्रश्न आया था, और फिर जब गैर सरकारी प्रस्ताव पर बहसें हुओं थीं तब ही मैंने कह दिया था कि जहां-तक अन. जी. ओज का ताल्लुक है मैंने अनसे बातचीत करने के लिये रजामंदी व्यक्त की है। और मैं अनसे बातचीत करनेवाला हूं। मैंने अन्हें तारीख ७ को मिलने का वक्त भी दे दिया है। अस समय मैं अनका क्या कहना है वह सुनुंगा, और जो अनकी मांगे मानने लायक होंगी अन्हें जरूर माना जायेगा। और जो नहीं मानी जा सकेंगी अन्हें नहीं माना जायेगा। आपका यह रेजोल्यू कर

1569

न जाता तो शायद असके पहले भी में अनसे मिलता। लेकिन जिसके दरम्यान अब मिलना ठीक नहीं था क्यों कि अगर में अनसे अभी मिलदा तो अनुसे यह कहा जाता कि हमने यह प्रस्ताव लाया है अस लिये मिनिस्टर साहव से आपका मिलना हो सका। लेकिन अरप रेनोल्यशन नहीं लाते तो भी असके पहले ही मैंने अनसे मिलने का तय कर लिया था। आपके रेजोल्यशन ने तो कुछ ज्यादा देरी होगयी। असके अलावा अब और कुछ अंतराज नहीं है । अिस लिये में प्रार्थना करता हं कि अन मांगों को मान लिया जाय, और यह जो अप्रोप्रियेशन विल आपके सामने रखा है, असे स्वीकार कर लिया जाय।

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time

The motion was adopted.

Shri V. K. Koratkar: Sir, I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time ".

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time".

The motion was adopted.

### Clause 2

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

#### Clause 3.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 3, along with the Schedule, stand part of the Bill ". 1

The motion was adopted.

Clause 3 along with the Schedule, was added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:

"That the Preamble, Short Title and Commencement stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Preamble, Short Title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar: I beg to move:

"That L.A. Bill No.XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed".

Mr. Speaker: Motion moved

\*Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir, at the time of the third reading of the Bill I wish only to place before the House one or two problems. Yesterday I had pointed out to the hon. Home Minister that the amount of Rs.4 Lacs and odd, which was granted by the Government of India for the rehabilitation of the people in the State who had suffered before. during and after Police Action, was inadequate, and that the Government of Hyderabad also should at least give an equal amount for the rehabilitation of those people. The hon. Minister for Home said that they were things of the past and whatever relief was to be given was given and that the Government of Hyderabad was not in a position to contribute to that fund. When I referred to the incidents that took place at Gulbarga and Nizamabad, he said that this particular aspect of rehabilitation of the victims had to be looked into by the hon. Revenue Minister. I do not find the hon. Revenue Minister in the House at this moment; but whether it concerns the Revenue Minister or the Home Minister, the matter is urgent, and just as this House was made to sit and discuss and pass the Supplementary Demands, probably this matter of the rehabilitation of the people effected in Nizamabad and Gulbarga could have been taken up by Government, and the expenditure of a further sum—whatever it might be—could have been consented to by the Rajpramukh and could have been brought up before this House in the form of Supplementary Demands on account of relief to the sufferers in Nizamabad and Gulbarga. I feel it is a failure of the Government in their duty in not having been able to put the matter before the House and in not having asked us to grant some amount in spite of the urgency of the matter at these particular places. The hon. Home Minister just skipped over the matter by saying that the hon. Revenue Minister has to deal with it. But I wish to point out once more that the losses suffered amount to about Rs.5 lacs or more in Gulbarga and probably an equal amount in Nizamabad. The merchant community who suffered there needed immediate relief. The matter brookes no delay and the Government have to move quickly. It would have been much better if Supplementary Demands in this regard could have been brought up before the House.

I wish to repeat and remind the House of what I had already stated yesterday. Firstly, adequate relief has to be given to the persons effected to re-start their business. In Nizamabad, as I had pointed out, the relief given was only Rs. 250 while the loss suffered by the merchants amounted to thousands of rupees. It is not possible for them in their present plight either to re-start their business or to take delivery of the goods that are lying in the godowns or to pay the sales-tax or the profession tax unless adequate relief is immediately given. It is, therefore, necessary that Government should immediately think over the matter and give adequate relief to the merchants to re-start their business. Secondly, long-term loans are absolutely necessary. Without them, it will not be possible to rehabilitate the people. This matter has also to be looked into by the Government. Thirdly, in cases where houses have been burnt, certain materials should be provided to the victims to rebuild their houses or repair them, as the case may be. Fourthly, I wish to point out that not only the merchant community, but along with them the agricultural community also has been effected in Nizamabad, who also need taccavi and other assistance, and also remission in land revenue. This matter also has to be dealt with by the Government. Probably the Assembly may not meet in the coming few months, but in the meanwhile these urgent matters are there to which the Government should give their attention.

While speaking on the subject of rehabilitation, I learn that the hon. Home Minister has drawn up a certain scheme to see that no communal disturbances occur in future. One of the hon. Members on this side had given notice of a shortnotice question to know what that particular scheme. but probably as the Office did not find sufficient time the matter did not come up. It would have been much better if that scheme had come up before the House. I wish to point out that there are definitely proofs to show that the communal elements, whether belonging to this community or that community, are growing strong in the last few months, and if the Government does not take steps to fight this evil, it is likely that the communal elements will become stronger. In today's Siasat paper I have read that the slogan 'Godse Zindabad' was raised in a certain meeting and that the communal elements were trying to consolidate and organise themselves round this slogan. How far it is true, it is for the Government to investigate, but if we allow the communal forces to grow, then democracy in India will be doomed and whatever party is in power it will not be possible for it to solve the problems of the people. Therefore, the seriousness of the situation has to be taken note of by the Government.

Specially, I have to point out to the hon. Minister for Education that his Department, i.e., various schools, is full of communal elements, particularly those belonging to the R.S.S. When we raised this matter many a time in this House, the hon. Minister did not take as serious a notice of it as he ought to have. It is not a question of furnishing proof or producing evidence before him; it is not a question of whether the Headmaster concerned agrees as to the existence of these communal elements, it is for him and the Home Department to go deep into the matter and find out how this whole thing is enveloping the Education Department. If our boys or students are not made immune from these communal elements, we fear that the coming generation will not be able to move forward in a democratic fashion and will constitute a great danger to the working of democracy in our country. I hope the hon. Home Minister will look into it.

I also wish to point out on this occasion that not only communal but certain other elements also are trying through various means, whether in the form of missions or through other agencies, to disrupt the unity of our people and our anti-imperialist traditions, and democracy. All these various disruptive forces are at large in our country. One incident at Gulbarga or Nizamabad cannot be isolated and we have to go deep into the matter and it is our duty to see that such tenden.

cies are wiped out. This problem also, I hope, will engage the attention of the Home Minister

I conclude by expressing again the hope that the matter of rehabilitation and the giving of necessary relief to those sufferers in the incidents in Nizamabad and Gulbarga will be considered in the near future—or I should say immediately—by the Government.

شری دگمبر راؤ بندو :- مسٹر اسپیکر سر ۔ جن دو امور کا ذکر یہاں کیا گیا ہے مناسب ہے که ان کے متعلق میں کچھ عرض کروں ۔

ایک تو رہیبیلیٹیشن ( Rehabilitation ) کا مسئلہ ہے۔ اسبارے میں کٹ موشی جب پیش کئے گئے تھے اوس وقت بھی بحث ہوچکی ہے اور میں نے اونکا جواب دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک علعمہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے۔ سنٹرل رہیبیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اسکو چلا رہے ہیں اور ہارے ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں چند ایسے مدات ہیں جن سے ریلیف ( Relief ) دیجاتی ہے۔ چانچہ حال ہی میں نظام آباد اور گلبر گہ میں ان ھی مدات سے امداد بھی دی گئی ہے۔ ریلیف کمیٹیاں وہاں بنائی گئی ہیں۔ لوگوں کی ضروریات معلوم کرتے بجٹ میں پراویژن فراہم کرنے کا مطالبہ کرنے کے لئے اونکو لکھا گیا ہے۔ اس سے بڑھکر بجھے اسبارے میں کچھ کہنا نہیں ہے۔

کچھ باتیں پولیس کے بارہے میں کہی گئی ھیں کہ دفعہ ہم، فلاں جگہ کیوں فافذ کیا جاتا فافذ کیا گیا وغیرہ ۔ یہ ایسی چیز ہے جسکی ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت هوتی ہے نافذ کیا جاتا ہے ۔ آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہ سکتا ۔ خود آنریبل ممبرس آف دی اپوزیشن یہ نہیں کہ سکتے کہ دفعہ (سم،) کو قانون سے نکال هی دینا چاهئے ۔ کیونکہ بعض مواقع ایسے آئے ھیں کہ آنریبل ممبرس اپوزیشن نے خود یہ سوال کیا تھا کہ فلاں جگه دفعہ ہم، کیوں نافذ نہیں کیا گیا ۔ اس سے معلوم هوتا ہے کہ بعض مواقع ایسے آئے ھیں جہاں اس دفعہ کے نفاذ کی ضرورت هوتی ہے ۔ اب رها یہ معاملہ کہ کہاں اور کن صورتوں میں نافذ نہ کیا جائے اور کن صورتوں میں نافذ نہ کیا جائے ۔ یہ چیز منحصر ہے ۔ اسکے متعلق کسی دوسرے عدالت کے ٹسکریشن ( Discretion ) پر منحصر ہے ۔ اسکے متعلق کسی دوسرے شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اسکا فیصلہ کرے کہ کہاں نافذ هونا چاھئے اور کہاں نہیں ۔ عدالت کے سامنے جب مقلمات پیش ہوتے ھیں تو اونکا فیصلہ عدالت ھی کی خسکریشن پر ھوتا ہے چاھے وہ جو بھی فیصلہ کرے ۔ کوئی فریق اگر اوس فیصلہ کو محبح نہیں سمجھتا ہے تو اوسکو اپیل ( Appeal ) کا اختیار ہے۔ ھوسکتا ہے کہ ایسکریشن کے استعال کا پورا پورا چورا حتی حاصل ہے ۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ناگور ایس کیسکریشن کے استعال کا پورا پورا حق حاصل ہے ۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ناگور

هائیکورٹ نے ایشا حکم جاری کیا ہے ۔ یہاں بھی ہم نے کسی کے ہاتھ نہیں ، پکڑائے ہیں ۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اوسے بسر و چشم قبول کرینگر ۔ اگر آپ ان اصولوں کو ڈیمو کریسی جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اوسے بسر و چشم قبول کرینگر ۔ اگر آپ ان اصولوں کو ڈیمو کریسی ( Bill ) کائیے اور اسکی منظوری حاصل کرکے اس دفعہ (۱۳۸۳) کو نکال دیمئے ۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جو چیز عدالتوں کی ڈسکریشن پر موقوف ہے اوس کا اختیار اسمبلی ( Assembly ) کو دیا جائے ۔ ہوسکتا ہے کہ دفعہ سم آپکی رائے اسمبلی ( مین غلط طور پر نافذ ہوا ہو ۔ لیکن اسکر ساتھ ہی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسر سے شخص کی رائے میں بالکل صحیح طور پر نافذ ہوا ہو ۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی رائے میں بالکل صحیح طور پر نافذ ہوا ہو ۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس نکته چینی کی جائے ۔ بہرحال گورنمنٹ کی پالیسی وہی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں امن میں خلل واقع ہونے کا امکان نظر آئے وہاں یہ دفعہ ضرور نافذ ہونا چاہئے ۔ کس نافذ ہونا چاہئے یہ میسٹریٹ پر منحصر ہے یہاں گورنمنٹ کی پالیسی کا سوال نہیں کے ۔

دوسری بات یه کهی گئی که آر ایس - ایس ( R. S. S.) اور دوسری پارئیز آگے بڑھ رہے ھیں ۔ میں جانتا ھوں که جت سے الیمنٹس ( Elements ) بڑھ رہے ھیں جنکو ھم ڈیمو کریسی کے دشمن سمجھتے ھیں ۔ کمیونلیزم ( Communalism ) بھی بہت بڑھ رھا ھے ۔ اور یه بھی معلوم ہے که انکی سرحد کہاں ختم ھوتی ہے ۔ کسی کو برا ساننے کی وجه نہیں ہے ۔ ھم اسکی تاریخ جانتے ھیں ۔ جنکے پاس کوئی ، پرنسپلس کو برا ساننے کی وجه نہیں ہے ۔ ھم اسکی تاریخ جانتے ھیں ۔ جنکے پاس کوئی ، پرنسپلس اون کی امید ھو جائے تو انہیں اپنا ساتھی بنالیتے ھیں ۔

"Enemy of the enemy is our friend."

یا اور اوس وقت تک بڑھے رھینگے جب تک کمیونل الیمنٹس کو روکنے کی رہے تھیں اور اوس وقت تک بڑھے رھینگے جب تک کمیونل الیمنٹس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاھتے ۔ چاھے اس طرف کے منبرس بھوں یا اوس طرف کے میں ضرور کمہونگا که سجو کوئی تھی اسکو روکنے کی کوشش نہیں کررہے بھیں خطلی کر رہے بھیں عب تک مثانی دلی ہے آگے ته بڑھیں یہ ضرور بڑھیگا ۔ آر۔ ایس ایس کے متعلق کما گیا کہ اسکو روکنا نہا ھئے ۔ کونسا قانون ہے جسکی رو سے آر۔ ایس ایس کو متعلق کما گیا کہ اسکو روکنا نہا ھئے ۔ کونسا قانون ہے جسکی رو سے آر۔ ایس ایس کو متعلق کما گیا کہ اسکو آلو گئیں کی خواھش ھوگی وہ برابر اس قسم کے اعمال کرینگے اور حصہ لینگے ۔ جو کمیونل الیمنٹس مسلمانوں میں ھیں وہ ضرور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حیثکو ھم ڈیمو کریسی الیمنٹس مداؤں میں خور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حیثکو ھم ڈیمو کریسی سمجھنے تھیں اون کو دیائے کے لئے قانون میں کونسی چیزیں موجود میں ۔ آگے دشمن سمجھنے تھیں اون کو دیائے کے لئے قانون میں کونسی چیزیں موجود تھیں ۔

اس بارہے میں ہاؤس کے دونوں جانب کے لوگ متفق ہونگے کہ بہت ہی چیزیں ہوسکتی ہیں ۔ میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن کوئی ڈیفینٹ اسکیم اس وقت میرے پاس نہیں ہے جسکو پیش کرسکوں ۔ سناگیا کہ اسبارے میں شارٹ نوٹس کوئسچن بھی آنے والا تھا ، لیکن میرے پاس تو اسبارے میں کوئی نوٹس نہیں آئی ۔ اور اگر آتا بھی تو میرا بھی جواب عوتا کہ میں اسبارے میں سوچ رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی مکمل اسکیم اس پارے میں نہیں ہے ۔ اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ھیں جنکو ھاؤس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ھو ۔

\* Shri V. D. Deshpande: My personal explanation regarding this is that my party at least does not harbour any communal elements nor, for any considerations, will it ever harbour communal elements in the future. As far as imposing certain restrictions is concerned, we had earlier demanded communal organisations should be banned and that communal organisations should not be allowed to exist in India. Well. if under our Constitution, we cannot put certain restrictions, at least certain steps should be taken to see that the minds of our students are not contaminated by communal ideology and communal philosophy. I have specially referred to the Education Department, because in a number of schools, many of my former colleagues who were communal-minded. had now become teachers and sponsors of the movements in schools and colleges. Specially, therefore, I have suggested to the hon. Education Minister that this problem has to be looked into. Whether as Congressmen or as Communists, we are all agreed on one thing viz. that we are secular and that we are opposed to communalism, and it is the duty of all of us, whether we are Communists, Socialists or Congressmen, to see that communalism in India is rooted out. It is from this point of view that I urged the Government-and I still urge them—that they should pay special attention to this matter and see that communalism does not grow.

Shri Ratanlal Kotecha: Mr. Speaker, Sir....

Mr. Speaker: No discussion now .

Shri Ratanalal Kotecha: It is not a question of discussion; I just want some clarification.

में अंक बात की याद दिलाना चाहता हूं। बीड में को नये साल क्रिकेक्श्रच्य दुने अपनें कम्युनिस्ट और आर. अंस. अंस. अिन दोनों ने अंक प्रान्ट बनाया था, और ब्र्न्हों ने प्रयत्न किया था कि काँग्रेस्न को डिफीट किया जाय। श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैं असको रिफ्यूट (  $\mathbf{Refute}$  ) करता हूं  $^{\circ}$ ।

श्री. रतनलाल कोटेचा:--मैं असको चॅलेन्ज ( Challenge ) करता हूं।

श्री. वि. के. कोरटकर:—िमस्टर स्पीकर सर, असमें जो खास खास सवालात अठाये गय 'ये अनका जवाब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दे दिया है। रीहॅबिलिटेशन (Rehabilitation) के लिये रकम दी जा रही है और अगर रकम ज्यादा हो तो हाअस के सामने सप्लीमेंटरी डिमांड्ज के लिये फिर फेब्रवरी में हम आयेंगे। अेक सवाल आपने किया था कि पहले से ही असको क्यों नहीं अन्टीसिपेट (Anticipate) करके रखा गया? आप जानते हैं कि पहले से अंटीसिपेट करना मुश्किल है कि दंगा होगा और रीहॅबिलिटेशन करना होगा। अगर पहले से अंटीसिपेट करते तो आपही कहते कि देखिये, पहले से ही कम्यूनल दंगे अंटीसिपेट (Anticipate) किये जा रहे हैं। अगर असमें ज्यादा रकम खर्च होगी तो सप्लीमेंटरी डिमांडसू के तौर पर हुकूमत फिर से अस हाअस के सामने फेब्रवरी में आयेगी। में अम्मी करता हूं कि अस वक्त आप तहदिल से वह ग्रांट मंजूर करेंगे।

'कम्युनल' की हद तक जवाब के बाद भी बार बार कहा गया है। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि सेक्युलर स्टेट (Secular State) का जो नारा है वह काँग्रेस का ही है। और काँग्रेस अस मार्ग पर चल रही है, चलेगी और आखरी दम तक असमें कोओ एकावटें आयेंगी तो अनका मुकाबिला करती रहेगी। लेकिन अक ही चीज में अपने दोस्तों से और सभी से कहना चाहता हूं कि कम्युनल, कम्युनल करके किसी अक गिरोह को चुनकर असके विरुद्ध अगर न बोला जाय तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि असमें अक बडा भारी मनोवैज्ञानिक गृहच है जैसे कि मराठी में 'गोम' कहा जाता है। अगर आप बार बार बोलते गये कि आर. अस. कम्युनल है तो अक सोसायटी बडी खुग होती है कि "देखिये, अच्छे तडाके लगा रहा है"। अगर आप मुस्लिम लीग को कम्युनलं कहते गये तो दूसरी सोसायटी खुग होती है और कहती है कि 'यह बडे अच्छे तडाके लगा रहा है,। अच्छा यही है कि किसी को चुनकर न कहा जाय। काँग्रेस ने यही तरीकारखा है कि जिघर अधर क्या हो रहा है असको देखने की कोओ जरूरत नहीं है। अपने सीघे रास्तेसे चलते चलो और सेक्यूलर स्टेट (Secular State) के असुल पर चलो। असी पर हुम आज चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अस हद तक आपने भी वादा किया है कि आप पूरी तरहें से मदद देंगे तो असके लियें भी काँग्रेस पार्टी आपकी मश्कूर रहेगी।

Shri V. D. Deshpande: I wish to clarify that we feel there are communal elements not only among Hindus, but also among Muslims and other communities as well. Wherever they are they ought to be put down and brought to justice

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed.

The motion was adopted,

## Presentation of the Committee on Petitions

Shri Pampan Gowda (Manvi): I. the Chairman of the Committee on petitions present this Report to the House on the following points scrutinised by the committee on the 27th September 1954:

The subject matter of the petition presented to the House by Shri K. Ramchandra Reddy, M.L. A. is 'Granting of pattas to the Harijans, members of the Backward Classes and poor peasants of Nalgonda District,' and is signed by 2,277 persons.

The Petition is in conformity with the Rules and the Committee decided that it be circulated in extenso to the Members.

Mr. Speaker: The report is presented.

## L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax Tax 2nd Amendment Bill, 1954

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—मिस्टर स्पीकर सर, यह सेल्स टैक्स बिल जो अभी हाअस के सामने आया है वह जैसे मौके पर आया है जब कि न अव्वाम और न यह हाअस अपनी ठीक ठीक राय अस पर दे सकता है। पहली बात तो यह है कि अस बिल के जिरये अब तक ढाओ साल में जो टैक्से-शन के प्रपोजल्स आये थे अन सब से कआ गुना ज्यादा टैक्स अव्वाम पर लगाया जा रहा है। ऑनरेवल फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि अस टैक्स के जिरये हमें तकरीबन १ करोड ५८ लाख रुपया——

श्री. वि. के. कोरटकर :—मैं जरा असको साफ करना चाहता हूं। जहां जहां मैंने १ करोड ५८ लाख कहा है, वहां १ करोड २८ लाख होना चाहिये। वह जरा हिसाब की गलती है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: — जैसा कि अभी फायनान्स मिनिस्टर साहव ने बताया तकरीबन १ करोड २८ लाख की रकम वे जमा कर सकते हैं। अिसके साथ वे यह भी अम्मीद करते हैं कि सेन्य टैक्स में अिज, फा होगा। अिसके माने यह हो जाते हैं कि तकरीबन अक रुपये भी कस हैदरा-बाद के लोगों पर अिसके जरिये से टैक्स का अिजाफा होनेवाला है। में समझता हूं कि अबतक अिस हाअस के सामने जितने भी टैक्सेशन के बिल आये अनमें अिस कदर बड़े पैमाने पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अिस तरह से जो टैक्स लगाया जानेवाला है असकी शिह्त में हाअस के सामने रखना चाहता हूं। अिस तरह का टैक्स लगाने के पहले अगर हुकूमत अव्वाम की और मर्चंटस की राय लेती तो बेहतर होता। में अिस मौके पर ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि अस बिल के डिसकशन को मुल्तवी कर दिया जाय और अव्वाम की राय, अव्वाम के अदारों की राय और मर्चंटस कम्युनिटी की राय लेने के बाद अस बिल को अगले सेशन में लाया-जा सकता है या असको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। लेकिन आज के फार्म में असको पास कर्यों में किसी तरह से मुनासिब नहीं समझता। हुकूमते हिंद के पास अक असे-

न्हिायल कमोडीटीज अन्ट है और असके तहत अजनासे खुर्दनी पर टैक्स<sup>ि</sup>नहीं लगाया जाता। लेकिन मुझे दु:ख है कि अन्होंने यहां अस पर भी टैक्स लगाने के लिये अजाजत दी। न्हियल अटीग्रेशन होने के लिये कस्टम्स और सरचार्ज को दूर करना जरूरी है तो असके माने यह नहीं होते कि अव्वाम पर नये टैक्सेस् लगाये जाये और अिस तरह से अजनासे खुर्दनी पर भी टैक्स लगाया जाय। अिसलिये असको किसी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। यह कहा जाता है कि १ करोड ७८ लाख का नुकसान हुकुमत को कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से हो रहा है तो असके बारे में क्या किया जाय? फायनान्शियल अिंटीग्रेशन की वजह से हमें अन मिक्कलात का सामना करना पड रहा है अिसलिये में कहुंगा कि जब तक हमारे पास अिस नुकसान की भरपाओं करने के लिये दूसरे जराये नहीं हैं तब तक हुकूमते हिंद का फर्ज हो जाता है कि वह हमारी ग्रांट बढाये। चाहे राजस्तान हो, चाहे सौराष्ट्र हो , चाहे हैदराबाद हो, अक जमाना था जब कि कस्टम्स और सरचार्ज अनके फायनान्स का अंक बडा जुज रहा है। जब हुकूमते हिंद मांग करती है कि ये कस्टम और सरचार्ज न हो तो असका फर्ज होता है कि अनकें निकालने की वजह सें हमारा जो नुकसान होता है असकी भरपाओं के लिये वह हमारी मदद करे। लेकिन असा न करते हुओ अगर वह असेन्शियल कमोडीटीज पर टैक्स लगाने की अजाजत देती है तो यह बात अिन्सानियत पर मबनी नहीं है। ज्यादा तर स्टेट्स असे हैं जहां पर असेन्शियल कमोडी-टीज पर अिस तरह से टैक्स नहीं लगाया गया है। सिर्फ मद्रास और हैदराबाद जैसे कुछ मुकामात पिर यह लगाया जाता है तो वह कोओ हिसाब पर मबनी नहीं है। असकी वजह से अव्वाम के लये जो मुसीबत पैदा होती है वह किसी तरह से हुकुमते हैदराबाद की अमदाद के बाअस नहीं होगी बल्कि अव्वाम में अससे अंक तरह की बेचैनी पैदा होगी। हमने सास तौर से चीजों की अनेकोम्टेड लिस्ट को देखा। असमें यह फर्क नहीं किया गया है कि अव्वाम की जो मेन गिजा है जैसे चावल, जवार, जिन पर यहां की अव्वाम गुजारा करती है अनको अस लिस्ट से अक्जेम्प्ट नहीं किया गर्या है। बल्कि अक तरह से हर तरह की जरूरी अनाज पर टैक्स लगाया गया है और असका अन्सीडन्स हर शख्स पर डायरेक्ट पडनेवाला है। कहा जा रहा है कि अनकम टैक्स की तरह यह अन्डायरेक्ट टैक्स होगा और अनाज मार्केंट में आने के बाद वहां पर टैक्स लगेगा। लेकिन असी बात नहीं है। चावल की मिसाल लीजिये। चावल की पैडी पर टैक्स लगूगा। चावल तैयार होने के बाद अस पर भी लगेगा, चावल से जो चीजें होटलों में बनाओ जायेंगी अन पर भी टैक्स लगेगा और चावल के आटे पर भी टैक्स लगेगा। ग्रेन मर्चंटस असोसिअेशन के खाजन और केंग्रिस के अंक मेंबर श्री कोटूरसत्तें व्या गुप्ताने साफ कहा है कि चावल पर छः पात्रिटस पर हैक्स लगनेवाला है। यानी तीन पाओं के हिसाब से १८ पाओं तक चाकल पर टैक्स आयद होगा असी तरह से गेहूं और जवार का हाल है। अिसलिये जो पूरे अनाज पर टैक्स आयद किया गया हैं वह किसी तरह से मुन्सफाना नहीं है। अिस हद तक तो हुकूमत को गौर करना चाहिये और हम समझते हैं कि अस बिल की मुखालिफत करने के सिवा दूसरा कोओ रास्ता हमारे सामने बाकी मुतवस्सत तबके पर असका क्या असर होगा असके बारे में जब हम सोंचते हैं तो मालूम होता है कि कस्टम और सरचार्ज निकल जाने की वजह से आम तौर पर ज्यादा चीजें हैदराबाद के बाहर जार्येगी। नतीजतन यहां की चीजों की कीमतें बढेंगी और मुतवस्सत और मजदूर तबुके को अन चीजों को ज्यादा कीमत पर खरीदना पडेगा। असके साथ साथ होल्स देक्स भी आसूद हो जाता है और अुसकी वजह से काफी नुकसान हमें भुगतन: पड़ेगा। अिस वजह ने यह विल मुन्सफाना नहीं है और हुकूमत को अिस विल के रीडिंग को मुस्तवी करना चाहिये 🖂 भी हुकूमत को यह टैक्स लगाना ही है तो अब्बाम की जो मेन गिजा है असको हटाकर बाकी चोजों पर टैक्स लगाने के बारे में सोंचा जा मकता है। लेकिन जो टैक्स पूरे अजनत्म पर लगाया जा रहा है वह मुन्स जाना नहीं है। फायनान्स मिनिस्टर साहव ने अपनी तकरीर में कहा कि हम कोओ नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो टैक्स सिर्फ अंक तबके पर जीकि अक्सपोर्टर्स व अनपर और खास कर जो बॉर्डर जिलों में थे अन पर पडता था असी को हम नमाम अब्बाम पर रायज कर रहे हैं औसा अनका कहना है। लेकिन यह भुलाया जा रहा है कि जो लोग बाहर अनाज भेजते थे वे वडे पैमाने पर बाहर से फायदा अुठाते यें और अिसलिये अगर कुछ सरवार्ज या कस्टम अनको देना पडता था तो वह राजीखुशी से दे सकते थे क्योंकि जब कोओं व्यापार प्रोफिटेबल है असा अनुको लगता था असी वक्त वे माल अक्सपोर्ट करते थे। असलिये जो टैक्स लगाया गया था वह अनको अितना ज्यादा महसूस नहीं होता था। लेकिन आज हर गरूस जब वाजार में जाकर कोओ चीज खरीदता है तो असको सेल्स टैक्स देना पडता है। असमें प्राफिट का सवाल नहीं है। हर शक्स को टैक्स देना पडेगा। अिसलिये यह जो दलील हाअुस के सामने रखी गर्जी थी कि मन्सफाना तौर पर हमने अिसको बांटा है तो औसी कोओ बात आपने नहीं की है बल्कि अेक तरह बाहर चीजें भेजनेवाले व्यापारियों की आपने अिनदाद की है क्योंकि आज ये व्यापारी बाहर की काम्बीटीशन में यहां से ज्यादा माल भेज सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं और आपने मामुली अव्वाम का जेब काटा है और अक्सपोर्ट करनेवाले व्यापारियों को आपने रिलीफ दिया है। मामुली अञ्चाम के जेब काट देते हुओ अनुको रिलीफ दिया जाता है तो यह मुन्सफाना पालिसी नहीं है।

आप की यह जो टॅक्स आयद करने की पॉलिसी है वह कोशी मुन्सफाना पॉलिसी नहीं है। अससे तो आम लोगों का ही नुकसान हो रहा है। अस लिये अस तरह के टॅक्स को आयद करना ठीक नहीं है।

दूसरी चीज में फायनात्स मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि आम तौर पर बाजार में जो अनाज आता है असपर टॅक्स लगाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। जब अस तरह का अंक बिल असके पहले हाजुस के सामने आया था तब काँग्रेस पार्टी के लोगों ने काफी जोर से अस किल की मुखालिफत की थी। सरचार्ज की भी मुखालिफत की गंजी थी। और अस मुखालिफत के कारण अस सम्य सरकार को वह बिल मुल्तवी रखना पड़ा था। लेकिन आज जब हमारे सामने असी किसम का अंक बिल आया है जिसके नतायज अससे भी खराब होनेवाले हैं तब असी हालत में काँग्रेस के लोग चुप कैसे बैठ रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब अस तरह का बिल यहां पर लाया जाता है जिसका असर तमाम गरीब अव्वाम पर पड़नेवाला है तो आप चुप बैठ रहे हैं और अंक और टॅक्स आप अव्वाम पर लाद रहे हैं। आप अंक छोटी चीज की मुखालिफत करते हैं और आज अतना बड़ा अंक टॅक्स आयद होने के बाद असके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। असके सिलसिले में में अपील करना चाहता हूं कि यह अंक बहुत अहम मसला है कीर अस पर बहुत संजीदगी के साथ सींचने की जरूरत है। अस तरह

से आप जो टॅक्स आयद करने जा रहे हैं असका असर हर आदमी पर पडनें जाला है। और मेरा स्थाल है कि हर आदमी के पीछे अंक रुपये का भार अिससे पडनेवाला है। अंक रुपये के अिजाफे का यह सवाल है। अिसका जो अिनसिड्न्स पडनेवाला है वह हर आदमी पर पंडनेवाला है। असके बारे में सोचा जाना चाहिये। और अंक चीज पर गौर किया जाना जरूरी है।

सिंगल पॉअंट सेल्स टॅक्स पर गौर किया जाना जरूरी है। यह कहा गया कि अन चीजों पर जो टॅक्स होगा वह अक या दो मर्तवा होगा लेकिन औसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हं कि पॅडी, राअिस, आटा, अिन सब पर टॅक्स लगनेवाला है। यानी अितने मर्तवा वह टॅक्स लगने-वाला है। अिस लिये यह जो टॅक्स लिया जायेगा वही सही है औसा सोंचना ठीक नहीं है। यह टॅक्स अक या दो मर्तबा ही लिया जायेगा औसा तसव्वूर रखना भी मुनासिब न होगा। टॅक्स के बारे में पहली मर्तबा सोंचा जा रहा था तभी हमने कहा था कि सिंगल पॉजिट सेल्स टॅक्स रखना चाहिये और आज भी मरचन्ट असोसियेशन की तरफ से यह सजेस्ट किया गया है कि सिगल पॉजिट के बारे में सोंचा जाय तो मुनासिब होगा। आपने मॅच बॉक्स पर सिंगल पॉजिंट सेल्स टॅक्स किया, लेकिन केरोसिन पर नहीं किया अिसकी क्या वजह है यह मेरी समझ में नहीं आयी। अस वक्त यह कहा गया कि मॅचेस छोटे छोटे दुकानों में ज्यादा तर बेची जाती हैं और आम अस्ते-माल की चीज है। असके टॅक्स को कलेक्ट करने में सुविधा हो अस लिये असे सिंगल पॉअंट किया गया है औसा कहा जाता है। मैं कहता हूं कि आपने केरोसिन पर भी सिंगल पॉिंअट सेल्स टॅक्स क्यों नहीं लगाया? वह भी अंक असी चीज है कि जिसे आम लोग जिस्तेमाल करते हैं। केरोसिन भी अंक असी चीज है जो हर स्थान से नहीं मिलती बल्कि असके बेचने के लिये भी अंक ही स्थान होता है। वह भी अन कंपनी से हिंदुस्थान भर में बेचा जाता है तो अिसको सिंगल पॉअिंट क्यों नहीं किया गया? अस लिये अन तमाम चीजों को सोंचने की जरूरत है। असके तमाम अस पेक्ट पर सोंच कर अिस टॅक्स की जो पॉलिसी आज की है असे रिव्हाअिज करने की जरूरत है। और असे सिंगल पॉअिंट पर लाने की जरूरत है। अस लिये मेरा पहला सजेशन है कि अस बिल को ड्राप  $(\mathbf{Drop})$  ही किया जाय तो मुनासिब होगा। और अगर ड्राप नहीं किया जा सकता है तो कम से कम असे अस सेशन में नहीं लाना चाहिये। जिस तरह असे अब आखिर में लाकर पास कराने की अजलत की जा रही है वह सही नहीं है। अिसे आर्थिदा जब कभी सेशन होंगा तब लाया जा सकता है और अस पर ज्यादा संजीदगी के साथ सोंचा जा सकता है। मेरा सुझाव यह है कि दरिमयान के वक्त में अिसे अव्वाम की राय के लिये और मर्चंटस की भी राष्ट्र के िये भेजा जाय और अिसके बारे में अुनके क्या ख्यालात हैं यह मालूम किया जाय तो मुनासिब होगा। और अनुनके जो सजेशन्स आयेंगे अनुनकी रोशनी में फिर असके अपर सोंचा जा सकता है। जिस तरह जिस अहम बिल को अुजलत से यहां पर पेश कर के पास करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है।

फायनान्सियल जिटिग्रेशन के जमाने में हमें बहुत कुछ अँसेट्स जो हमारे थे अन्हे छोडना पड़ा और अुससे हमारा काफी नुकसान हुआ। और हमें अिस नुकसान का मुकाबिला करना पड़ा है। जब हमनें अितना नुकसान सहा है तो अुसे पूरा करने के लिये सेंट्रल गव्हर्नमेंट, को हमें अंड (Aid) देनी चाहिये। औड हम चुंकि अपनेको पब्लिक के नुमांअंदे समझते हैं अिस लिये हमें अनको अस बात की कोशिश करनी चाहिये कि यह जो जनता का नुकसान हो रहा है असको न होने दे ! हमने जब कस्टम निकाले हैं और सरचार्ज भी निकाल ने की कोशिश की जा रही है तब अस पर से असकी नुकसान भरपाओं करने के लिये अमेन्शियल कमोडिटी अंक्ट जो कि सेंटर का है असमें हीला नहीं बनाना चाहिये। असे सेक्शन ३१ के तहत अमेंड करने की कोशिश की जा रही है।

इमारी यह जो कमी होनेवाली है असको किस तरह से पूरा किया जा सकता है असके बारे में मैंने अपने स्थालात हाजुस के सामने अिसके पहले भी रखें हैं। हम जागीरदारों को और दूसरे सरमायेदारों को काँपेन्सेशन दे रहे हैं जो कि कुछ करोड रकम है। असके बारे में जो मुहायदा पूराने जो यहां के सिव्हिल ऑडिमिनिस्ट्रेटर्स थे अनके और जागीरदारों के बीच हुआ था असे रिव्हा-अिज करना चाहिये। यह जो नुकसान हो रहा है असे पूरा करने के लिये मेरा तो यह भी सजेशन था कि अंग्रिकल्चरल अनकम टॅक्स आज जो लिया जा रहा है असे हम बढा सकते हैं। अंग्रि-कल्चरल अिनकम टॅक्स १० हजार रुपये की अपर की आमदनी पर रखा गया है। बुसे ३,६०० क्रपये की आमदनी पर रखा जाना चाहिये ताकि हमें ज्यादा अिनकम हो। यह भी अके मेरा सुझाव है जिसके बारे में सोंचा जा सकता है। और भी कबी चीजें छोटी मोटी हैं जिनको सोंच कर निकाला जा सकता है कि हमारा जो नुकसान सरचार्ज और कस्टम निकालने के कारण हो रहा है असे किस तरह पूरा किया जाय। लेकिन नुकसान के नाम पर कॉमनमॅन (Common ) को टॅक्स अदा करना मुनासिब नहीं होगा। अिससे आप अव्वाम का फायदा नहीं करेंगे और हुक्मत की आज की पॉलिसी है कि "to tax the food of the public" यह बिलकुल सही पॉलिसी नहीं है। अिसलिये जिस बिल को ड्रॉप किया जाय तो ज्यादा मुनासिब है। कम से कम असे फिलहाल विड्रा ( Withdraw ) कर लिया जाय तो अच्छा होगा अितना कहते हुओं में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री. रतनलाल कोटेचा: अध्यक्ष महाशय, यह जो बिल आज हाबुस के सामने आया है ब्रुस पर विरोधों दल के लोगों ने काफी विरोध किया और विरोध करते हुंबे बुन्होंने कहा कि चूंकि जिस बिल पर जनता की अबतक कोबी राय नहीं आबी है जिस लिये जिस बिल को मुलतवी किया जाय। में यह समझता हूं कि हाबुस में जो नुमाबिद हैं और जनता की तरफ से चुनकर बाये हैं वह बराबर जनता की नुमाबिदगी यहां पर कर सकते हैं। वह बिस बिल के बारे में सोंच सकते हैं और अुन्हे देंचिना भी चाहिये। में समझता हूं कि जिस बिल पर जनता ने अपनी कोबी राय नहीं दी है जिस लिये जिसे मुलतवी नहीं किया जा सकता है। जब जिस बिल को मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है तो में समझता हूं कि जिसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिये। मुझे यह अंदेशा हैं कि यह बिल जिस लिये मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है कि दरम्यानी वक्त में जिसके खिलाफ मिटींग्ज आदि लेकर अंजिटेशन ( Agitation ) किया जाय और जो बात जनता के जहन में भी नहीं है बुसे अुनके जहन में पैदा किया जाय और दरम्यानी वक्त में गब्हनंमेंट पर दबाव लाया जाय कि वे जिस बिल को मंजूर न कर सकें। लेकिन मैं कहना चाहता

हूं कि अस तरह से आज अस बिल को मुलतवी करने की कोओ जरूरत नहीं है। अस बिल के अपर अभी तक किसी ने अपनी राय नहीं दी है। असा कहकर बिल को मुलतवी करना ठीक न होगा। सिर्फ अपोजिशन लिडर ने कुतर सीन्नय्या जो बेपारियों के प्रतिनिधी हैं अनके स्टेटमेंट को यहांपर पढकर सुनाया। और अनके जो आरग्युमेंटस हैं अन्हें भी हाअस के सामने रखा लेकिन वाक्या यह है कि आज जो बिल हमारे वित्त मंत्रिजीने लाया है अससे तो हैदराबाद स्टेट के काश्तकार बहुत खुश हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: --आपसे किसने आकर कहा? आप किसकी खुशी बोल रहे हैं?

श्री. रतनलाल कोटेचा:—यह जनता का आनंद है। और ज्यादा तर अससे काश्तकारों को बहुत खुशी हुआ है। आपका तो सिर्फ अपोजिशन करने का ही काम है अस लिये आप असा कह रहे हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :---पूरे बॉर्डर की क्या आप नुमार्अिदगी कर रहे हैं? क्या आपकी ही पार्टि को असकी नुमार्अिदगी दी गश्री है?

श्री. रतनलाल कोटेचा:-- अध्यक्ष महोदय, लिडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो अतनी मुखालिफत कर रहे हैं अनुका अस नाते यह कर्तव्य था कि हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देते क्योंकि अन्होंने सरचार्ज और कस्टम हटाकर जो अक बड़ा स्टेप अठाया है अस के लिये अन्होंने अक भी शब्द शुक्रिये का नहीं कहा। जो अच्छी चीज है असको तो कम से कम अच्छा कहना चाहिये था। अनका जो डच् शेयर (Due Share) है वह तो अन्हें मिलना चाहिये था। लेकिन असके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। अनुको अनुका डचू शेयर देते हुओ आप यदी चाहते तो आपके आरग्यूमेंट भी रख सकते थे। लेकिन आप तो सिर्फ नुकताचीनी करना चाहते हैं। सरचार्ज और कस्टम निकाला गया, क्या यह काम भी आपको ठीक नहीं लगा ? मैं हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अन्होंने यह जो स्टेप अठाया है अससे देहातों के काश्तकार बहुत खूब हुओ है। काँग्रेस पार्टी की यह कभी दिनों की माांग थी। अितना ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की भी अिसी तरह की मांग थी। लेकिन मुझे यह देखकर अचरज होता है कि आज अिस बिल का विरोध किया जा रहा है और जो अच्छी बातें की गशीं जिसे आप भी चाहते थे अनके बारे में अक भी शब्द आभार का आपके मुहसें नहीं निकल रहा है। अिसके सिलसिले में प्रदेश काँग्रेस क्याटी ने अके रेजो. ल्यक्षन पास किया था और असमें यह ख्वाअिक की गश्री थी कि पहले सरचार्ज को हटाया जाय और बाद में कस्टम्स को भी हटाया जाये। और गव्हर्नमेंट ऑफ अिडियाने भी हमारी गव्हर्नमेंट को कंपेल किया। जिसका नतीजा यह हुवा कि आज सरचार्ज और कस्टम हटाये जा रहे हैं। अिससे काश्तकार बहुत खुश हैं, और अिससे काश्तकारों को बड़ा रिलिफ मिलनेवाला है। बेपारी कोओ अपने जेबसे अिस सरचार्ज या कस्टम को नहीं देता था। असे तो काश्तकारों को ही देना पडता था। यह टॅक्स काश्तकारों को हर पल्ले के पीछे १ रुपये से लेकर ५ रुपये तक देना पडता और असको यह सरचार्ज और कस्टम तो हमको कभी न कभी निकालना पडता ही था। बुसकी जो कमी होगी बुसे पूरा करने के लिये बिल आज हाअूस के सामने लाया 🖣 रहा है।

यह देखकर में मानैता हूं कि हमारी जनता बहुत खुझ हुआ होगी और अिम काम के लिये वह हमारे वित्त मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देगी।

में समझता हूं कि जब चीजों के प्राजिसेस वढे थे तब सरचार्ज और कस्टम का जो जिन्मिडन्स पडता था वह ज्यादा महसूस नहीं होता था क्योंकि काश्नकारों को चीजों के दाम भी ज्यादा मिलते थे। लेकिन जब अनाज की कीमतें कम होती जा रही हैं तब काब्तकारों को और दूसरे लोगों को यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। जब मूंग का भाव २० रुपये पल्ला था तब सरचार्ज दस या आठ रुपया पडता था। यानी सरचार्ज का अनुसिडन्स २५ से लेकर ५० परसेंट नक पडना है। और असी के कारण फिर बॉर्डर्स पर बहुत बड़ी तादाद में स्मर्गीलंग ( Smuggling शुरु हुवा। लातूर जैसे जो बडे बाजार हैं जो बॉर्डर्स के करीब थे वहां के जो गुंड वेपारी थे अन्होंने यह स्मर्गालंग का काम शूरू किया और बेचारे जो गरीब बेपारी थे अनका नुकसान होने लगा। यह स्मर्गालंग अतुना फैला या कि अब अिस कैसे खतम किया जाय या असको कैसे चेक किया जाय यह अक बडा मसला था। अस के लिये यही रास्ता था कि अस तरह का जो कस्टम और सरचार्ज जो कि स्मर्गीलग की असल जड थी असे ही बंद किया जाय तो स्मर्गीलग अपने से ही बंद हो सकता था। में गव्हर्नमेंट ऑफ जिडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अन्होंने हमारे सरकार को जिस के लिये कंपेल किया कि वह जल्द से जल्द कस्टम और सरचार्ज को निकाल दें। गये डेढ साल तक काँग्रेस पार्टि असके लिये प्रयत्न कर रही थी कि यह बात हो जाय और असनें भी सेंट्र गव्हर्नमेंट के पास अपनी जिस मांग को पेश किया था। और आज सेंट्ल गव्हर्नमेंट की मदद से असको निकाला गया क्रिस लिये में अन्हे भी घन्यवाद देता हं।

अभी अंक ऑनरेबल मेंबर ने अपने भाषण में कहा कि यह जो नया सेल्स टॅक्स आयद किया जा रहा है असका अन्सिडन्स ( incidence ) हर शस्स के पीछे ? रुपया पडेगा! लेकिन में कहना चाहता हूं यह जो हिसाब आपके सामने रखा गया वह सही नहीं है। असा नहीं होगा। हिसाब यह किया गया कि हमें डेढ या पावने दो करोड रुपये हासिल करने हैं और हमारे स्टेट की आबादी भी करीब अुतनी ही है तो अिसके माने यह निकाले गये कि हर शस्स के पीछे १ रुपये का जिन्सडन्स पडेगा। यह जो कॅलक्युलेशन किया गया वह सही नहीं है। क्योंकि देहात में रहने-वाले जो काश्तकार या मजदूर है वे अनाज नहीं खरीदते हैं। अनकी जवारी या बाजरी वहीं सर्च 🕏 जाती है वे असे मोल नहीं लेते हैं अिस लिये अन लोगों पर अिसका ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। देहात का जो अनाजु है वह ज्यादा तर वहीं खतम होता है। देहात के लोग बाहरसे अनाज नहीं लेते हैं। देहात में जो मुजदूर होते हैं वे भी अपनी मजदूरी अनाज में ही लेते हैं। अन्हें बाहर से अनाज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अस लिये मेरा यह कहना है कि आपको जो कहना है कि असका अिन्सिडन्स सब पर पडनेवाला है वह सही नहीं है। अिसका अिन्सिडन्स देहात पर नहीं बल्की औरंगाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल, जालना, अस्मानाबाद, आदि जो बडे बडे शहर हैं अन्ही के लोगों पर यह भार पडनेवाला है। और में चाहता हूं कि वहां पर बदि अस तरह अनिसि-**इ**न्स पडेगा तो कुछ नुकसान नहीं होनेवाला है, और वैसा वह पडना भी चाहिये। आजतक हैदराबाद स्टेट की रिवायतू कुछ असी रही है कि देहातों से टॅक्स वसूल किया जाय और असका खर्चा बलवत्ता शहरों पर ही किया जाय। लेकिन अब यह बात नहीं चल सकेगी। हैदराबाद में सिमेंट की सडकें बड़े बड़े अस्पताल, बिजली आदि सब का अंतेजाम अच्छा हो, और असके लिये देहात के लोगों से टॅक्स लिया जाय यह अब चलनेवाला नहीं है। आज सिटीज में जो टॅक्स लेक्हल है वह बहुत ही कम हैं और देहातों में यह लेक्हल ज्यादा है। यह जो नया सेल्स टॅक्स वसूल होनेवाला है वह ज्यादातर शहरों से होने वाला है। असिलिये असकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं है। और अस टॅक्स के लगाने में जरा भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। हमारा जो पैसा कम हो रहा है असके भरपाओं के लिये यदि शहरों से पैसा आयेगा तो कोओ खराब बात नहीं। अस टॅक्स से देहात के लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी।

साथ साथ यह भी कहा गया कि शहरों पर भी असका ज्यादा भार पड़ेगा। लेकिन फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बताया है कि जवारी या दूसरी जो चीजें हैं अनके भाव तो आज घट रहे हैं। तब यह जो अिन्सिडन्स पड़ेगा वह को आ ज्यादा नहीं होने वाला है। मूंग का भाव आज १ रुपये से आठ आने पर आगया है असी हालत में गव्हर्नमेंट को अक आना देना को आ बहुत ज्यादा नहीं है।

में दरखास्त करना चाहता हूं कि आज अव्वाम के दिमाग में जो बातें नही हैं अुन्हे आप अुनके दिमाग में भरने की कोशिश न करें। आप यदि असे बातें अुनके दिमाग में भर कर अुनको भड़काने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं है। आज जो यह बिल आपके सामने आया है अुसें आप बगैर किसी हिचिकचाहट के मंजूर कर लें तो अच्छा होगा। अितना कहते हुओ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री. रूस्माजी. घोंडिबा पाटील (आष्टी):—अध्यक्ष महोदय, आज तक मुझे अितना ताजुब कभी नहीं हुआ जितना की आज यहां पर यह देखकर हो रहा है कि अिस बिल को विरोध किया जा रहा है। पहले जमानेंमें जब कि हमारी पाप्युलर गव्हनेंमेंट नहीं थी तब सरहद के लोगों को कस्टम्स की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पडता था असको हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब हमारी पार्टि की तरफ से अक आंदोलन चलाया जा रहा था तब सरहद के लो<del>गों को</del> यह कहा गया कि हमें पहले कस्टम खतम करेंगे, और हमारा यह नारा था। यह हमारा ही नहीं बिल्क अस जमाने में अपोजिशन पार्टि के जो लिडर हैं वे भी यही कह रहे थे और अनका और दूसरी भी जो मुस्तिलफ पार्टियां थीं अन सबका यह नारा था कि हम कस्टम्स को खतम करना चाहते हैं। लेकिन आज जब कस्टम निकाली गंभी है और अससे जो नुकसान होनेवाली है असकी भरपांं के लिये अक बिल यहां पर लाया जा रहा है तब हमारे अपोजिशन पार्टि के लोग असकी मुखालिफत कर रहे हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: अध्यक्ष महोदय, अंक गलतफहमी हो रही है कि जो कस्टम्स या सरचार्ज निकाले जा रहे हैं असकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन असी बात नही है। हैदराबाद सरकार ने असे निकाला असके लिये तो हम अनकी तालिद कर रहे हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा:-फिर अस काम के लिये आप शुक्रिया क्यों नहीं आदा करते हैं?

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :---शूकिया तो अदा करते हैं लेकिन असके साथ हि साथ अपना अफसीस भी जाहिर करना चाहते हैं कि दूसरे तरफ से कॉमन मॅन को टॅक्स करने की कोशिश की जा रही हैं।

श्री. रूस्माजी घोंडिवा पाटील:---वैर असके बारे में मुझे कुछ नही कहना है। लेकिन आपने अपने भाषण में तो अंक लब्ज भी शुक्रिया अदा करने के लिये अश्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस बिल की जितनी ब्राओं की जा सकती थी वह की गओं और अब भी की जा रही है। अक जमाना हा जब कि अस कस्टम को हटाने के लिये हमारे अनाडी काश्तकार मरने के लिये तैयार ये और अस वक्त हमारे लिंडर ऑफ दी अपोजिशन अनुकी हमारी लिंडिंग कर के हमें अस काम के लिये आगे बढाते जा रहे थे और अनके साथ हम बॉर्डर के लोग काम भी करते थे। आष्टी के बॉर्डर के वाकयात शायद अनको भी याद होंगे जब कि असके सिलसिले में वहां की जनता ने अस काम के लिये अपना खुन बहाया है और गोलियां तक खाओं हैं और आज जब वह मांग सफल की जा रही हैं तो अपोजिशन लिडर अिसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यह देखकर वडा ताज्जुब होता है। काँग्रेस ने अक जमाने में जो वचन अव्वाम को दिया था असको आज पूरा किया जारहा है। अस लिये बॉर्डर की जनता आज बहुत खुश है, और आज में अनकी तरफ से फायनान्स मिनिस्टर साहब का और गव्हर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। गव्हर्नमेंट यह जो कदम अठायी है असकी मुखालिफत करने की अपोजिशन पार्टि के लिडर को कोशी जरूरत नहीं थी। अपोजिशन पार्टि के लिडर ने कहा कि अञ्चाम को सोंचने का मौका नही दिया गया, लेकिन में कहना चाहता हूं कि यह अञ्चाम की हीं राव थी कि अस तरह से कस्टम्स खतम किये जायें और जब कस्टम खतम करते हैं तो असका जो नकसान होगा असे पूरा करना तो गव्हर्नमेंट का फर्ज होता है और अस कमीको पूरा करने के लिये ही यह बिल आज हाअस के सामने आया है। यह बिल कभी भी पीछे हटनेवाला बिल नहीं है। यह तो बराबर नास हो कर ही रहेगा। यह जो सेल्स टॅक्स का बिल यहां पर लाया गया है वह लाना जरूरी या और वह बराबर पास होगा असमे मुझे शक नहीं है। रजाकारों के जमानें में आंदोलने करते वक्त जिन लोगों ने अपना खून बहाया अनुका अच्छा स्मारक आजतक हमनें नही किया। अस जंग के जमाने में तीन काश्तकारों की लाशें जिस काम के लिये बहायी गयी और जो खून बहाया गया असका ही आज हम सच्चा स्मारक कर रहे हैं असा मेरा ख्याल है। अपोजिशन पार्टि का यह कर्तव्य था कि जब अक बसा बिल लाया जा रहा है जिससे असे तमाम लोगों का सच्चा स्मारक होता है जिन्होंने विस काम के लिये अपना खुन बहाया तो सरकार का आप स्वागत करते। लेकिन आज यह कहा जा रहा है कि असे आज न लिया जाय और मजीद तीन महिने का मौका दिया जाय। तीन महीने में तो करोड़ो रुपयों का नुकसान होतु है, और आज जो करफ्शन है असकी वजह से भी काफी नुकसान जब आज हो रहा है जैसी हालत में जुस की बुनियाद को ही खतम करना जरूरी था और जिस लिये जिस कस्टम्स को बिलकुल बंद कर दिया गया है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपोजिसन लिडर से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है असकी आप मुखालिफत न करें। यह भी सेंट्रल गव्हर्नमेंट के मशविरेसेही यहां पर लाया गया है। बुन्होंनेखिन चीजों पर सेल्स टॅक्स लगाने की विजाजत दी थी। मेरा तो कहना है कि यह बिल अससे भी पहले आना चाहिये वा लेकिन हमारी मन्हनैमेंट ने असके लाने में काफी देरी की। शायद अपोजिशन मेंबर्स अिसकी मुखालिफत करेंने विख दर से यह बिल जल्दी नहीं लाया गया होगा, मैसा मेरा स्थाल है। काँग्रेस ने देरी से ही क्यों न हो लेकिन मेंक अच्छा कदमक्रीठाया है और यह बिल आज हाजुस के सामने रखा है। जुसके लिये जिस जिस

का तो आपको स्वागत करना चाहिये था। यह जो नुकसान हुवा है वह सेल्स टर्क्स लगाये बिना पूरा नहीं किया जा सकता था, अस लिये असे लगाना लाजमी था। कस्टम्स और सरचार्ज खतम करने के बाद हमें करीब ५ करोड रुपये का नुकसान हो रहा था। यह पूरा कैसा करना यह सरकार के सामने सवाल था। यह जो सेल्स टॅक्स है वह कोओं गरीब काश्तकार या मजदूरोंपर नहीं बैठनेवाला है। यह तो मालदार और बडे बडे लोगों पर ही बैठनेवाला है।

# [Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जो आज तक लाखों रुपये कमाये हैं और गादियों पर सोते हैं अनपर यदि कुछ टॅक्स बैठता भी है तो कोओ दु:ख की बात नहीं है।

यह कहा गया कि अस बिल को सिलेक्ट किमटी के पास भेजना चाहिये। मेरा ख्याल है कि असे सिलेक्ट किमटी के पास भेजने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो भी बिल सिलेक्ट किमटी के पास जाता है असमें काफी वक्त गुजर जाता है, और असमें पैसा भी काफी खर्च होता है। यह अके अहम बिल है और अिसे जल्द से जल्द पास करने की जरूरत है। अस लिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका यह जो सजेशन है असे आप वापस लें। यह जो १ करोड और ५८ लाख का खसारा आ रहा है असे जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। अस बिल को सिलेक्ट किमटी के पास भेजकर यदि यहां से खतम कर दिया गया तो असे पास होने में फिर काफी देर होगी और गर्व्हन मेंट को सेल्स टॅक्स के जिरयेसे जो पैसा मिलना है वह काफी कम होगा। अस लिये असे जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिये। अक जो हिसाब बताया गया कि हर शक्स के पीछे १ रुपया ज्यादा होगा वह ठीक नहीं हैं। यह टॅक्स गरीबों पर नही बैठनेवाला है बिल्क अमीरों पर ही और जो शहर में रहते हैं अन्ही पर ज्यादा तर बैठनेवाला है। आज तो ६ पाओका सेल्स टॅक्स रखा जा रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर यदि १२ पाओ का भी यह सेल्स टॅक्स रखा जाय तो ज्यादा नहीं है क्योंकि यह तो अमीरों पर ही बैठनेवाला है। फायनान्स मिनस्टरसाहब ने यह जो स्टेप अपुठाओं है अससे आज स्टेट के तमाम लोग खुश है और बेपार बिलक्त खुला होगया है और आज हम केक नये सूरज का प्रकाश देख रहे हैं।

पटेल पटवारी, गांव के गुंडे और करोडिंगिरी के छोटे मोटे आफिसर का जो अंक तबका है क्रिं हमारा दुश्मन है। हम कहते हैं कि निजाम सरकार का राज खतम होगया है लेकिन अनके लिये अभी कोओ तबदीली नहीं हुआ है। यह जो करोडिंगिरी का काला सांप है जिसकी बची हुआ आधी दुम कोटी गयों तो अनको वह अच्छा नहीं मालूम होता था। आज असके बचे हुओ भाग को पत्थर डाल कर खतम करने की कोशिश की जा रही है। अस सांप को बचाने की कोशिश अपोजिशन के लीडर साहब नहीं करेंगे असी मुझे अम्मीद है। अपोजिशन के लीडर ने यह मांग की कि अस बिल को वापिस लिया जाय या अस का डिसकशन आगे ढकेल दिया जाय तो असके बारे में मुझे विश्वास है कि वह अपनी मांग वापस ले लेंगे। अस बिल की मुखालिफत करना ठीक नहीं है। असकी अगर मुखालिफत की जायेगी तो अनको देहात के लोंगों की बददुआ लेनी पडेगी।

में यह बताना नाहता हूं कि करोडिंगिरी निकाल देने के बारे में हमारा खास प्रयोजल था। यह काश्तकार और मजदूरों का मसला है। यह बिल सेल्स टॅक्स बिल नहीं है बल्कि अक अमर बिल है। अमर गव्हर्नेमेंट का विल है लोगों की ताकत बढानेवाला बिल है। यह छः पाओं के बजाय बारा पाओं की आशा रखनेवाला विल नहीं है। कपास, जवार, चांवल, बाजरा, अन चीजों पर से कस्टम और सरचार्ज निकाला गया है तो असका फायदा काश्तकारों को मिलेगा। अक चीज अभी हमारे दिल में खटकती है और वह यह है कि यह करोडिंगरी पूरी की पूरी आज खतम हो जानी चाहिये थी, लेकिन गव्हर्नमेंट के सामने कुछ दुश्वारियां होने की वजह से वह आज नहीं हो सका। अिस डिपार्टमेंट में जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं अुनका गव्हर्नमेंट को जितजाम करना होगा और वह दो तीन महीने के अंदर किया जायेगा। गव्हर्नमेंट ने जब तक करोडिंगिरी को नहीं निकाला था हम लोगों को बहुत दु:ख होता था। असको निकालने के लिये हम लोगोंने पी. सी. सी. को रेकमेंड किया और पी. सी. सी. ने भारत के प्राण पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काँग्रेस के सदर हैं और हिंदुस्तान के प्राजिम मिनिस्टर हैं अनके पास यह प्रपोजल भेजा। अन्होंने हैदराबाद हक्मत पर शर्न आयद कि की अगर आप सेल्स टॅक्स बिठाते हैं तो करोडगिरी और सरचार्ज को अठाना पडेगा। असी शत के तहत यह बिल लाया गया है। अिसके लिये में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैदराबाद हक्मत को और साथ साथ फायनान्स मिनिस्टर को शतशः घन्यवाद दुंगा। आज हमारी मनोकामना पूरी हो गओ। आष्टी तालुके के हरिभाअ जगताप और देवराव और लोनी के खाशाबा जिन लोगों ने करोडिंगिरी का मुकाबला करने के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है। जिस वक्त वह आंदोलन चलता था तो अपोजीशन के लीडर वहां थे। अनुको असके बारे में ममता है असा मुझे विश्वास है। जब वे हम लोगों को असके खिलाफ भडकाते थे अस वक्त अनको जो प्रेम था वह आज नहीं है. असा मैं नहीं मानता। जिन लोगों ने असके लिये अक जमाने में प्राणों की बाजी लगाओं अनके खून से आज आवाजें निकलती हैं अिसीलिये में अिस बिल को अमर बिल कहूंगा और जो लोग अिसका साथ देंगे अनका नाम भी अमर रहनेवाला है।

अंक चीज फायनान्स मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं कि गरीब काश्तकार और नजदूर तबके के लोगों से सेल्स टॅक्स बराबर अदा किया जाता है, लेकिन जो ल खोपित और करोड पित हैं, जो लोगों का खून चूसते हैं, वे सेल्स टॅक्स देना टालते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी तनस्वाह पानेवाले खेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट के आफिसर अनका साथ देते हैं। अन आफिसरों को सस्त ताकीद दी जाय। वे समझते हैं कि असेंब्ली है चीफ मिनिस्टर हैं, अपोजीशन लीडर हैं, सिर्फ बकवास करते हैं, लेकिन हमारा क्या करेंगे अगर वे अपनी तनस्वाह बढ़ाने के लिये हुकूमत के पास रिप्रेजेंटेशन्स करते हैं तो असके लिये हमें अतराज नहीं है लेकिन अधर हजारों रुपये खाते हैं, यह बुरी बात है। अनको मालूम होना चाहिये कि सेल्स टॅक्स हमारे देश को आगे बढ़ानेवाला है। आज सेल्स टॅक्स पूरी तरह वसूल नहीं होता असकी वजह यही है कि बड़े बड़े आफिसर असमें गडबड़ करते हैं। गोरवाला कमेटी का कहना था कि सेल्स टॅक्स से करीब आठ करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन हमारे यहां सिर्फ दो या ज्यादा तीन करोड़ की आमदनी होनेवाली है। मेरा खयाल है कि अस साल तकरीबन छ: करोड़ तक सेल्स टॅक्स वसूल होना चाहिये, ताकि मराठवाड़ के जो छोटे प्रॉजेक्टस, रास्ते और तकावी वगैरा के कुम्म बंद पड़े हैं वे शुरू किये जा सकेंगे। जितना सेल्स टॅक्स अगर-बसूल नहीं होता

तो वह अन आफिसरों की गलती है। मैं अनसे अपील करूंगा कि वें अस रार्स्त को छोड दें। पंडित बवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो लोग सिर्फ तनख्वाह खाते हैं लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ बाराम करते हैं वे हरामखाअ हैं। अगर अक हद तक यह मान लिया जाय कि सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट के आफिसर करप्शन नहीं करते. लोगों को नहीं सताते तो कम से कम अितनी बात निश्चित है कि वे अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते। जिस काम के लिये जितना वक्त देना चाहिये अतना नहीं देते। हमारे यहां के व्यापारी राजपुताने से आते हैं और अनका बहीखाता रखने का ढंग असा है कि हमारे आफिसर असको नहीं समझ सकते। अगर अनको 'अप्पाजी' लिखना है तो वे लिखेंगे 'अपज' अस. लिये अनसे जितना सेल्स टॅक्स वसूल किया जाना चाहिये अंतना नहीं किया जातः। अगर ऑफिसर अन द्रवारियों को नहीं समझ सकते तो हुकूमत से मेरा अंक सजेशन है कि व्यापारियों से सेल्स टॅक्स किस तरह से वसूल किया जाय अिसके बारे में अफसरों को सलाह देने के लिये असेंब्ली के मेंबरों की और कुछ नॉनआफिशियल लोगों की सेल्स टॅक्स सलाहगार समिति मुकर्रर की जाय। जब तक अँसी कमेटी कायम नहीं की जाती तब तक गोरवाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सात करोड़ की सेल्स टॅक्स से आमदनी होगी या नहीं अिसको मालूम नहीं किया जा सकता और जब तक बैसी कमेटी मकर्रर नहीं होती तब तक सात करोड सेल्स टॅक्स भी वसूल नहीं किया जा सकेगा। अगर असी कमेटी कायम की गओ तो गोरवाला कमेटी की सिफारिश सही है या नहीं मालुम हो जावेगा। मैं अम्मीद करता हूं कि अगले सेशन तक हमारे यहां से करोडगिरी पूरी तरह से खतम हो जायेगी और फिर यह काला सांप हमारे सामने नहीं आयेगा। मैं हुकूमत को अस बिल के पेश करने के लिये घन्यवाद देता हूं कि अन्होंने अच्छे वक्त पर अिस बिल को लाकर लोगों के दिलों में दिलासा प्राप्त करा दिया है। आखिर में में अितना ही कहूंगा कि अिस बिल को पास करने में अिस स्थास की अज्जत है, गव्हर्नमेंट की अज्जत है और तमाम सियासी पार्टियों की अज्जत है।

\* شری انا جی راؤ گوانے (پربھنی) : - سٹر اسپیکر سر - جو بل مهارے سامنے آیا ہے اوس کے تعلق سے آنریبل فینانس منسٹر نے یہ بتلایا ہے که کسٹم ( Custom ) اور ) نکال دینے کی وجہ سے آمدنی میں جو کمی واقع Surcharge سرجارج ( ھو رہی ہے اوس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل مجبوراً ہاؤس کے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ کسٹم اور سرچارج نکالنے پر میں انہیں دھنیہ واد ضرور دیتا ھوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یه بھی کمونگاکه سیل ٹیکس کے سوروپ میں ٹیکزیشن بل ( Taxation Bill ) جو لایا جا رہا ہے اوس کی وجہ سے جو بار لوگوں پر پڑیکا اون کا شراپ بھی اون کو ھی سپہن کرنا پڑیکا۔ آنریبل ممبرس فرام پاٹودہ اور آشی جو بارڈر کے رہنے والے میں انہوں نے اپنی سوارتھی نظر سے هاؤس کے سامنے کچھ باتیں کہی هیں ۔ میں اون کمپنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ کسٹم اور سرچارج رہنا چاہئے لیکن علاج کا به طویقه نہیں کہ آدمی کے جسم پرکسی جگہ زخم ہو تو اوسی آدمیکا کان یا ناک کاف کر ونعم پر لگادیا جائے ۔ میں اس کو پسند کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ۔ ٹیکویشن کا اصول تو یه هو سکتا هے که ٹیکسکا بار اون لوگوں پر پڑے حن کی تیموریاں اور جیب اليس بار كو برداشت كرسكتي هين - نه كه اون لؤكون بر برے ميو زند كي كسي تعكيمي

طرح بسرکرنے پر مجبور ہیں ۔ اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جیساکہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ جنتا کی ہر کمیونیٹی کی رائے لی جاتی تو اچھا تھا ۔ آنریبل ممبر فرام پاٹودہ نے گھبراکر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے سمبر اس بل کو لیکر رولنگ یارثی کے خلاف یروپگنڈہ کے طور پر استعال کرینگر ۔ میں اون سے یہ کمونگا کہ آپ بھی تو اون کی نمائند گی کرتے ہیں آپ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں آپ بھی اپنا پروپکنڈہ کیجئر ۔ جنتا اتنی بیوقوف نہیں ہےکہ ایسی ذہنیت کا مظاہرہ کرے۔ جس بلکا اثر جنتا پر ہوتا ہے اوس کے متعلق ہارا یہ کام ہے کہ جنتا کو اوس کے بارے میں سمجھائیں که اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں ۔ یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، ہم بھی بتاسکتر میں پھر اس کے متعلق آنریبل شمبر قرام پائودہ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت کیا تھی ۔ ہمیشہ جس طرح کہا جاتا ہے انہوں نے بھی یہی کہاکہ اپوزیشن پارٹی اسکو اپنے پروپگنڈہ کے لئے استعال کریگی ۔ میں کہتا ہوں کہ خود آپکو اپنا پول کھل جانے کا ڈر ہے۔ میں آنریبل فینانس منسٹر سے کہونگاکہ عوام سے اس بارے میں مشورہ لینا ضروری تھا ۔ اس آمدنی کو تو پوراکرنا پڑیگا اس کے لئے اور بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے ۔ لیکن هم دیکھتے هیں که آمدنی میں کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ کے سامنے سیل ٹیکس لگانے کے سوا اور کوئی راستہ ھی نہیں ہے۔ اگزمپشن لسك (Exemption list) میں جو کوئی بھی گڈس ( Goods ) ہوتے ہیں اونہیں پرپائنٹ ٹیکس لگانے کے شوا اور کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں۔ اس کے متعلق اگر اپوزیشن کے معبرس سے نہیں تو خود اپنر آفیشیلس اور اکنامسٹس ( Economists ) هی سے مشورہ کیا جاتا تو اچھا۔ تھا ۔ بمبئی گورنمنٹ نے پروہیبیشن ( Prohibition ) کے ذریعہ ایک کثیر آمدنی کو نخم کردیا - لیکن انہوں نے اس کے لئراسینشیل گڈس (Essential goods) پر ٹیکس نہیں لگایا ۔ آپ بھی ایسے ھی سورسس ( Sources ) نکال سکتے تھے۔ فوڈ گرینس یا اسینشیل گٹس پر ٹیکس لگانے سے اس کا اثر غریب کسانوں اور کامن میان پر ہوگا ۔ آنریبل سمبر فرام باٹودہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے سیل ٹیکس کی پوری رقب سکندرآباد اور حیدرآباد سے وصول ہوگی ۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دوسروں پر کیسے اثر نہیں ہوگا ۔ خصوصاً اس میں دو چار آئٹمس ایسے ہیں جن کا تعلق حیدرآباد پارے سكندرآباد سے نہیں ہے۔ مثلا كيروسين آئيل ۔ اس كو كمال بيچا جاتا ہے اور كمال سے اس کا ٹیکس وصول ہوگا ۔ آئیل ٹیکس کی آمدنی جو ساڑھے چھ لاکھ ہوگی وہ کیا حیدرآباد اور سکندرآباد سے وصول ہوگی یا دیہاتوں سے وصول کی جائیگی۔ کاٹن پر بھی جو پرچیز ٹیکس ( Purchase tax ) وصول هو رها هے وہ کسسے وصول هو رها هے - کاشتکاروں سے وصول کیا جاتا ہے یا خریدار اپنی جیبسے دیتے ہیں ۔ مارکٹ میں جو ٹیکس ڈینا پڑتا ہے اوس کا حساب لگا کرھی خریدنے والا اپنا بھاؤ طے کرتا ہے۔ گویا ان ڈائر کالی Indirectly ) كَاشْتَكَارُون بِسِم هي وه ثيكس وصول كيا جاتا هـ - آپ كويا کشتکاروں کی وکالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تجارت پیشہ طبقہ کی وکالیت کر رہے ہیں ۔ اور بھاند کاشتکاروں کا لے رہے میں ۔

کاٹن پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے خریدار اپنی جیب سے نہیں دیتا بلکہ وہ کاشتکاروں سے وصول کرلیتا ہے۔ یہ بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس سے جو ایک کروڑ کی آمدنی هونے والی َھے وہ بھی کنزیوم ( Consumer ) سے ھی وصول ھوگی۔ (١٠) پرسنٹ مالدار هیں اور ( . ٩ ) پرسنٹ غریب لوگ هیں ـ اس لئر لازما اونہیں ہو اس کا اثر پڑیگا۔ ڈائرکٹلی ہو چاہے ان ڈائرکٹلی ہو پہلے بھی جو بل کیش کراپس ( Cash crops ) پر ٹیکس لگانے کے سلسلہ میں ھارے سامنے آیا تھا ھم نے اوس کی سختی سے مخالفت کی تھی ۔ لیکن اس میں بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی اسینشیل گڈس کی تعریف میں آتے ہیں ۔ یہ روزمرہ زندگی میں استعال ہونے والی چیزیں ہیں ۔ جسکر بغیر کوئی آدمی دو دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا ۔ ہر گھر میں چراغ لگایا جاتا ہے ۔ اس بل کے پیش ہو نے پر آنریبل سمبر فرام پاٹودہ خوش ہور ہے ہیں۔ میں کہونگا کہ یہ اوپر کی شکرہے جو آپ چا*ٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں لیکن جب ی*ہ زہر حلق کے نیچے اتریگا تب معلوم ہوگا ۔ کسٹم اور سرچارج تو ختم کر رہے ہیں لیکن اس کمی کو کیسر پورا کیا جا رہا ہے۔ آنریبل فینانس منسٹر نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا" میں جانتا ھوں کہ اس کا اثر کنزیوم اور ملک کے ایک بہت بڑے طبقے پر پڑیگا۔ لیکن میں مجبور ہوں ،، ۔ مجبوری بتلانے سے کام نہیں چلیگا ۔ آپ کے پاس اس کے لئے اور کئی طریقه هوسکتر تهر ـ آنریبل ممبر فرام آشٹی کودکودکر یه کهه رہے تھرکه هم نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ لگایا تھا۔ ھارے لوگ شہید ھوگئے وغیرہ وغیرہ \_ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو نظام کو بھی ختم کرنے کا نعرہ لگایا تھا اور جس کے لئے ھم اور آپ دونوں سل کر احمد نگر کے بارڈر پر لڑے تھے۔ آپ نے جاگیرداری کو ختم کرنے کے لئر نعرہ لگایا تھا اور بہت سی چیزوں کے متعلق نعرہ لگایا تھا ۔ لیکن اب اون چیزوں کو ختم کرنے کے ائر آپ کی زبان نہیں اٹھتی ۔ ایک چیز کو ختم کرکے اوس کی بجائے دوسری مصیبت دینے والی چیز ہارے سامنے رکھی جانی ہے۔ صرف نعروں سے خوش حوكر يه كمناكه آج جو بل لاياكيا هـ وه بهت اچها هـ مين اس كو پسند نهين كرتا ـ

میں آنریبل فینانس منسٹر سے عرض کرونگاکہ وہ اس بل کے متعلق پھر سوچیں اور آج اس کو ماتری کریں ۔ آج عوام اس ٹیکس کو نہیں دےسکتے ۔ یہ بار اون لوگوں پر پڑنے والا مے چو کھانے کپڑے اور گیاس کے تیل کی ایک چمی جلانے کے لئے محتاج ھیں۔ اگر آنریبل فینانس منسٹر اس کو اب ملتوی کرتے بعد میں سوچکر عمل کرنے کے لئے تیار ھیں تو ھم بھی اس ضمن میں اپنی اسکیمس اون کے سامنے رکھینگے ۔ لیکن اگر آئریبل منسٹر ھم پر بھروسہ نہیں کرتے ۔ وہ ھم کو کانفیڈنس ( Confidence ) میں لینا نہیں چاھتے تو یہ اور بات ہے ۔ بمبئی اسٹیٹ میں بھی ایسے بڑے ٹیکس نہیں لگائے جارہے ھیں ھارا اسٹیٹ تو اس سے چھوٹا ہے ۔ آنریبل منسٹر کو از کم اس پر غور کریں ۔ اتریبل منسٹر کو از کم اس پر غور کریں ۔ اتنا کہتے ہوں ہے، میں اپنی تقریر ختم کرتا ھوں ۔

\* شرى بى ـ ڈى ـ دیشمكھ ( بھوكردن ـ عام ) - مستر اسپيكر سر - آج جو بل هاؤس کے سامنر ہے وہ سیاس ٹیکس کی ترمیم کا بل ہے۔ اس کے ذریعہ یه کوشش کی جا رہی ہے کہ . ، ہ ، ع کے قانون کے تحت جو شیڈول (۱) کے آئٹمس تھے ان کو نکال دیا جائے اور تقریباً سوا کروڑ روپیه کا نیکس عوام کے سر پر لاد دیا جائے ۔ اوس طرف آنریمل ممیرس فرام آشی اور بالودہ نے قریر کرتے ہوئے کماکہ ہمیں اس پر آنریبل فینانس منسٹر کو دہنیہواد دینا چاہئے۔ لیکن انہیں کونسے شوگر کوٹڈ پلس (Sugar quoted pills) کھلا ئےگئر ھیں حبل کے باعث و، یہ کہتر ھیں کہ ھم ایک کروڑ بیس بچیس ہزار کے . ٹیکس پر تریزری بہپ کو مبارکباد دیں ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم بل ہے۔ اس کے ذریعہ سرچارج اورکسٹس ختم ہو رہے ہیں ۔ لیکن میں اون سے پوچھا چاہتا ہوں کہ فینانشیل انٹبکریشن ( Financial integration ) کے بعد تقریباً چار سال تک دستور کے خلاف عمل کرتے ہوئے ان کو برقرار رکھاگیا ۔ عوام سے نوٹ کھسوٹ کرکے خزانہ کو پرکرتے رہے۔ چار سال پہنے جو چیز ختم ہوجانی چاہئے تھی اس کو ختم نه کرکے ٹال مٹول کرنے رہے اور سمکن تھاکہ مزید دو سال تک اس کی ٹال مٹول کرتے اگر سنٹرل گورنمنٹ انہیں اس کی اجازت دیتی تو پھر کس بات کے نئےانہیں مبارکباد دینا چاہئے ۔ حکومت نے کونسی نلی چیزکی ہے جس کے ائے دھنیہواد دینا حاہئے ۔ سیلس ٹیکس ڈپار<sup>ٹ</sup>منٹ کی جو آمدنی ہونا چاہئے وہ نہیں ہو رہ<u>ی ہے</u>۔ اس کی آمدنی گھٹ کر ایک کروڑ ستر پچھتر لاکھ نک آگئی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل لایا جا رہاہے۔ اس کے امپلیکیشنس ( Implications ) کیا ہونگے ۔ اس کے کیا اثرات عوام پر پڑنے والے ہیں اون سے آئریبل سمبرس کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اون کو نو آئریبل سمبر سمجھ نہیں رہے ہیں اور چاہتے ہیں که مبارکباد دیجئے .

میں آفریبل موور آف دی بل سے یوچھنا چاھتا ھوں کہ شیڈول (۱) میں جو ضروری اشیا کھی گئی تھیں اون میں سے ھر ایک پر ڈبکس لبا جا رھا ہے نیکن کیا کوئی اس کی حد بھی ہے۔ اب اس میں صرف بیس اشیا باق رہ گئی ھیں۔ میں پہلے بل کے حوالہ حیب اور اس بل کے حوالہ سے یہ کہتا ھوں کہ آپ نے پہلے سگریٹ کو پھر میاچس کو پھر اب کیروسین پرٹیکس عائد کر رہے ھیں۔ ھمیں علم نہیں کہ پریسیڈنٹ نے اس کی منظوری دی ہے یا نہیں اگر منظوری بھی دی ہے تو وہ صاف نہیں ہے اور منظوری کے باوجود بھی ھمیں اس کی سختی سے مخالفت کرنا ھوگا۔ اگر ایسا بل صرف مدراس میں پاس کیا گیا ہے تو وھاں بھی اس کی سختی سے مخالفت ھو رھی ہے ورنہ سارے ھندوستان میں تو اسینشیل ہے تو وھاں بھی اس کی سختی سے مخالفت ھو رھی ہے ورنہ سارے ھندوستان میں تو اسینشیل گلاس پر ٹیکس لگانے کی کسی اور صوبائی حکومت نے جرائت نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ھاری کی کسی خو محکومت نے جرائت نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ھاری کی کسی خو محکومت نے جرائت نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ھاری کی کسی خو محکومت نے جرائت نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ھاری کی محتورت نے جو اقدام کیا ہے وہ کسی مفید نتیجہ کا حامل نہیں ھوگا۔

اس بل کے ایمس اینڈ آبجکٹس ( Aims & Objects ) میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ اس قانون کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے نہیں لایا گیا ہے بنکہ جو نقصان ھو رھا ہے ۔ اس کی تلاقی کے لئے لایا جا رہا ہے۔ میں خاص طور پر یہاں یہ کہنا چاہئے ہوں کہ حیدرآباد

میں ایک ٹیکس کی کمی کے بعد کتنے چدید ٹیکس عائد کئے جا رہے ہیں اور مجہنیت مجموعی ٹیکزیشن ہارہے پاس کیں نوبت پر پہنچ گیا ہے ۔ اس کو نظرآنداز نہ کیا جائے محض اس آواز پرکہ سرحارج اور کسٹمس کو ختم کر رہے ہیں اس بل کی تائید نہیں کی جاسکتی اگر دستور کے تحت سنٹرل گورنمنٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہئے تو اس سے ھاری جس قدر آمدنی متاثر ھوتی ہے اس کی پایجائی کرنے کی ذمدداری بھی سنٹرل گورمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لئے ہم مرکزی حکومت سے مانگ کر سکتر ہیں اس کے لئر اگر ہاری حکومت سنٹرلگورنمنٹ سے لڑتی ہے تو اس کی تائیدکرنے کے ائر ہم بھی تیار هیں اور اس کو سار کباد دیتے هیں ۔ سی سمجھتا هوں که دستور کی روشنی سی بھی ھاری حکومت ایسا کرسکتی ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ سنٹر نے ھارے انکم ٹیکس اکسائز ڈیوٹی ۔ ریلوے اور پوسٹ اینڈ ٹیلیگرافس کی آمدی لے لی ہے جو ہارے خاص ذرائع تھے اور اس کے لئے مختلف کمیٹیوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہم مانگ کر سکتر ہیں توکیا وجہ ہے کہ ہاری حکومت خائف اور ڈربوک بن رہی ہے ۔ اس بارے میں ہارے هاؤس میں ایک ریزولیوشن بھی لایاگیا تھا لیکن اس کو نامنظور کردیاگیا اور آب ٹیکس عائد کر رہے ھیں ۔ سیں آنریبل سمرس سے کہونگا کہ اگرچیکہ اس بل سے دو کروڑ تک بھی ممکن ہے کہ آمدنی ہو لیکن اس کا اثر ہارے چولہوں پر پڑنے والا ہے ۔ غریبوں کے پیٹ کا سوال آتا ہے اس لئر سنجیدگی سے غور فرمائیں ۔ یہ ایسا ٹیکس ہے جو ہارے و و فیصد لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس لئر اس پر جذبات کی رو میں بہتر ہوئے نہیں سوچنا چاہئر ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہاؤس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگزمپٹڈ گڈس ( Exempted goods ) کو اس قانون کی زد میں لانے کا یہ ایک مضر طریقه ھے۔ اس جانب آنریبل سمبر فار پربھنی نے اشارہ کیا ہے لیکن میں سمجھٹا ھوں کہ گذشتہ وقت بھی اوس کو اس وجہ سے واپس لیا گیا تھا کہ ھاؤس میں اس کی سختی سے مخالفت کی گئی اور اس میں چند قانونی دشواریاں بھی تھیں ۔اس لئے اس بل کی ہمیں جذباتی طریقه پر تقریر کرنے ہوئے تائید نہ کرنی چاہئے۔

اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرنا چاھتا ہوں کہ سرچارج اور کسٹم ڈیوٹی کا صرف سایسے لوگوں پر اثر پڑتا تھا جو مستاجر ہیں اور وہ یہاں سے مال باہر بھیجتے ہیں۔

مسٹر ڈپئی اسپیکر :۔ جو آرگیومنٹس ( Arguments ) یہلے آچکے ہیں ان کو نہ دھرائیے۔۔

شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ ﴿۔۔ میں کیاس اور دالوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرونگا جنہیں اسٹیٹ میں رکھنا ضروری ہے ۔ اگر اُن چیزوں کو تاجر منافع کی ہوس میں باہر بھیجنا شروع کردیں تو ممکن ہے کہ ان کی قلت کی وجہ سے ایک طرف قیمتیں بڑھ جائیں اور دوسری طرف ان پر ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے ۔ سرچارج کے برخاست کرنے کے بعد اس کا امکان ہے کہ اڑد اور مونگ وغیرہ ہارے متصلہ پراونسس مدراس اور مدھیہ پردیش

وغیرہ کو برآمد کی جائیں۔ اس خطرہ کی طرف بھی آنریبل منسٹر توجہ فرمائیں اور کنزیوم س پر قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو خطرہ ھو سکتا ہے اس کا لحاظ کریں۔ جیسا کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے فرمایا یہ بل ھاؤس کے سامنے بڑی عجلت میں لایا گیا ہے اس لئے اس کو آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے۔ میں سمجھتا ھوں کہ اب تک تقریباً ہہ لاکھ روپئے وصول کئے گئے ھیں لیکن اگر اس کو دو چار سہینے کے لئے ملتوی کیا جائے تو اس سے حکومت کی آمدنی میں کوئی خاص خسارہ ھونے والا نہیں ہے۔ اس لئے ھارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو کم از کم آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے۔

\*Shri L. K. Shroff (Raichur): Mr. Speaker, Sir, this is probably the sixth or the seventh amendment of the Sales Tax Act of 1950 which we are considering today. Though we had an amending Bill only a few days ago, still, we do not feel sorry that this amending Bill has again been brought before the House. The context in which this Bill has been placed before the House is something that is exhilarating, something that is making us feel very joyous.

As has already been stated before by hon. Members who preceded me, this amending Bill of the Sales Tax has been brought here to make up the loss that will be incurred by the Government as a result of the removal of the surchage on certain commodities and the customs duty on the same commodities.

Opposition has been expressed by Members of the Opposition to the imposition of sales tax on certain essential commodities. But I do not know why they feel so,—is it because that this Government did not wait to be demanded by the Opposition Members in the next Budget Session that this surcharge must go, is it because that they have missed the bus thus, that they are feeling so? I hope my fear is wrongly placed.

It is true that the surcharge and the customs have been levied for these past four years or even after integration. Customs duty on imports has already been removed and now it is proposed to remove the surcharge on those commodities which was being levied hitherto.

We have already been told that the Government is sustaining a loss of 65 lakhs of rupees by removing the surcharge and about a crore and 13 lacs by removing the customs on

those items on which surcharge is being removed. Altogether there will be a loss of 1 crore 78 lakhs to the Government on these two items only. Having sustained such a heavy loss the Government has got to think of some other source of income to make up the loss; and the Government has thought of levying sales tax on some of those commodities on which it has not been levied before.

Of course, hon. Members of the Opposition have said that the customs and other sources of income which we have lost have been lost by us as a result of the financial integration and therefore we have got a right to demand from the Centre to grant subvention to make up the loss. well known to the House, Sir, that the Government of India was granting a subvention of Rs. 1.19 crores until the financial integration and after that the subvention has been increased year after year and today we are receiving nearly 4 crores of rupees. Only the other day, the hon. Mninister for Planning told the House that in the three years of the first Five-Year Plan the Government of India has given us 10 crores of rupees. They had promised 10 crores for the whole period of five years. So, it cannot be said that this Government has not been demanding of the Centre its due share of the central source of income on the items from which it has lost its own income. And hereafter also it cannot be said that this Government will keep quiet and willnot demand to make up or reimburse the loss that has been incurred now.

As I said before, I feel that because the Government has taken courage in both the hands and removed both the big items of income without getting any demand from the Opposition Members and much earlier than the hon. Members had expected the Government to do, there is this feeling probably.

Well, Sir, it is said that this sales tax on essential foodgrains is going to hit the poor villager and the labourer so much. Hon. Members of the Opposition have taken every conceivable opportunity of representing the villager and the poor labourer. But what are the facts? Let us be guided by facts and let us not be carried away by emotion.

Here is the Government sustaining a loss of 1.78 crores on account of the removal of these two items. If sales tax

is levied upon cereals it is estimated about a crore of rupees will be got. Crore of rupees, Sir, from 1 crore and 85 lakhs of the population of this State. Even assuming the arguments of the Opposition Members are quite correct that even the poorest of the villager will be getting the incidence of this tax, what, after all, is the incidence of tax on the villager or every one of the people of the State? It will be about half a rupee, Sir, for the whole year-about half-a-rupee for the whole year on each individual of the State. Would it be too much, Sir? Would it be too much for any individual to bear this burden? After all, I would like to ask also, is it the contention of the hon. Members of the Opposition that this surcharge and the customs that were being levied were got from the pockets of the merchants and other peoples? Certainly not. Every incidence of tax, whether it falls upon the merchant or the middleman or anybody else, finally falls upon the villager and the producer. He was paying altogether surcharge and customs included something like 10 to 30 or 35 per cent of the actual value of the foodgrains and other commodities that were being exported from the State and he is made to pay about half a rupee or so for the whole year on the foodgrains that he may have to buy,—even supposing that every one of the 1 crore 85 lakhs of the people of the State are going to buy foodgrains also which is far from truth.

Again, it was said, is not the villager buying kerosene and will he not be forced to pay sales tax on it? What is the income that the Government gets on kerosene by way, of sales tax? It is 3 lakhs of rupees; it is not even 3 lakhs of rupees, Sir, I am sorry, it is 30 thousand,—30 thousand on the whole population of the State for the whole year, and supposing also that the villager burns the midnight oil. What a contrast? We have got to be very careful in judging facts.

Again it was said on cotton also there will be sales tax. As a matter of fact there was sales tax even on cotton. There was surcharge on cotton seeds and kapas which fetch an income of 40 lakhs of rupees to the State Exchequer. Having removed that and having levied sales tax on cotton the Government will be getting extra 12 lakhs. That is the Government is losing 40 lakhs and getting 12 lakhs, that is, it is putting 28 lakhs of rupees back into the pockets of the villagerer. Opposition has been taken very forcefully to this amending Bill that is placed before the House.

Of course, we should thank the hon. Members of the Opposition for having said that if the Government is going to put forth its claims before the Centre they will also support them. Government is certainly going to place its claims before the Centre and I am sure the hands of the Government would be strengthened further by the support that would be given by the Opposition Members. But to say that this sales tax on cereals and other commodities is going to hit hard every one of us is to say something that is not quite true. As has been already pointed out most of the villagers do not buy their foodgrains and other commodities from shops. Their needs are very few and they generally satisfy the mselves by producing them in their own fields and gardens. So the incidence of this tax will be mostly upon the people who dwell in the cities and towns and they should not grudge this because that would help them. It would be by accepting this kind of tax that they would help the poor ryots of the villages, because they would be helping them to get back about 28 lakhs of rupees into their own pockets.

Therefore, Sir, I hope that the opposition that has been levelled so far by some of the hon. Members and the hon. Leader of the Opposition will not be repeated or voiced forth again by other members from the Opposition who will follow me in the discussion now.

\* شری کے ۔ وینکٹ راماراؤ (چناکونڈور) : ۔ مسٹر اسپیکر سر ۔ ہاؤس کے سامنے اس وقت سیلس ٹیکس کا بل آیا ہوا ہے ۔ شائد یہ دوسری مرتبہ ہارے سامنے آیا ہے ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سشن میں سیلس ٹیکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ امنٹسنش آئے رہے ۔ اس سشن میں سیلس ٹیکس پر دو ترمیات آئے ۔ ہم پر یہ الزام لگایاگیا کہ ہمنے اس بل کے لانے پر آنریبل منسٹر کو مبار کباد نہیں دی ۔ مجھے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ آنریبل میں بل کو پڑھنے کی تکلیف گواوا نہیں قرمائے ہیں ۔ اس بل کے ذریعہ سرچارج کو اہالش ( میں ملک کے ذریعہ سرچارج کو اہالش ( میں کیا جارہا ہے ۔ اس کے لئے تو ابھی زمانہ درکارہے ، اس کے لئے آپ ابھی سے مبار کباد دیتے جائیں تو آپ کے دھنیہ وادوں کے حزانے ابھی سے خالی ہو جائینگے ۔ اس لئے وہ شکریہ کسی اور دن کے لئے مجھیظ کردیں تو اچھا تھا ۔ یہ ان ڈائر کٹ ٹیکس ہے ۔ اور اس کا اثر ہر شخص پر بڑنے والا ہے ۔ سرچارج کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ کسان کے پاس سے وضع کیا جاتا ہے ۔ یہ صحیح نہیں ہے ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپورٹ ( Import ) اور آکسپورٹ پہر محیح نہیں ہے ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپورٹ ( Import ) اور آکسپورٹ کے بورسیسلک سے مال وہاں آتا ہے ۔ ایسے مقامات پر لوگوں سے سرچارج ومنول

بہیں کیا جاتا ۔ البتہ ایسے اشخاص جو اکسپورٹ کرنے ہیں انکو اپنے جیب سے بھرنے کی نوبت آتی ہے ۔ اسطرح کا اسپورٹ اور اکسیورٹ کا بیوپارکرنے والے مثقی بھر لوگ ھیں ۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے فائدے کے لئے آپ پورے اسٹیٹ کے رہنے والوں پر بار ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں ۔ اسکا کہاں تک جواز ہوسکتا ہے ۔ سیل ٹیکس کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کاشتکار جوار باجرا یا دھان فروخت کرنے کے لئے جونہی بازار میں جائیگا اوسکی بابتہ سیل ٹیکس اوسکو دینا پڑیگا ـ یہ غلط تصور ہے کہ سیل ٹیکس صرف تاجر کو هی دینا پڑیگا۔ تاجر توسیل ٹیکس کی جو رقم ہوگی وہ وضع کر کے رقم کسانوں کو ادا کریگا کسانوں کی همدردیاں جتانے والوں کی توجه میں اس جانب مبذول کرانا جاهتا هوں ۔ اگریکلچرل گرین ( Agricultural grain ) کی قیمتیں اب بھی گر رہی ہیں اور انکی قیمتوں میں کمی کا امکان پیڈا ہو جائیگا کیونکہ تاجر ڈائرکٹ طور پر سیل ٹیکس ادا نہیں کریگا بلکہ وہ بھی کسانوں سے وصول کریگا ۔ اس طرح کا ٹیکس لگاکر پھرکس منھ سے آپ کسانوں کی تائید کرینگے ۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ ) کیا جائیگا ۔ اسکر جواب اسکو ملتوی کرنے کے لئے ایجیٹیشن ( Agitation میں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاھتا ۔ لیکن یه ان ڈائر کٹ ٹیکس ( Indirect tax ) ہے۔ اس کا اثرکن لوگوں پر ہونے والا ہے اس پر غورکئے بغیر ٹیکس عائد کرنا درست نہیں ہے ۔ اس سے کسانوں پز بار پڑیگا ۔ خود کسانوں کے فروخت کرنے کا جب زمانه هوتا ہے اوس وقت اتاج کی قیمتیں گری هوئی هوتی هیں ۔ جب پورا غله دیہات سے نکلکر شہروں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کسانوں کو خرید و فروخت کے لئر شہروں میں آنا پڑتا ہے لور اوس وقت اوسکو یه ٹیکس اداکرنا پڑیگا ۔ معمولی معاشیات کا اصول جاننے والے هي پر موقوف نہيں بلكه هر شخص جانتا ہے كه كسانوں كو جب دوبارہ ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ قیمت اداکرکے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے ۔ ایسی صورت میں اسکو بھی سیل ٹیکس ادا کرنا پڑیگا ۔ اس شیڈیول ( Schedule مرچ - املی وغیرہ جیسی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جن سے کسانوں کو روزمرہ کام پڑتا ہے ۔ وہ ان چیزوں کی حد تک خود مکتفی ہیں یہ غلط فہمی ہے ۔ وہ زمانہ اب نہیں رہا اب دنیا بدل گئی ہے ۔ دیہات کی زندگی بھی اب شہروں سے وابستہ ہوگئی ہے 🗜 شہروں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انکا اثر برابر دیہاتوں پر پڑتا ہے۔ شہروں میں کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو لازما دیہات میں بھی بڑھجاتی ھیں ۔ یہ شمجھا جا رہا ہے کہ سرچارج کی هم مخالفت کررہے تھیں لیکن اس بل کو ڈیکھنے کے بعد ایسا معلوم هوتا ہے کہ اس بل پر غور نہیں کیا گیاہے ۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ واڑی کا ٹکٹ لئے ہیں اور ورنگل جارہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بابا تم نے واڑی کا ٹکٹ لیاہے اور تم ورنگل جا رہے ہوتو اسکو ماننے کے لئے تیار نہیں ۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ تاجروں پر بھی اسکا اثر پڑنے والا ہے اور کسانوں پر بھی پڑنے والا ہے ۔ مٹھی بھر لوگوں کے فائلمے کے لئے حملہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا گرمی ہے ۔ اسطرح

سرچارج کو ختم کر کے عوام پر یہ ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ پورے حیدرآباد کی جنتا پر اسطرح سیاس ٹیکس عائد کرنا کسی طرح درست نہیں ہے ۔ ہی وجه ہے کہ هم اس بل کی مخالفت کررہے هیں ۔ نه صرف مخالفت کررہے هیں بلکه یازیٹیو سورسس آف انكم ( Positive Sources of Income ) بھى بتا رہے ھيں اورکنسٹر کٹیو سجیشنس ( Constructive suggestions ) بھی دے رہے ہیں گر بد تسمتی یه هے که اوس طرف کے آنریبل سمبرس کے کانوں تک وہ نہیں پہنچتے ہیں ۔ آنریبل فینانس منسٹر نے وعدہ کیا تھاکہ اگزمپٹیڈ گٹس میں اضافہ کرینگر اوراگریکٹیورل انكم ٹيكس كو هم مان لينگر ليكن دو سال هوئے اسكر باوجود اب تک ايسا بل نہيں لایا گیا ہے ۔ اوسکو ویسا ھی رکھکر سیل ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ اکسپورٹ کرنے والوں کو سرچارج کے ختم کرنے سے ریلیف مل جاتی ہے ایسی صورت میں اون هی لوگوں پر اسکا بار عائد کیا جائے تو هارے اعتراض کی نوبت هی بیں آتی ۔ بجائے اسکے جملہ نوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامے هم اختلاف کررہے هيں ۔ اکسس پرافٹ ٹيکس ( Excess Profit tax ) طور پر حکومت کوئی بل لاسکتی ہے اسی طرح اور بھی کئی سجیشنس ہوسکتے ہیں ۔ اسلئر میں کہونگاکہ جلدی میں اس بل کو پاس کرنے کی بجائے اسکو ملتوی کیا جائے۔ سرکاری خزانے کے نقصان کی بھرپائی کے لئے کئی ذرائع ہوسکتے ہیں اون پر ہم اور آپ ملکر غورکرسکتر ہیں ۔ ایجیٹیشن وغیرہ سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ایجیٹیشن ہو بھی توکیا ہے آپکر پاس تو دفعہ سہم، موجود ہے ۔ لیکن اوس سے کس حد تک ایجیٹیشن دب سکتا ہے یہ اور بات ہے۔ ہارے منتری منڈلی بھی ایسے ہیں که جنکو کمیونیزم ( Communism ) اور کمیونلیزم ( communalism ) کا فرق معلوم نہیں ہے ۔ اب بجٹ سیشن میں شائد آنریبل سمبر ہارے ساسنے آئینگے ۔ اسلئے هم كمه رہے هيں كه اسكو ملتوى كيا جائے۔ اتنا كمنے هوئے ميں ختم كرتا هوں ـ

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :۔ ہم پھر ہ ۔ . ہم کو ملینگے ۔

The House then adjourned for recess till Forty Minutes Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Forty Minutes past Five of the Clock.

## [Mr. Speaker in the Chair]

श्री. वि. कें. कीरटकर:---मिस्टर स्पीकर सर, जब मैंने सेल्स टैक्स का यह बिल हाअस में पैंक किया था असी वक्त मैंने जिस चीज को बहुत साफ तरीके से जैवान के सप्तमने रख दिया था कि वह कि कुछ मंजबूरी के तहत रखा जा रहा है। बहुत सी बातें मैंने साफ संस्कृ रखी थीं। जो अतराजात किये गये हैं अुनमें बहुत सी वही चीजें दोहराओं गओ हैं जो मैंने पहले से अंटीसिपेट (Anticipate) कर के अवान के सामने रखी थीं।

अंक महत्व की चीज जो अिस बारे में कही गाओं है वह यह है कि अिस बिल का अन्सिडन्स आि सिर किन लोगों पर पडने वाला है, और सरचार्ज और कस्टम का जिन्सिडन्स किस पर था। मुझे
अच्छी तरह से याद है कि जनरल बजट की बहस के दौरान में अस तरफ से और अस तरफ से, दोनों
तरफ से अिस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि सरचार्ज और कस्टम का जितना भी बोझ है
वह काश्तकारों पर पडता है, और किसी पर नहीं पडता। बहरहाल अस वक्त भी मैंने कहा और
मेरे पहली स्पीच में भी मैंने कहा था, असी को फिर अस वक्त भी कहने की जुरंत करता हूं कि किसी
भी टैक्स का अन्सीडन्स अकदम किसी अंक तबके पर कभी नहीं पडता। सरचार्ज और कस्टम
का बोझ भी अस वक्त कुछ बाहर के लोगों पर पडता था, कुछ काश्तकारों पर पडता था और
कुछ व्यापारियों पर पडता था। अस तरह से मैंने अर्ज किया था कि यह जो सेल्स टैक्स लगेगा
असका बोझ भी किसी अंक खास तबके पर पडनेवाला नहीं है। अससे अंक तो तबका बदल खाता
है, और दूसरा जैसा होता है कि पहले जो थोडीसी तादाद पर टैक्स था वह बहुत बढी तादाद पर
फैल जाता है, और असका परिणाम यह होता है कि जो थोडीसी तादाद को महसूस होता था वह
अब महसूस नहीं होगा। मैंने यह भी कहा था कि असी लिये यह टैक्स अंक तरहसे मुन्सफाना
टैक्स है, और अब भी भेरा विचार यही है। क्योंकि जैसा कि विरोधी दलके नेताने कहा १४ अन्ते
पर हैड पडेगा, मुमिकन है १२ जाने पर हेड पडेगा।

में ने हाअ समें कहा था कि अस डैक्स से होनेवाली पूरी आमदनी करीब १ करोड २८ लास है। अस वक्त जो डैक्स हम छोड रहे हैं वह अक करोड ७८ लास छोड रहे हैं, और अनकरीब में बाकी बचा हुआ २२ लास भी छोड देंगे। असके लिये में ने हाअ स के सामने रखा था कि अस तरफ की पार्टी का बहुत ही ज्यादा असरार है कि जो छोटा सा टैक्स रह गया है असके लिये भी ६ महीने तक अन्तजार मत की जिये, और जितनी जल्द हो सके अतनी जल्द असको निकाल दिया जाय। बहुत से लोगों ने अशारतन भी कहा है कि डिसेंबर के आगे नहीं जाना चाहिये और में भी असके लिये बराबर को शिश करूगा।

हाअस के सामने यह रखना चाहता हूं कि अस टैक्स की तरफ किस लाखिट में देखना चाहिये। असमें दो करोड का टैक्सेशन छोड दिया जा रहा है, और सिर्फ १ करोड २८ लाख के टैक्स का अन्तेजाम किया जा रहा है। असके माने यह हो जाते हैं कि करीब करीब ७२ लाख टैक्स कम लिया जायगा। अस लाखिट में लें तो आपको यह ज्यादा आक्षेपाई नहीं मालूम होगा।

जिसके बारे में यह भी कहा गया कि टैक्सेशन के लिये दूसरी कोजी चीजें आप क्यों नहीं देखते? मैंने पहले अर्ज किया था कि कम से कम मुझे १ करोड ७८ लास की रकम किस तरह से पूरी की जाय असके लिये कोजी चीज नजर नहीं आजी। अक क्काने अंग्रीकल्चरल जिनकम टैक्स जीर अक्सेस प्रॉफिट टैक्स के बारे में कहा। अंग्रीकल्चरल जिन्कम टैक्स बढायें तो बहुत थोजी अंभदनी होगी, और अक्सेस प्रॉफिट टैक्स अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जुसका कोजी मामल्य हमारे सामने अभी नहीं है। यह भी कहा क्या कि गवनंगेंट ऑक जिडिका से बाट क्यों केंद्री केंद्री जब कि फायनान्शियल जिटीग्रेशन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है ? असके लिये में जितना ही जर्ज कर सकता हूं कि जिसके बारे में आपस में कुछ मुहाजिदे हुओ है। जिस वक्त वे हुओ अस वक्त जैसा आप समझते हैं वैसा में भी समझता था कि हमारा हिस्सा जितना मिलना चाहिये था अतना नहीं मिला है, और असके लिये आपको मालूम है कि पिछले साल जो जिनकम टैक्स कमीशन अन्ववायरी के लिये यहां आया था कि किस तरह से असको बांटा जाय, तो हमारी गवन मेंट ने अपना कलेम अनके सामने रखा था, और असका नतीजा यह हुआ कि अस वक्त हमारी ग्रांट करीब अक करोड़ से बढ़ा दी गश्री थी, और वह जिस वक्त भी ज्यादा हुओ है। अब जिन चीजों की वजह से ग्रंट कितना बढ़ाया जा सकता है यह सवाल रहा। में आपकी जिनफरमेशन के लिये रखना चाहता हूं कि जिसके लिये खास तरीके हैं। कान्स्टीटय्शन के तहत फायनान्स कमीशन पांच पांच साल के लिये मुकरेंर होता है, अस वक्त हम अपना क्लेम अनके सामने रख सकते हैं। यह क्लेम जरूर रखा जायगा और यह भी में आपकी जिनफारमेशन के लिये रख सकता हूं कि यह फायनान्स कमीशन बहुत मुमिकन है पांच साल के पहले भी मुकरेंर किया जायगा, और मुझे अम्मीद है कि पिछले साल के कमीशन में जिस तरह से हम यशस्वी हुओ असी तरहसे जिसमें भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वह अक आनेवाली चीज है।

अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि असेहि अक दूसरे मामले के तहत में जब केन्द्र सरकार के पास गया था तो अन्होंने असको बहुत सहानुभूति के साथ सुना, और हमारी लाय-बिलिटी ( Liability ) फायनान्शियल जिटीग्रेशन ( Financial Integration ) के वक्त जितनी कायम की गओ थी अससे बहूत कम कर दी गओ है, और असमें करीब करीब १५ करोड का फायदा हुआ है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: — क्या जिसकी वजह से डेट ऑफ रिडम्शन क्या होगा और जिटरेस्ट क्या रहेगा जिन नीजों को वाजे किया जा सकता है?

श्री वि. के कोरटकर:—अिसका पूरा ब्यौरा अभी मेरे पास नहीं है। आपने कहा था कि बंसी कोशिश क्यों नहीं करते, तो मैंने जाहिर किया है कि अस तरह की कोशिश की जा रही है और की जायगी। कोशिश करना सभी का काम है क्योंकि जो पैसा बनेगा वह हमारे लिये-बनेगा। लेकिन अिसका पूरा ब्यौरा बजट के वक्त हाअस के सामने रखूगा कि डेट ऑफ रिडम्शन, के लिये कितना जायगा, और हमारे पास कितना बनेगा वगैरा। क्यों कि अभी हिसाबात होने के-हें लेकिन प्रिन्सिपल तय हो क्या है। सादे तौरपर मैंने हिसाब लगाया है कि हमारी लायबिलिटी करीब १५ करोड से कम हो जायगी। अन चीजों को केन्द्र सरकारने भी सहानुभूति से सुना है।

यह जो कहा जाता है कि ग्रान्टके लिये मैंने नहीं कहा है तो वैसी बात नहीं है। मैंने यह चीज गवनंगेंट गॉफ जिंडिया के सामने रखी थी। दूसरे भी स्टेट जिनके सामने कस्टम का सवाल है अन्होंने भी कहा था कि ग्रांट ज्यादा दी जाय। केन्द्र सरकार का जिसके लिये अक ही आर्ग्यूमेंट बा कि ग्रांट दी जाय यह कहना सहल है मगर सही नहीं है। क्योंकि आखिर वह भी कहां से देंगे? कोवी भी गवनंगेंट लोगों पर टैक्स लगाकर ही दूसरों को ग्रांट देगी। जिसके माने यह है कि गवर्न-केंद्र कांक्र जिंडिया लिंड्स्तान के दूसरे लोगों पर टैक्स लगायें और असमें से सक्वा करोड़ रूपया हमकी दें। में समझता हूं कि अनका यह जवाब बिल्कुल सही है कि दूसरे लोगों पर टैक्स लगाकर आपको ग्रांट नहीं दी जा सकती। अिन चीजों के लिये आपको अपना पैसा खुद मुहैया करना पडेगा।

यह जो दस पांच चीर्जे कही गश्री थी अनको मैंने हाअस के सामने रख दिया है। अक चीज पर जोर दिया जा रहा है और वह है सिंगल पाँजिट सेल्स टैक्स और मल्टीपल पाँजिट सेल्स टैक्स। मैंने बहुत वक्त हाअस के सामने रखा है कि मेरी आत्मा अिसके लिये पूरी तरह से खुली है। बंबशी और मैसूर में जो दो कमेटियां मुकर्र की गश्री थीं अनकी रिपोर्ट को मैंने पूरी तरह देखा है। अनका मतलब यह है कि सिंगल पाँजिट सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स खो जाने के बहुत चान्सेस है।

हमारे देशमें दो तरहके स्टेटस हैं। कुछ स्टेटस असे हैं जिनको सेल्स टैक्स की आमदनी की फिकर नहीं है जैसे मध्यप्रदेश है, जहां सरप्लस बजट है, अनको ज्यादा फिकर नहीं है। लेकिन जिन स्टेटस को अपनी आमदनी सेल्स टैक्स से बढाना है अनको मन्टीपल सेल्स टैक्स के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बक्त कहा जाता है कि बंबओं में सिगल पाजिट सेल्स टैक्स है, लेकिन असमें असलियत नहीं है। बहुं पर भी दो पॉजिंट पर टैक्स है। वहां के ओहदेदार भी बडे परेशान हैं कि असको किस तरह से लागू किया जाय। अनके ही बनाये हुये नियम अनके खिलाफ जा रहे हैं। में अतना रख सकता हूं कि बंबओं में भी सिगल पॉजिंट सेल्स टैक्स सब बीजों पर नहीं है। मेरी आत्मा अभी भी खुली है। अस बक्त में असके तफसील में नहीं जाता लेकिन अतना कहना चाहता हूं कि अगर अक रजिस्टर्ड डीलर पहला टैक्स टालता है तो असको तो वह खरीद दारसे मिलता है परन्तु सरकारमें जमा नहीं होता। मेंने अन दोनों रिपोटों को अपनी पार्टी के लिये मंगवाया है। में अस बात की कोशिश करूंगा कि ये दोनों रिपोटेंस लीहर ऑफ अपोजीशन के पास भी पहुंच जायें।

असके बाद मैंने मर्चंटस् से भी कहा था कि आप अंक स्कीम बनाकर दीजिये जिससे टॅक्स कें टालने का मौका न रहे। में असको मानने के लिये तैयार हूं। अस तरफ से केरोसीन के बारे में अंक कटमोशन रखा गया है। कटमोशन के वक्त में असके बारे में तफसीलसे बहस करूंगा। जिस वक्त जितना ही कहुंगा कि केरोसीन पर सिंगल टैक्स मानने के लिये मुझे कोजी बादा नहीं है। अस पर सिंगल टैक्स बराबर आयद किया जा सकता है, असको में मानता हूं, और असलिये आपका कटमोशन भी में कबूल कर लूंगा।

अंक महाशय ने इन्ह भी कहा था कि अिस वक्त हमें सोचना चाहिये कि दरामद किस तरह रोकी जाय। तो में कहना चाहता हूं कि अिस वक्त यह कान्स्टीटयूशन के खिलाफ है। दरामद बरामद को अंक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में नहीं रोका जा सकता। जब तक कान्स्टीटयूशन है और जब तक घंदे की स्वतंत्रता है, अस वक्त तक यह नहीं रोका जा सकता, और बुस वक्त तक हमारा अधर रूझान भी नहीं हो सकता——

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—आप जिस बात को वाजे कीजिये कि जनाज पर सिर्फ मार्केट में ही टैक्स लिया जाया, वह किस तरह लिया जाया।? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स यह कह रहे थे और श्रायद आपने भी कहा था कि सिर्फ मार्केट में अनाज पर टैक्स लिया जाया।

श्री. वि. के. कोरटकर: — यह परचेस टैक्स रहेगा जैसा कि अस वक्त अंग्रीकल्चरल प्रोडयूस पर लिया जाता है और आपको अस बात का डर था कि यह टैक्स शायद पांच छः जगहों पर लिया जायगा। अंग्रीकल्चरल प्रोडयूस के सेल्स टैक्स के बारे में हमारा जो तजरूबा है यह पांच छः जगहों पर कहीं भी नहीं लिया जाता। होलसेल डीलर और रीटेल डीलर से लिया जाता है। लेकिन असमें अक चीज हमारे सामने रखी गश्री और वह महत्वपूर्ण है कि हॉटेल में खाने की चीजें पकाश्री जाती हैं तो अस पर भी टैक्स पड़ेगा। होटलों पर हमने अभी तक कोश्री टैक्स नहीं रखा है। अनके लिये लायसेन्स फी अलग रखी गश्री है, क्योंकि अनके लिये लायसेन्स फी है, और असको बढ़ाने का अरादा हो तो वह हम अडिमिनस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते हैं। असलिये अस पालिट पर में जरूर सोचूंगा अतनाही कहना चाहता हूं। होल सेल डीलर अगर रीटेलर को बेचता है तो टैक्स रीटेलर से लिया जायगा, लेकिन कमीशन अंजंट पर कोशी टैक्स नहीं रहेगा। अन पर परचेस टैक्स नहीं है। होलसेल डीलर जहां खरीदेगा वहां अक पाँजिट लिया जायगा। अन कमोडीटीज के सेल्स टैक्स जिस तहर वसूल किये जाते हैं असी तरह से काश्तकारों से वसूल नहीं किया जायगा। अन्त कमोडीटीज के सेल्स टैक्स जिस तहर वसूल किये जाते हैं असी तरह से काश्तकारों से वसूल नहीं किया जायगा। अन्त कमोडीटीज के सेल्स टैक्स जिस किय अस बिल में कोशी चीज नहीं है।

आखिर में में अर्ज करूंगा कि अस बिल के विवाद को मुल्तवी नहीं करना चाहिये। असमें अक बड़ा अच्छा पॉअंट लाया गया है कि १ करोड ७८ लाख की आमदनी गव्हर्नमेंट ने छोड़ी है और असके बजाय १ करोड २८ लाख का टैक्स लगाया है।

# Mr. Speaker: The question is:

· "That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a first time."

The Motion was adopted.

Shri. V. K. Koratkar: I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a secon time"

Mr. Speaker: Motion moved.

Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir. I wish to move a Motion under Rule 115 of the Hyderabad Legislative Assembly Rules to the effect that this Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon within four months.

Mr. Speaker: Yes. The hon. leader of the Opposition can move it by way of an amendment to the motion already moved by the Member-in-charge of the Bill.

Shri V. D., Deshpande: I beg to move.

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (2nd Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion theron, within four months."

Mr. Speaker: Amendment moved.

श्री. व्हीं डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन अभी अस बिल के सेकंड रिडिंग के लिये पेश हो रहा है, असके पहले मैंने फायनान्स मिनिस्टर साहब की तकरीर काफी गौर से सुनी। लेकिन में अनकी तकरीर से मुतमेन न हो सका, और मैं यह महसूस कर रहा हूं कि अस बिल को अतनी अजलत के साथ मंजूर न कराया जाय। आज आप तमाम अनाज सुरदनी पर टॅक्स लगा रहे हैं जिसका संबंध तमाम अव्वाम से आता है। असे टॅक्स को हम कबूल नहीं कर सकते और न अव्वाम असे कबूल कर सकती है। बहुत कुछ आरग्यूमेंटस (Arguments) रखें गये थे लेकिन असके सिलसिले में मुझे अक किस्सा याद आरहा है कि अक आदमी के हाथकी जवीरें छोडी गशीं लेकिन असके पैर में जंजीरें डाल दी गशीं, वैसा ही यह किस्सा हुवा है। आपने सरचार्ज और कस्टम को हटा दिया लेकिन सब अनाजों पर सेल्स टैक्स लगाकर कॉमन मेंन के पैर में जंजीरें डाल दी हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :--काश्तकारों के पैर में नहीं हैं।

्श्री. व्ही. डी. देशपांडे:--आप अगर अनुके हाथ में जंजीरें रखते तो कुछ नही होता लेकिन आज तो आप अनुके हाथ की जंजीरें तोड कर अनुके पैरों में जंजीरें डाल रहे हैं। आपका जो १ करोड और ७८ ल ख का डिफिसिट हैं, जिसमें बीस लाख का कस्टम का जाता है, यह डिफिसिट कैसा पूरा किया जाय, यह आपके सामने सवाल है। असको हल करने के लिये आप आवाम के अनाज खुर्दनी पर सेल्स टैक्स आयद करना चाहते हैं। हुकूमते हिंद का जो अिसेन्सिशियल गुर्स अंक्ट (Essential goods Act) है असमें जो चीजें आती हैं असपर टॅक्स नही लगाया जा सकता। रे लेकिन आपने गव्हर्न मेंट ऑफ अिडिया से असके लिये अिजाजत मांग ली है और आज आप तमाम अँक्वाम पर अिसके जरीये टैक्स लगा रहे हैं। कस्टम्स और सरवार्ज निकालने के बाद जो डिफि-सिट आता है असे पूरा करने के लिये आपको जिस टैक्स के लगाने की जरूरत नही थी। असके लिये आप दूसरे भी जरिये ढूंड सकते थे। मुझ को अगर पूछा जाय तो में कह सकता हूं कि हुकूमत चाहती तो दूसरे जरिये बराबर ढ्ंड सकती थी। लेकिन वह चाहती नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ कि आज अ।वाम के फुड पूर भी सेल्स टैक्स बैठ रहा है। आज मुआविजे के तौरपर काफी रकम हुकूमत को देनी पड रही है। असी तरह जो प्रिवी पर्स (Privy purse) दी जा रही है असे भी कुछ कम किया जाय तो आपको कुछ रकम हासिल हो सकती है। अस्के बारे में हैदराबाद सर-कार को सोंचना चाहिये। १ करोड ५८ छाल का जो डिफिसिट आ रहा है असको पूरा करने का सवाल हमारें सामने है। आज आप निजाम को प्रिव्ही पर्स के तौर पर ५० लाख रुपया दे रहे हैं। हमारा तो कहना है कि असे कतश्री देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिसे नहीं मानेंसे लेकिन असमें से भी पांच दस गाय तो आपको ३०-४० लाख रुपये मिल सकते हैं। असी तरहसे काँपेन्सेशन के बारे में जो अप्रिमेंट ( Agreement ) या मुहाअदा जागिर-दार या जमीनदारों से हुकूमत का हुवा है अुसे भी हालात के लिहाज से रिवाअिज (Rev.se) किया जा सकता है। यह जो कॉम्पेनसेशन हुआ है असे आप अक बटे चार पर लाकर कम करें तो आपको और कुछ रकम मिल सकती है। डेट्स ( Debts ) रिझमशन (Resumption) के लिये जो रकम रखते है वह भी कम की जा सकती है। अस तरह से यह जो १ करोड और ५८ लाख की कमी बताओं जा रही है असे पूरा करने के लिये अलग अलग रास्ते सोंचे जा सकते हैं। आज का जो हमारा टाँप हेवी अडिमिनिस्ट्रेशन हैं अुसमें यदि कुछ कमी की जाय तो और भी रकम हमें मिल सकती है असपर भी अगर यह जो डिफिसिट है व पूरा नहीं हो सकता है तो फिर वैसी हालत में नये टॅक्स आयद करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन में समझता हूं कि अकदम पहले ही अस तरह से अनाज खुरदनी पर टॅक्स लगाना मुनासिब नहीं है। अगर हम टॅक्स बाद में लगाना चाहिंगे तो दूसरे जराये टॅक्स के निकालने चाहिये, न की आवाम के आम चीजों पर जरूरियात जिंदगी पर टॅक्स लगा दिया जाय। लेकिन अस तरह से अंडायरेक्ट टॅक्सेशन (Indirect Taxation) का असूल ठीक नहीं हो सकता। यह प्रोग्रेसिव्ह स्टेप (P. ogressive step) नहीं हो सकती है। जब आप ने सरचार्ज और कस्टम खतम किया है और आप जब अक नया टॅक्स लगाना चाहते हैं जो की सारी अव्वाम पर असर करता है तो अिस बिल को अिस सेशन में लाने के बजाय बजेट सेशन के वक्त लाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। बजेट सेशन के वक्त गुन्हर्नमेंट की जो नश्री पालिसी होती है वह सामने रखी जाती है और अस वक्त ज्यादा सींचने का मौका मिलता है। असे भी आम बजेट सेशन के वक्त सामने रख सकते थे लेकिन असे १२ सितंबर को हाज्स में पेश किया गया और आज असे पास करवाने के लिये कहा जा रहा है। जब अक मजीद बडा टॅक्स करीब डेढ करोड का आयद और यह टॅक्स आंम अव्वाम पर लादना चाहते हैं तो अनकी राय लेना जरूरी था। लेकिन वह नहीं ली जारही है और आप का गढा बन्द करने के लिये अपने भाओ को गढे में डाल रहे हैं। यह आप की पालिसी ठीक नहीं है। यह स्थाल किया जा रहा है कि अगर यह बिल कल पास न किया जाय तो हमारे कस्टम और सरचार्ज जो कि बार्डर डिस्ट्क्ट के लोग खतम करना चाहते थे वह खतम नहीं होंगे, अस लिये अस बिल को आज ही पास कर देना चाहिये। लेकिन मैं कैंहनी चाहता हूं कि असका अस बिल से कोशी तालुक नहीं है। गव्हर्नमें ट ने तो पहले ही अलान कर दिया है कि अक्टूबर से हम सरचार्ज और कॅस्टम खतम कर रहे हैं और वह तो अन्हे किसी हालत में करने ही पडेंगे चाहे यह बिल आज यहां पास हो या न हो। अस बिल के आज पास होने या न होने का अससे कोजी तालुक नही है। अससे जो डिफिसिट आनेवाली है असके बारे में हम काफी संजीदगी के साथ सोंचने की जरूरत है और असके बारे में अव्वाम की क्या राय है यह भी मालुम कर लेना चाहिये। अिसको पूरा करने के लिये और भी चीजें में आप के सामने रखना <del>चाहता हूं। मैं ने अँग्रिकल्चर</del>ल अिनकम टॅक्स के बारे में कहाथा कि आज जो १० हजार **रु**पये कें बूपर विश्विकत्वरल जिनकम टॅक्स लगाया जा रहा है जुसे अगर ३६००की आमदनी पर रखा काम तो मुत्ताविक होगा। सिलिंग के लिये भी हमने यह आमदनी रखी है। जिससे हमारा ज्यादा फायदा होगा और अंग्रिकल्चरल अनकम टॅक्स हमें ज्यादा मिलेगा।

अब अस त्रिल के जरिये जिन चीजोंपर सेल्स टॅक्स लगाया जा रहा जिसके बाद अब असी कौनसी चीजें बची हैं कि जिनपर अबतक सेल्स टॅक्स नहीं लगाया गया। करीव करीब आपने सभी चीजोंपर सेल्स टॅक्स लगाया है। अब सिर्फ अफीम, गांजा, ओपियम, और खादी का कपडा औमी ही चीजें अिस सेल्स टॅक्स से बची हैं। बाकी तमामपर सेल्स टॅक्स लग चुका है। जो मेल्स टॅक्स जंग के जमाने में अमरजन्सी ( Emergency ) के तौर पर लगाया गया असे अब Regressive tax कानृन बनाया जा रहा है। यह अके रिग्नेसिव्हटॅक्स ( यह अंक रिग्रेसिव्ह टैक्स माना गया क्योंकि तमाम जनता को असे देना पडता है। लेकिन अस तरह का जो रिग्रेसिव्ह टैक्स है असे आज के डेमोक्रिटक मेट अप ( Democratic set u ) ) में लगाना मुनासिब नहीं है। अस तरह का रिग्नेसिव्ह टैक्स लगाकर हुकूमतसे मुल्क की तरक्की कैसे अम्मीद कर सकते हैं ? मैं समझता हूं की हुकुमत को अिसके बारे में ज्यादा सोंचना चाहिये ! अस लिये यह जो बिल पेश किया जा रहा है असे पब्लिक ओपिनियन (Public opinion) के लिये भेजने की जरूरत है क्योंकि अस बिल के जरिये से हम तमाम अब्बाम पर अक बडा टैक्स आयद कर रहे हैं। हम असे बेनारियों के सामने भी रख सकते हैं कि हमारा कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से जो नुकसान हो रहा है असे पूरा करने के लिये आप कुछ रास्ता सुझाओये। अनके सामने यदि अन चीजों को रखा जायतो वे भी असके बारेमें सोंच सकते हैं और अपनी राय हक्मत को दे सकते हैं। अब तक सेल्स टैक्स से जो रकम वसूल हुओ है वह ६० लाख से ज्यादा है। असे मौके पर अिसके बारे में तमाम लोगों को सोंचनेंका मौका देना चाहिये। मैंने तो यह भी सुना है कि काँग्रेस पार्टि के कुछ अम अल. अंज. ने भी यह सुझाया था कि कम से कम जवारी. चावल असी चीजों पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय तो ज्यादा मुनासिव होगा, क्योंकि यह बिलक्ल आम जनता का फुड है। असके बारे में सोचना जरूरी था। लेकिन सबको अक ही लाठी से रास्ते पर लाने की कोशिश की जारही है, और सब के लिये अंक ही टैक्स आयद किया जा रहा है। लेकिन असके लिये तो जरूर सोंचा जाना चाहियेथा। आज लोगों की परचेजिंग पाँवर (Purchasing power) कम हो गओ है, जिस लिये बाजारों में अनाज के भाव कम हो रहे हैं। आप यदि अन अनाजों पर टॅक्स आयद करेंगे तो जनता भूखे रहकर आपके टैक्स देगी। आज यदि वह ६ औं स खाती है तो कल ५ औं स खायेगी और आपके टैक्स देगी। जिसलिये मेरा कहना है कि असको पब्लिक ओपिनियन अिलिसीट ( Elicit ) करने के लिये मेजा जाना चाहिये। हाअ्स ऑफ पिपुल में भी अिस तरह का प्रोसिजर ( Procedure ) है और जब कोओ अहम बिल, बाता है, जैसे हिंदू कोड बिल था, तो वह अन्वाम के ओपिनियन के लिये मेजा गया था और अव्वाम की असपर क्या राय है यह पहले जान लिया गया था। असी तरह मेरा यह मुझाव है कि अस बिल को भी पब्लिक ओपिनियन अिलिसीट करने के लिये मेजा जाना चाहिये और बाद में तीन चार महीने के बाद असको लिया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि टैक्स अिन्क्वायरी किमटी जो अपॉअंट की गत्री थी क्या बुसकी रिपोर्ट गव्हर्नमेंट के पास आश्री है ? और अन्होने जो सिकारिशात की असमें क्या यह भी सिकारीश है कि अन चीजों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है ? अगर अभी तक रिपोर्ट नही बाजी हैं ती बिसे पास करने की अितनी जल्दी क्यों को जा रही है ? मेरा सुझाव है कि असे फर्ट्स रिडिंग के बाद ही अब पब्लिक ओपिनियन अिलिसिट करने के लिये भेजना मुनासिब होगा। मैं अुमीद करता हूं कि फायनान्स मिनिस्टर साहब मेरी अस सूचना को मान लेंगे और अित बिल को मुल्तवी कर देंगे।

श्री. वि. के. कोरटकर:—अध्यक्ष महोदय, अभी जो मोशन हाअुस के सामने आया है अुसका में विरोध करना चाहता हुं। मैंने कश्री मर्तबा कहा है कि हमने जो सरचार्ज या कस्टम निकाले वह कोश्री दिखावट के लिये नहीं निकाले किंतु पब्लिक की बहुत दिनों की यह मांग थी। और अनके दबाव के कारण हम श्रिसे निकाल रहे हैं। अुसकी वजह से जो नुकपान होनेवाला है अुसे तो पूरा करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट का खर्चा चलाना तो लाजमी है। अगर असि कमी को अभी तुरंत पूरा निक्या जाय तो स्टेट का खर्चा चलाना नामुमितन है। असि लिये यह बिल जितने जल्दी आपके सामने रखा जा रहा है। हभारा बजेट पहले से ही घाटेका है। हमारे बजेट में करीब १ करोड का घाटा तो रेव्हेन्यू साजिड में है और ७० लाख का घाटा कॅपिटल अकाअुंट्स में है। अस तरह से करीब दो करोड का तो पहले ही घाटा है। अुसके अंदर यदि अंक करोड और अठ्ठावन लाख का यह जो घाटा आ रहा है असे भी जोडा जाय तो फिर गव्हनेंमेंट का कम चलाना बडा मुक्लिल हो जायेगा। जिस लिये में दरखास्त करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है असे असी सेशन में मंजूर किया जाय। नहीं तो हमें बडे तकालीफ का मुकाबला करना पड़ेगा, और हमारा खर्चा चलाना नामुमिकन होगा।

Mr. Speaker: I shall now put this amendment to vote. The question is:

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, within four months."

The motion was negatived.

Shri Annajirao Gavane: Mr. Speaker, Sir. I demand a division.

The House then divided:

Ayes 33 Noes 41.

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

The motion was adopted.

#### Clause 2.

Shri V. D. Deshpande: I beg to move:

"That in line 6, for 'six', substitute, 'three'."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Ch. Venkat Rama Rao (Karimnagar): Sir, I beg to move:

"That after line 8, add:

'(ix) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Officeal Gazette'."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande: Sir, I beg to move:

"That after line 8, add:

'(ix) So much of the turnover as is attributed to transactions in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette".

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh need not move his amendment as it seeks to omit the clause.

Shri V. D. Deshpande: Sir, I moved my amendment very reluctantly and to make the best of the worst situation. I am opposed to this Bill; but, at the same time, I want to modify it if possible so as to make it less cumbersome to the common man; and from this point of view, I have given my amendment, namely, to substitute 3 pies in the place of 6 pies.

As it stands now, the clause reads thus:

"So, much of the turnover as is attributable to transactions in cotton including kapas shall be liable to tax at the rate of six pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette."

Here, the tax to be levied on cotton and kapas is suggested at the rate of 6 pies in the rupee and I am suggesting 3 pies, in view of the fact that the textile industry in Hyderabad and the Handloom industry in Hyderabad utilise cotton and kapas. Now due to the removal of surcharge, the kapas and cotton will be demanded more and more outside and there will be dearth of it in the textile mills in Hyderabad and also for the handloom industry. Naturally, prices in Hyderabad will go up. Added to this, the sales tax, as it isproposed here, will make the cloth here costlier and the cloth which is the common man's goods should be within his reach. Therefore, I firstly feel that there should be no tax on cotton and kapas as such because after it is turned into cloth it is already made taxable. The very commodity will thus be taxed twice-once as a raw material and again when it is turned into cloth. This injustice, I am of the opinion, is not warranted by the situation. There is another amendment opposing the very clause as such But my amendment is a reasonable one or appears to be a reasonable one at least by suggesting 'let the tax be there, but let the rate be 8 pies instead of 6 pies'.

That is the amendment that I have proposed.

My second amendment is regarding kerosene. Hon. Minister for Finance has assured me that he will have no objection to accept my amendment. Its reasonableness is quite evident to the members in view of the fact that before I moved it the hon. Finance Minister felt agreeable to it. I need not dilate on that point as such. But as I have earlier expressed the view, kerosene also is a common man's commodity and its taxing will interfere with the light facilities that ought to be available in the Taluk and District places to the common man. It is the common man who uses kerosene in large quantities and if the Government cannot give them more light, it should not at least deny them the existing light. This tax on kerosene amounts to denying light to them or rather reducing the facility of light to the common man and if on any day either on the eve of the election or defined the course of the election the villagers or people in this places or such places where electricity is not available remember the Government, it is with this sentiment that this is the Government which has meant for them little more darkness and little less light. I do think the Government will have to go to the electorate if not immediately, at least after 2 years, or even if they are postponed for a time due to the exigencies of linguistic states, sometime thereafter; and in due course they have to reply to the common man in whose small pocket the franchise resides; and in order to save the position of the Government to some extent and in order to enable the common man feel that the Government has not cut the light completely but only partially, I have brought forward this amendment and I think the Government will have no objection to accept my amendment regarding kerosene.

About the other amendment, I will simply say one thing about it. My suggestion is that cereals etc. should not be taxed and I have made myself clear on that point. If it is to be taxed, it should not be taxed more than once and that taxing should be only in such markets as are prescribed. The Government should announce that in certain markets, say, Jalna, Latur,, etc. those commodities which come there for sale alone would be taxed and they will not be taxed ordinarily in the markets, in the ordinary retail shops of retail shop-keepers or when converted into the forms of attas or in the form of certain eatables in hotels. All these stages should be removed and the tax should be restricted to such markets as are prescribed. The hon. Member who has moved the amendment will make the point further clear.

I, therefore, request the hon. Finance Minister to think tentimes before rejecting this particular modification of the tax which the hon. Member has proposed.

\*شری سی ایچ - وینکٹ رام راؤ : - سٹر اسپیکر سر - اس ٹیکس کے تعلق سے پخور کزیں تو اس چیز کو ماتنا پڑیکا کہ یہ ٹیکس دو اشخاص پر عائد ہوگا ۔ ایک کنزیوم (Consumer) اور دوسرا پروڈیوسر (Producer) جنرل ڈسکشن میں آفریبل منسٹر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دوسرے لوگوں پربھی اسکا اثر پڑسکتا ہے ۔ لیکن میں کہونگا کہ دوسروں پر اسکے اثرات پڑنے والے نہیں ہیں صرف کنزیوم اور پروڈیوسر پر ھی پڑینگے ۔ اودھر کے آفریبل معبرس نے جنرل ڈسکشن کے وقت یہ کہا ہے کہ اس بل کا سواگت کونا چاہئے تھا بجائے اسکے اپوز (Oppose) کیا جارہا ہے ۔ اور عنص ایجیٹیشن کی خاطر دھول اچھالنے کی کوشش کی جا رھی ہے اور تائم مانگا جا رہا ہے کیے اس بل کا سواگٹ کینی افلہ آفریبل معبرس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح معاملات پر ڈھام کی رائے کو

يكجا كرناكوئي غلط طريقه نهين هے \_ هم اس پر فخر كرتے هيں كه يه كام هم كررہے ھیں ۔ ھم عوام کے المئندے ھیں اور اسی لئے یہاں آئے ھیں که صحیح باتوں کے ستعلق عوام کی رائے کو یکجا کریں ۔ ہم یہ کام بجا طور پرکورہے ہیں۔ میں اپنے امنڈمنٹ کے سلسله میں صف صاف طور ہر یه بتانے کی کوشش کرونگا که ایک چیز پر کتنی جگه سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ جسطرح ابل کی موجودہ صورت ہے اگر اسکو منظور کرلیا جائے توکتنی جگہ ٹیکس دینا پڑیگا۔ مثال کے طور پر میں دھان کا ذکر کرونگا۔ دهان تیار هوتے هی فروخت کیا جائیگا اوسکو ایک شخص لیگا وہ ٹیکس اداکریگا ۔ لازمي طور پر قیمت کا تعین وه اسطرح کریگا که اوس میں سیل ٹیکس شامل هوگا۔ اسکے بعد وہ دھان چاول کی شکل اختیار کرلیگا ۔ تاجر خریداینگے اور اسکو چلر فروش کو بیجے گا ۔ ایسی صورت میں تاجر چلر فروش سے سیل ٹیکس لیگا ۔ اسکے بعد چلر فروش چاول کھانے والوں کو فروخت کریگا اور اون سے سیلٹیکس لیگا۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ اسکا اثر راست طور پرکنزیومرس پر پڑیگا ۔ یا جو لوگ چوڑوا ۔ مرمرے وغیرہ تیار' كرينكم تو ان پر يه ٹيكس عائد هوگا ـ آثا تياركرينكم تو ان پر عائد هوگا اور بالاخر. کھانے والوں پر اسکا اثر پڑیگا ۔ ہوٹل میں ریفرشمنٹ ( Refreshment ) تیار ھونگے تو اون کو دینا پڑیگا ۔ بہرحال کنزیوم*ی* پر بار بڑیگا یا پروڈیوسر پر ۔ اسطزے گویا آپ پانچ چھ جگہ سیلس ٹیکس لینگے ۔ اورکنزیومی پر اسکا بار بڑھتا جائیگا ۔کیا ان هی حالات کی موجودگی میں آپ هم سے خواهش کرتے هیں که هم اس بل کا . سواگت کریں اور آپکو مبارکباد دیں ۔ ہارا یہ مطالبہ بالکل واجبی ہے کہ اس پر بعد میں سوچا جائے۔ چنانچہ ہم نے آلٹرنیٹیو امنڈمنٹ ( Alternative amendment ) بھی پیش کیا ہے ۔ پانچ چھ مرتبہ کنزیومر اور پروڈیوسرکو جو سیل ٹیکٹس دینا پڑ رہا ہے یہ درست نہیں ہے ۔ جہاں تک مجھے علم ہے آپکو آپکر اڈوائزر نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ حیدرآباد کے عوام اب اسکر متحمل نه هونگر که ان پر مزید ٹیکسس عائد کئے جائیں ۔ جب ایک مرتبه کوشش کی گئی اور آپ نے نہیں مانا تو هم نے الٹرنیٹیو امندمنٹ پیش کیا ہے۔ تاکه کسانوں پرکم سے کم بار عائد ہو ۔ کم سے کم ایک . مپوائنٹ پر سیاس ٹیکس ہو اور وہ تین پائی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ جتنا پیسہ آپکو ملتا چاهئر نہیں ملیکا۔ تین پائی رکھینگر تو بار تو ہوگا لیکن پھر بھی کم ہوگا۔ اسلنے وہ برداشت کرنے کے قابل ھونگر ۔ ایک پوائنٹ پر تین پائی رائس ( Rice ) وغیر پر رکھا جائے تو مناسب ہے ۔ میں سمجھتا ھوں که میرا یه امتلمنٹ واجبی ہے اسلئر اميد هے كه اسكو هاؤس قبول كريگا -

\* شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : ۔ مسٹر اسپیکر سر ۔ فرسٹ ریڈنگ کے موقع پر اس بل کے بارے میں میں نے اپنے تفصیلی خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ میں نے یه عرض کیا تھا کہ اسپنشیل گلس ( Essential goods ) جنکو شیڈیول میں اگزمیٹیڈ گلس ( Exempted goods ) میں رکھاگیا تھا انکو بھی اسکی زد میں لانے کی ا

کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لئے دفعہ ہ رکھا گیا ہے۔ دستور کے دفعہ ۲۸۸ کے لحاظ سے میں کہونگا کہ سنٹرل ایکٹ بن چکاہے اوسکے ضمن ہ کے لحاظ سے پریسیڈنٹ کی اسنٹ ( Assent ) لازمی هوجائیگی ۔ اسینشیل گڈس کے بارے میں دفعہ ۲۸۹ کا جو تعلق پیدا هوتا ہے میں سمجھتا هوں که ضمن ۱ اوس سے متعلق ہے ۔ یه قانون بننے کے بعد آیا وہ لاگو هوگا یا نہیں ۔ دالیں ۔ کیاس وغیرہ دوسرے پراونسس ( Surcharge ) میں جاتے هیں ۔ اون پر سرچارج ( Surcharge ) میں جاتے هیں ۔ اون پر سرچارج ( Surcharge )

"No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

- (a) outside the State; or
- (b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India."

ضن س يه ھے۔

"No law made by the Legislature of a State imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

میں یہ کہونگا کہ سیل ٹیکس کا شیڈیول نمبر ، میں جو اگزمیشن ( Exemption ) رکھاگیا تھا اور سنٹرل ایکٹ جو پارلمینٹ کا ہے ہے۔

The Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase) Act, 1952.

"Cereals and pulses in all forms including bread and flour, including atta, maida, suji and bran (except when any such article is sold in sealed containers)."

"Raw cotton, including ginned and unginned cotton or kapas, cotton thread...."

ممیر انجارج آف دی بل سے یہ پوچھنا چاھتا ھوں کہ اس دستوری مسئلہ کو الدوائزرس ( Advisors ) سے مشورہ کرکے انہوں نے حل کرلیا ہے یا یہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے ۔ اگر پریسیڈنٹ ( President ) کے اسنٹ

( Assent ) کا سوال پیدا هوتا هے تو میں سمجھتا هوں که اسکے حاصل هون تک چار مہینے گزر جائینگے ۔ ان حالات کے تحت میں سمجھتا هوں که اسینشیل گڈس ( Essential goods ) جنکو پہلے مستثنے قرار دیا گیا تھا اس قانون کی زد میں نہیں آنے چاهئیں ۔ چونکه اس سے عوام پر بار عائد هوگا اسلئے پریسیڈنٹ کا اسنٹ حاصل کرناهوگا ۔ دفعه س کی ترمیم کرتے جب تک ان اشیا کو شیڈیول ( Schedule ) سے خارج نه کریں اونکے متعلق یه تصور هوگا که اگزمپٹیڈ گڈس ( Exempted goods ) میں یه چیزیں نہیں هیں ۔ اسلئے دفعه س کا امنڈمنٹ منظور هونا ضروری هے جب تک مین یہ مین یہ کلاز ب منظور نه هوسکیگا یه میرا خیال هے ۔

श्री व्ही. डी. देशपांडे: — प्रॅक्टिकल पांजिट आफ ब्यू से यह मसला हमारे सामने आया है। क्लाज तीन पर हमने अमेंडमेंटस दिये हैं। वहां पूरी तरह से अन्जेम्शन दिया है और क्लॉज दो में पार्शल अक्जेम्शन का मसला है या सिंगल पांजिट का मसला है। जब तक हुकूमत की पॉलिसी क्लॉज तीन पर जाहिर नहीं होती, हमने अक्जेम्शन के लिये जो चीजें रखी हैं अनको वह किस हद तक मानती है वह मालूम नहीं होता। क्लॉज दो को पहले लेना मुनासिब नहीं है। अिसलिये मेरी दरखास्त है कि क्लाज तीन को पहले डिसकशन के लिये लेना चाहिये।

श्री. वि. के कोरटकर:—अिसकी कोओ जरूरत नहीं है। क्लॉज दो में सिर्फ कॉटन का मामला है। बाकी सब चीजें बाद में आयेंगी। क्लॉज दो में सिर्फ कॉटन का मामला तसफिया पायेगा।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे: —फर्ज कीजिये कि हमारा जो पहला अमेंडमेंट है जिसको अगर हुकूमत ने मान लिया तो फिर दूसरा अमेंडमेंट जो अपूर है असको जरूरत महसूस नहीं होगो। हुकूमत जिसको माने गी यह नहीं माने गी वह अलग सवाल है। लेकिन टेकिनिकली असा होने के जिमकानात हैं कि जो पहली अमेंडमेंट हैं असको अंटीसिपेट करना होगा। अगर गव्हर्नमेंट क्लॉज तीन के अमेंडमेंट को मानती ह तो क्लाज दो के अमेंडमेंट को हमें तबदील करना होगा। यानी ये चीजें अक दूसरे पर मुनहसर हैं। जिसलिये में समझता हूं कि क्लाज तीन को पहले लिया जाय और बाद में क्लाज दो को लिया जाय।

श्री. वि. के. कोरटकर: --आपने जब यह सवाल किया है कि गव्हर्नमेंट शिसको मानेगी या नहीं सानेकी बीर यही दिक्कत है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं असको माननेवाला नहीं हूं। शिसितिये अब कोशी मुक्किल आनेवाली नहीं है।

شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : - میرا جو اعتراض تھا اوسکا جواب آپ نے نہیں دیا ہے۔ شیڈیول نمبر (۱) سے ''کاٹن انکلوڈنگ کیاس '' (

Cotton including kapas )

کو خارج نہیں کیا گیا ہے ۔ جب تک که اسکو شیڈیول سے خارج نه کیا جائے اوس وقت تک اس پر سیلس ٹیکس کے عائد کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ۔

े बी. वि. के. कोरटकर :- पहली जो अमेंडमेंट है कि कॉटन के अपूर बजाय छह पाओं के ३

कपास पर पहले से ही कस्टम और सरवार्ज दोनों आयद थे। कॉटन पर कस्टम की आमदनी करीब ४२ लाख होती थी, और कपास में कस्टम और सरवार्ज की आमदनी अेक लाख पचास हजार के करीब होती थी। और अब वह सब मिलाकर करीब ४४ लाख होती है। अब जो छह पाओ जिसके अपूपर आयद की जायगी अससे आमदनी २५ लाख ६९ हजार के करीब होगी। यानी यह आमदनी पहले से कम होगी। अस सूरत में में जिस तरमीम को कबूल नहीं कर सकता।

• दूसरी अमेंडमेंट की हालत भी असी ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया अक करोड ७८ लाख के घाटे को जिस वक्त सिर्फ अक करोड २८ लाख का टैक्स लगाकर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। असमें अगर तीन पाओं का टैक्स कर दिया गया तो करीब पचास लाख की असमें कमी हो जायगी। असलिये वह भी मैं कबूल नहीं कर सकता।

केरोसीन की हद तक मैंने पहले ही कबूल कर लिया था कि मैं असको सिंगल पॉिंगट पर कबूल करता हूं और तीन पांअिज कबूल कर लेता हूं। बाकी देशमुख साहब की जो अमेंडमेंट है असमें ज्यादा नुकसान होनेवाला है अिसलिये असको मैं कबूल नहीं करता।

شری یی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : ۔ میں نے اسٹ کے بارےمیں پوچھا تھا اوسکا جوابنہیں ملا ۔

श्री. वि. के. कोरटकर: काँन्स्टीटयूशन के तहत आपने जो कहा कि प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के लिये चार महीने लग जायेंगे, मैं जितना ही कहूंगा कि मुमकिन है जितने नहीं लगेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट मिनिस्ट्री की जिजाजत से यह बिल लाया गया है जिसलिये आशा है कि प्रेसिडेंट की जिजाजत के लिये चार महीने नहीं लगेंगे। अगर लगे भी तो जापके लिये खुशी की ही चीज होगी।

Mr. Speaker: We can postpone consideration of clause 2 until after the clause 3 is considered.

#### Clause 3

Shri B. D. Deshmukh: I beg to move:

"That for item "1" substitute "1. All cereals and pulses including all kinds of rice (except when sold in sealed containers)."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande: I beg to move:

"That after item "1" add: 2. Flour including ata, maida, Suji and bran (except when sold in sealed containers)."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao: I beg to move:

"That in item "3" between "potatoes," and "meat' insert "eggs".

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao: I beg to move:

- "(a) That in item "6" for "Fresh milk" substitute. "Milk (liquid or powder)".
- (b) That in item "6", omit "(except when sold in sealed containers)".

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh: I beg to move:

"That after "10" add "11. Cotton including kapas.".

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande: I beg to move:

"That after item 15, add: "16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard."

Mr. Speaker: Amendment moved.

\* شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : ۔ یہاں بر میں نے جو ترمیم لائی ہے وہ کوئی نئی ترمیم نہیں ہے ۔ بلکہ سابقہ جو ہارا قانون سیلس نیکس ایکٹ بابتہ سنہ . ہ ہ اع تھا اس میں آئٹم نمبر (۱) جو تھا اوسکو یہاں پر جوں کا توں لانے کی میں نے کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ اجناس خوردنی مثلا دالوں وغیرہ پر کسی قسم کا سیل نیکس نہ ہونا چاھئے ۔ اور اس چیز کو ہیشہ ہاؤس کے سامنے واضح کیا گیا ۔ باوجود اسکے کہ میں جملہ اشیا کو اگزمیٹ اسٹ میں لانا چاھتا ہوں چونکہ ایک آنریبل سبر نے میری امنٹسنٹ پر ایک اسٹمنٹ پیش کی ہے ۔ اگر میری امنٹسنٹ آنریبل مور قبول نہیں کرتے تو اس امنٹسنٹ ٹو امنٹسنٹ کو قبول کرلیں جسکے ذریعہ جوار ۔ رائس ۔ تور اور چنے کی دال جو ضروریات زندگی میں ہیں اور عام طور پر ہر غریب سے غریب آدمی چنے کی دال جو ضروریات زندگی میں ہیں اور عام طور پر ہر غریب سے غریب آدمی تیکس عائد نہ کیا جائے ۔ اگر امنٹسنٹ ٹو امنٹسنٹ ٹو امنٹسنٹ ٹو امنٹسنٹ کو ہی قبول کرلیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔

Shri V. D. Deshpande: I beg to move an amendment to the amendment of Shri B. D. Deshmukh:

That the item I substitute: "1. Jawar, Rice, Tuvar Dhal Gram Dhal"

Mr. Speaker: Amendment to Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh: I accept the amendment.

\*श्री. व्ही. डी. देशपांडे :— भिस्टर स्पीकर सर, श्री. बी. डी. देशमुख साहब की तरमीम को जो तरमीम मेंने पेश की असकी वजह यह है कि ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब के तर्जे अमल से और ख्लान से मालूम हुआ कि 'आल सीरियल्स और पल्सेस' के लिये वे अजाजत देने के लिये तयार नहीं हैं। मुमकिन है दाल रोटी के लिये तैयार हो जायें चूंकि मराठवाडे के अंदर दाल-रोटी साते हैं और तेलंगाने में अन्नम-पण्म खाते हैं।

شری اناراؤگنمکیبی ( افضل پور ) :۔کیاکرناٹک کے لوگ کچھ بھی نہیں کھائے ؟ श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—कर्नाटक में दोनों मिलाकर खाते हैं ( Laughter यह जो लोगोंका बुनियादी डायट ( Diet ) है असकी हदतक कम से कम अक्जेम्पशन ( Exemption ) दिया जाय यह मेरी मांग है, क्योंकि जेलों में भी बगैर किसी टैक्स के अितना मिलता है। अगर अ्तना भी बगैर टैक्स के दिया जाय तो लोगों को कुछ रिलीफ ( Relief ) मिल सकता है। में जानता हूं कि शायद जिस मसले पर अिस हाअुस में अकसरियत है। अुस तरफ के लोगों को अगर अिस बिल पर राय देनं की आजादी दी जाय तो मुझे अम्मीद हैं कि हाअुस की मेजॉरिटी ( Majority ) अंक्जेम्प्शन ( Exemption) की ताबीद में ज्यादा हो जायेगी। अभी अस तरफ के अक आनरेवल मेंबर ने मंग की दाल को भी अक्जेम्प्ट करने के लिये कहा था, लेकिन वह दाल हम रोजाना नहीं खाते जिसलिये असका सवाल छोड दिया जाय। जिन चीजों को अंक्जेम्प्शन देने के लिये कहा जा रहा है वह यहां के कामन मैन्स बेअरेस्ट फुड ( Common man's barest food है। अगर आज आप लोगों को काम नहीं दे सकते, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, परी राशन ) नहीं दे सकते तो कामन मॅन को कम से कम असा फुड महैया Free ration करना चाहिये जिसपर टॅक्स न हो। जितना भी अगर नहीं हो सकता तो हुकुमत के लिये क्या दुआ करना चाहिये यह मेरी समझ में नहीं आता। आपका खुदा आपका रक्षण करे जितना ही मुझे कहना पडेगा। यह बाम लोगों की मांग है, अिसलिये अिस अमेंडमेंट टु अमें डमेंट को मानना चाहिये।

दूसरी अमेंडमेंट के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि यह तो हद हो गओ कि आप पहले जवार, चावल और गेहूं पर टैक्स लगायेंगे और असके बाद अगर असका आटा बनाया जाय और दूकानों में बेचनेके लिये रखा जाय तो असपर भी टैक्स लगायेंगे। यह पालिसी मेरी सभझ में नहीं आती। मैदा, सोजी, आटा वर्गरा चीजें ज्यादा तर असे ही लोग खरीदते हैं जिनको घरबार वर्गरा नहीं है या जहां पीसने का अन्तेजाम नहीं है और बनाबनाया आटा खरीद कर रोटी बनाते हैं। जब बेसिक चीजों पर टैक्स लगाते हैं तो आमतौर पर यह असूल रहता है और आनरेबल होम मिनिस्टर साहब फायनान्स मिनिस्टर साहब को बतायेंगे कि अंक ही आदमी को दो मर्तबा सजा नहीं दी जाती। लेकिन यहां तो अक ही चीज पर टैक्स का सिलसिला जिस तरह से जारी किया जा रहा है कि खेत से अनाज आने पर अस पर टैक्स, असकी शकल में तबदिली हो गयी तो युस पर टैक्स और कोओ तबदीली हो गओ तो अस पर भी टैक्स। मुझे डर है कि शायद आप आगे चल कर खानेवाले पर भी टैक्स न लिंगायें। अिसलिये हक्मत की तवज्जह जिस तरफ मबज्ल कराना चाहता हूं। अनुको अक्जेम्प्यान लिस्ट में लाना चाहिये और जैसा मैंने अभी बताया जवार, चावल, तूर्वर और चने की दाल को अक्जेम्प्शन लिस्ट में लाता चाहिये। जिसकी वजह से मुमकिन है कि हुकूमत को २०-२५ लाख का नुकसान होगा, लेकिन कामन मॅन को बितनी सहूलत देने के लिये बानाकानी नहीं करनी चाहिये। १५ करोड की ग्रांट पर जो सूद और रिडम्झन (Redumption) भिलेगा असके लिहाज से सोचें तो कामन मॅन के लिये जितना छोड देना कोबी बडी बात नहीं है। जागीरदारों को हुम कितना मुआवजा दे रहे हैं। अिसलिये में समझता हूं कि जितना रूपया बचाने के लिये दूसरे हरीके सोंचे जा सकते हैं और मुनासिब हो तो हम भी बुनका साथ दे सकते हैं। लेकिन कमसे कम बेसिक चीजों को अक्जेम्प्शन लिस्ट में अन्क्लूड् ( Include ) करना जरूरी है।

जिस के बाद का जो अमेंडमेंट है वह मिल क्लाथ कास्टिंग लेस दैन रुपीज टूपर यार्ड ( Mill Cloth costing less than rupees two per yard) के बारे में है। अक्जेम्प्टेंड लिस्ट में हैं डलूम क्पड़े को अक्जेम्प्शन दिया गया है और तीन रुपये यार्ड का जो हैं डलूम कपड़ा है असको भी अक्जे म्शन दिया गया है। असके बारे में मैंने अस वक्त कहा था कि कोर्स और मीडियम क्लाय को अक्जम्झन लिस्ट में लाना चाहिये। अुमी को मुझे फिर दोहराना पड रहा है, क्योंकि अब कर्पीस पर टॅक्स लगाया जानेवाला है और हमारी तरमीम भी सहीं मानी गओ है। असी सूरत में अससे बननेवाला जो कोर्स क्लाय है और मीडियम क्लाय है जो रुपये यार्ड तक है अनुको माफी में रखना चाहिये तो थोडा सा जस्टिस ( ) कामन मैन की हद तक Justice होगा। मुझे अस नारे की याद आ रही है कि 'कपडा रोटी मकान दो' आप यहां अन लोगों के रोटी पर हाथ मार रहे हैं और अनके कपडे पर भी आपकी नजर है। जो रोटी और कपडा अनको मिलता है असको महगा कर रहे हैं और मकान तो आपके पास है ही नहीं। जो कुछ है वह भी बरबाद हो रहें हैं। अिसलिये मेरी गुजारिश है कि अन तीनों चीजों पर हुक्मत को नजर डालनी पडेगी। दूसरे बड़े बड़े तबकों के अनकम पर हाथ डालने के लिये हम कहते हैं और काम्पेन्सेशन कम करने .. के लिये कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि जागीरदारों को आप ठुकरा देना चाहते हैं। मैसूर के पास रेल्वे नहीं थी, लेकिन हमारे पास रेल्वे थी। वह हुकूमते हिंद ने ले ली और हमारी रेल्वे की अक करोड की आमदनी कम हो गजी। अिसके लिये हुकूमते हिंद पर दबाव लाजिये और अन्होंने हमारी रेल्वे ली तो मुआवजे के तौर पर हमको अंक करोड या कम से कम ५० लाख रुपये मिलने चाहिये। जिसके लिये मजबूर करने के लिये हम सुझायें तो आप कहते हैं कि वहां पर हमारी कुछ नहीं चलती। हुकूमते हिंद से मून्सफाना तौर से रकम नहीं मिलती तो निजाम के पास से आप ले सकते हैं, जागीरदारों का काम्पेन्सेशन कम कर के ले सकते हैं, बड़े अग्रीकल्चरल प्रोड्सर्स पर जिनकम टैक्स बढाि अये असा हम कहें तो कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते, यानी जब शेर, हाथी और घोड़े का मकाबला नहीं कर सकते तो गरीबों, बेकारों, किसानों और मजदूरों को आराम की जिंदगी देने की जो आपकी पालिसी कही जाती है असमें कभी कारामद नहीं हो सकते। यह पालिसी असी है कि जिसके नतीजे अस हर सियासी पार्टी को भुगतने पडे हैं जिन्होंने अव्वाम के खिलाफ असे कदम अठाये हैं। मुझे वह प्राज याद आ रही है कि जिस कुत्ते को खतम करना है असको पहले मैड (Mad) कहा जाता है। हुकूमत असे कदम को अुठा रही है जो मजनू की तरह मालूम हो रहा है। से वादे किये जाते हैं कि हम रोटी, कपडा और मकान दिलायेंगे लेकिन अघर रीटी और कपडे पर टैक्स लगाया जा रहा है। जिसलिये मैंने कपडे के सिलसिले में यह अमेंडमेंट हार्युस के सामने रखी है कि दो रुपये यार्ड तक का कपडा माफी में रखा जाय। में अम्मीद करता हूं और जमाना यह कह रहा है, अब्दाम कह रही है कि आप असको मानेंगे। अगर आप न मानें तो जैसा कि नारा है कि 'रोडी क्यडा मकान दो वरना कुर्सी छोड दो' आपको अिनमें से किसी अेक चाँअिस ( Choice ) को चनना पड़ेगा। लोग अपना नारा अमल में लायेंगे। आपका चाँअस. क्या है? क्कार्यक्रिक का फैसला आपके हाथ में है। जिस पर आप संजीदनी से सोचें जितना ही मुझे कहना \* شری سی ایج - وینکٹ رام راؤ :- مسئر اسپیکڑ سر - میں نے شیڈ یول کو بغور دیکھا ہے نخیمت ہے کہ اس میں ایسی اشیا ؑ ہیں جو زندگی کو باقی رکھنے کے لئے کاف ہوسکتی ہیں ۔ اس میں غذائی اجناس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جن چیزوں میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور جو زیادہ وائٹالیٹی ( Vitality ) رکھتی ہیں اس میں ہی نہیں بلکہ ( Scientific ) اور سائينٹيفک ( دوسرے مذیکل میان ( Medical man قطهٔ نظر رکھنر والے دودہ اور انڈوں کو شامل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان دو چیزوں کو منسٹر صاحب نے اپنی سہربانی سے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے دودہ کے ڈبوں اور ملک پوڈرکو نہیں چھوڑا ۔ دودھکی آج جو قیمت ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک کامن میان ( Common man ) اس کو استعال کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ کامن میان کو تو چھوڑئیے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں ۔ مجھے اس آنریبل اسمبلی کا سمبر ہونے کے نانے جو کچھ ملتا ہے اوس سے اپنے خاندان کو پالنے پوسنر کے بعد میں اس پوزیشن میں نہیں وہتا که دودہ خرید سکوں یا دودہ پر غیرمعمولی خرچه کرسکوں ۔ چنانچه مجبوراً مجھے ملک پاوڈر استعال کرنا پڑتا ہے جب کہ مجھے چار چھ احباب کو چائے وغیرہ پلائی ہو۔ باہر کے سلکوں میں جہاں دودھ کی بہتات مے وہاں سے ہارہے پاس دودھ آتا ہے اورظاھر مے کہ ھارے پاس کے ایسر لوگ جو بہاں عام طور پر دودہ نہیں خرید سکتے وہی اس سے استفادہ کرتے ہیں ۔ میں منسٹر صاحب ی توجه اس طرف بھی میذول کراؤنگا که اگر ماؤں کو دودھ نہیں آتا ہے تو جز معاش لوگ بھی ڈبہ کا دودہ اپنے بیچوں کو پلانے ہیں اس لئے اگر ایسی چیزوں پر ٹیکس لگایا جلئے تو اس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہوگا جس کا لازماً نتیجہ ایسر کامن پر پڑیگا جو پہلر سے کم استطاعت رکھتا ہے۔

میں منسٹر صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاھتا ھوں کہ جو پیپلزڈیمو کریٹک کنٹریز (Peoples Democratic Countries) ھیں وھاں کی حکومتوں کی یہ پالیسی ھوتی ہے کہ کامن میان کواس کی غذا میں زیادہ سے زیادہ ھیں وھاں کی حکومتوں کی یہ پالیسی ھوتی ہے کہ کامن میان کواس کی غذا میں زیادہ سے زیادہ دودھ اور انٹر میل سکیں۔ میں رشیا اور چائنا کی مثال دیتا ھوں وھاں بھی ہی حال ہے۔ اگرچیکہ ھارے منسٹر صاحبان کو اکثر ان مالک کی مثال پر اعتراض رھتا ہے لیکن میں سمجھتا ھوں کہ جو اچھی چیزیں ھیں خواہ وہ کمیں کی ھوں ان کو اپنانا چاھئے۔ وھاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دودھ اور انڈرے کامن میان کی غذا میں شامل ھیں یا نہیں۔ دودھ افلہ صاحب کی قیمت کیا ھونا چاھئے تاکہ اوسے کامن میان استعاب کرسکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک پریونٹیو میڈر ( Preventive measure ) ثابت ھو اور دوسری طرف عوام توانا اور صحت مند رھیں۔ ٹی۔ یہ ھاسپٹل کا ادگھاٹن کرتے وقت ھارے چیف منسٹر صاحب نے بھی بالکل ہی فرمایا تھا کہ ھاسپٹلس کھولنے کے جائے زیادہ سے زیادہ ہورونٹیو میڈرس اختیار کرنا چاھئے انہوں نے بھی یہ ہراورب ( Proverb ) کہا ہوں نے بھی قرمایا

تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جس ایریا میں کم سے کم بیشنٹس ھوں وھاں کے ڈاکٹر کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جائے ۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ھاری حکومت کو بھی اس طرف قدم اٹھانے ھوئے اس پر ٹیکس نہ لگانا چا ھئے کیونکہ ان چیزوں کا استعال ایک طرح کا بریونٹیو میژر ھی ہے۔ لیکن آج قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان چیزوں کا استعال غیر ممکن ھوتا جا رھا ہے۔ میں خود اپنی مثال دیتا ھوں کہ میں ایم ۔ ایل ۔ ایل ۔ ایل بننے سے قبل ایک ھفتہ میں کئی انڈے کھاتا تھا لیکن اب ایم ۔ ایل ۔ ایم بننے سے قبل ایک ھفتہ میں ایک انڈاکھانا بھی مشکل ھوگیا ہے۔ اس لئے میں منسٹر صاحب سے خواھش کرونگا کہ ان ہاتوں کا لحاظ کریں ۔

श्री. वि. के. कोरटकर:--सेल्स टॅक्स निकालने के बाद कितने बार खा सकेंगे?

شری سی ایچ ۔ وینکٹ رام راؤ : ۔ موجودہ جو پوزیشن ہے میں وہ بتلا رہا ہوں۔

📑 श्री. वि. के. कोरटकर :— अिस हदतक आपका कहना मैं मान लेता हूं।

شری سی ایچ ۔ وینکٹ رام راؤ : ۔ موجودہ حالات میں ہائیر مڈل کلاس کے لوگوں کے لئے بھی دودہ اور انڈے خریدنا مشکل ہوگیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ چند سال بعد پلاننگ وغیرہ کے تحت کامن میان کو بھی یہ چیزیں مل سکیں لیکن اوس وقت کا انتظار نہ کرنا چاہئے اس ریزنیبل اسٹرمنٹ کو منظور کیا جانا چاہئے ۔

श्री. वि. के. कोरटकर :—अध्यक्ष महोदय, अिस बिल पर जो अमेंडमेंट्स आये हैं अनुमें से में अमेंडमेंट नंबर तीन जो अंडे के बारे में है अस हदतक मान लेता हूं। और दूसरी जो अमेंडमेंट्स है अनुहों में कबूल नहीं कर सकता। पहली जो अमेंडमेंट है असमें सिरियल्स ( Cereals ) और पल्सेस ( ... Pulses ) को निकालने के बारे में कहा गया है। जवार, राजिस, तुव्वर, ग्राम आदि पर सेल्स टॅक्स न लिया जाय असा अिस अमेंडमेंट का मनशा है। में असको कबूल नहीं कर सकता। अगर अस अमेंडमेंट को कबूल किया जाय तो अस बिल का जो मकसद है वही फौत हो जाता है। यह अमेंडमेंट जो दी गयी है वह बहुतही होशियारी से दी गओ है। असे यदि मान लिया जाय तो पूरा बिल ही बेकार होता है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :--सिरीयल्स पर आपको कितना टॅक्स मिलेगा?

श्री वि. के. कोरटकर:—अंदाजा यह है कि सिरीयल्स और पल्सेस पर ही ८० लाख से १ करोड तक का सेल्स टॅक्स मिलेगा। १ करोड और २८ लाख का जो अंदाजा लगाया गया है जैसा कि मैंने पहले कहा कि अुसर्गे से १ करोड तक तो सिर्फ सिरीयल्स पर मिलेगा। १ करोड तक सेल्स टॅक्स छोड़ने की तो मेहरबानी बहुत होगी। वह मैं नहीं कर सकता है।

जिसके बाद कॉटन के बारे में जो अमेंडमेंट अजी हैं असे भी में कबूल नहीं कर सकता। कॉटन पर तो पहले से ही सेल्स टॅक्स हैं। वह कोओं सेल्स टॅक्स से खाली नहीं है। मैंने पहले ही कहा था बिसपर से ४२ लाख निकाल गये हैं। और आपकी जिस अमेंडमेंट को माना जाय तो ६०,७० लाख की कमी हो जायेगी। जिस लिये मैं जिसे भी कबूल नहीं कर सकता, और मिल क्लॉय के बारे में जो अभेंडमेंट हैं असे भी मैं कबूल नहीं कर सकता हूं। मिल क्लॉय पर सेस लगाया जा रहा है।

आटा, सोजी, मैदा आदि के बारे में जो कहा गया असपर मुझे अितना ही अर्ज करना है कि अस पर तीन चार टाअिम सेल्स टॅक्स नहीं लिया जाता है। जो लोग आटा सोजी, या मैदा वगैरा चक्की पर पिसवाने के लिये ले जाते हैं अनसे तो कोओ टॅक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन आटा, सोजी, मैदा आदि तयार करने के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े पैमाने पर अनाज लेकर असका आटा, सोजी बनाकर बेचते हैं, अनपर यह टॅक्स आयद होनेवाला है। यह जो मिल के लोग होते हैं वे होल-सेलर या खिटेलर को बेचते हैं। असमें यह भी है कि जिनके घंदे की आमदनी ७५०० रुपयों से कम है अन्हे कोओ सेल्स टॅक्स नहीं देना पड़ेगा। असके बाद जिनको अपनी मजदूरी मालकी शकल में मिलती हैं यानी जो अपनी मजदूरी अनाज में लेते हैं, अनपर भी यह टॅक्स नहीं बैठनेवाला है। अस लये अस टॅक्स का असर बहुत बड़े तादाद पर पड़ेगा यह जो स्थाल किया जा रहा है वह गलत है।

पॉवडर मिल्क के बारे में जो अमेंडमेंट दी गजी है असे भी में मंजूर नहीं कर सकता हूं। ताज दूध पर तो टॅक्स है ही नहीं और मेरा स्थाल है कि दूध के डब्बे जो जिस्तेमाल करते हैं वे अमीर ही लोग ज्यादा तर होते हैं। और वे जिस टॅक्स को दे सकते हैं। पॉवडर मिल्क पर दूसरी जगह भी टॅक्स लगाया जाता है, और असी तरह यहां भी लगाया जा रहा है। मस्खन जो बन्द ब्बिंग में रखा जाता है असपर सेल्स टॅक्स लिया जानेवाला है। दूसरे बटर पर टॅक्स नहीं है। डब्बे में जो बटर होता है असे तो मालदार लोग ही ज्यादातर जिस्तेमाल करते हैं। अस पर टॅक्स आयद किया जा रहा है। जिसलिये जिसका तो स्वागत किया जाना चाहिये। बाकी कुछ खास चीजें नहीं है। मैंने बताया ही है कि अंडोंकी हदतक जो अमेंडमेंट था असे में ने कबूल कर लिया है, और बाकी अमेंडमेंट्स कबूल नहीं हैं।

Clause 3.

Mr. Speaker: I shall put the amendment of Shri B. D. Deshmukh as amended by Shri V. D. Deshpande to vote.

The question is:

"That for item '1', substitute:

'1. Jawar, Rice, Tuwar Dal and Gram Dal'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That after item '1' add:

'2. Flour including ata, maida, suji and bran (except when sold in sealed containers.)"

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The amendment No. 3 standing in the name of Shri Ch. Venkatrama Rao, viz., "In item '3' between 'potatoes,' and 'meat' insert 'eggs', has been accepted by the Member in charge of the Bill. As such, it need not be put to vote.

The question is:

"That in item '6', for 'Fresh milk' substitute 'Milk (liquid or power)".

Mr. Speaker: The question is:

"That in item '6', omit '(except when sold in sealed containers)".

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That after item '10' add: '11. Cotton including kapas'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That after item 15, add: '16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard".

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 as amended was added to the Bill.

#### Clause 2.

Mr. Speaker: I shall now put the amendments to Clause 2 to vote.

The question is:

"That in line 6, for 'six' substitute 'three'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That after line 8, add:

'(ix) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: Amendment No. 3 standing in the name of Shri. V. D. Deshpande, viz., "After line 8, add:

'(ix) So much of the turnover as is attributed to transaction in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette'.".

has been accepted by the Member-in-charge of the Bill-As such, it need not be put to vote.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill"
The motion was adopted.

Clause 2 as amended was added to the Bill.

Mr. Speaker: The Question is:

"That the Preamble, Short title and Commencement stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Preamble, Short title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar: Sir, I beg to move.

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed".

Mr. Speaker: Motion moved.

\*Shri V. D. Deshpande: Now the Bill is a fait accompli and though some amendments have been accepted the common man has been taxed. His food, his clothes, have been taxed and his house has already been taxed. Thus the scheme of taxing the common man is now complete.

At this stage of the third reading of the Bill, I cannot but express the view that the Government has failed in its responsibility to the common man. They failed to assert their claim on the Government of India in this particular respect. The consequences of such types of taxation as these are evident and will bear fruit ere long. I wish to emphasise that this kind of taxation will not help the Government. type of taxation on the common man's food and cloth will in the long run affect the trade and commerce of Hyderabad. Already, the merchant community has brought this point to the notice of the Government of Hyderabad that their multipoint sales tax and their taxing every item that people use will lead to disasterous effects. At this third reading of the Bill, I cannot but oppose this Bill and I am constrained to say that wise counsels had not prevailed on the Government and in their anxiety to fill up the gap they have taken recourse to a course of taxation which is inequitable and which is not in the interests of the common man and which once more shows to the world the feudal and the monopolistic character of the present Government who do not think of taxing those who have unearned incomes or those who have exploited the common man by having high rates of profits. It is not them that the Government has dared to touch. It is the common man that is touched when the question of deficit is there. been the policy of the British Government in India and this has also been the policy of the Nizam during the Razakar Government in Hyderabad and the very same tradition the present Government is continuing. They have utterly failed through the present legislation to do justice to the common man. I need not dilate upon this point much more because I find that our outlook fundamentally differs. It differs basically. The way in which we think we should give relief! to the common man is entirely different from that in terms of the Government think. Without any pinch on their conscience the Covernment could so easily tax the common man's food and cloth. Well, the Bill is at the third reading stage and it is a fait accompli. I believe all the Opposition Members and also a section of the Congress, I believe, is opposed to this flat type of taxation. As I have pointed out so far as jawar, rice,

pulses, etc. concerned, even now I feel that the majority of the House does not want to tax the common man's food. But the party whip is there and the ruling party must have had recourse to it. But such a thing does not last long and in due course it will react on them with double energy and sooner or later such legistations of taxation shall have to give way. Anyway, I again oppose this particular Bill at the third reading stage and I hope the Government will, if not now, at least with the common man's will and necessary pressure and sanction that make them bend and change their view at a later date will revise this particular legislation.

### Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed".

The motion was adopted.

# L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill 1954.

The Deputy Minister for Public Health, Medical & Rural Reconstruction (Shri: Bhagwant Rao Gadhe): I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time".

Mr. Speaker: Motion moved.

شری بهگونت راؤ گاڑھ : - سسٹر اسپیکر سر۔ یه ایک چهوٹا سا بل اس غرض سے پیش کیا گیا ہے که حیدرآباد کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ سنه ۱۹۰۲ء کے تحت رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کی نزاعات اور ان کے وصول طلب قرضها کوآپریٹیو سوسائٹیز کی نزاعات اور ان کے وصول طلب قرضها کے بارے میں تصفید کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ تصفیح ہو رہے ہیں۔ ڈگریاں صادر ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے اکزیکیوشن کا سوال آتا ہے تو ان ڈگریات اور تصفید کو محکمہ مال یا عدالت میں جنہیں اختیار ساعت حاصل ہے منتقل کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ حالات میں محکمہ مال کے عہدمدار مختلف فرائض کی ادائی میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں اپنے محکمہ کے کام سے ھی بہت کم فرصت ہوتی ہے۔ جسکا میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں اپنے محکمہ کے کام سے ھی بہت کم فرصت ہوتی ہے۔ جسکا نیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ڈگریات کی تعمیل میں کافی طوالت ہوکر سوسائیٹز کو کافی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ڈگری شدہ رہم وصول نہ ہو تھانی پرداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت تک جب تک کہ ڈگری شدہ رہم وصول نہ ہو

سوسائٹی کا سرماید لاک آپ ( Lock up ) رہتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مناسب سمجھا گیاکہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار کو بھی اکزیکیوشن کے اختیارات دیۓ جائیں۔ امبول قانون کے لحاظ سے ھی یہ مناسب معلوم ھوتا ہے کہ عہدمدار صادر کنندہ ڈگری کو تعمیل کے اختیارات نہ دئے جائیں اور دوسرے محکمہ کے پاس روانہ کئے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ھوتا ۔ اس خامی کو رفع کرنے کے لئے یہ امنڈنگ بل یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو منظور کرنے سے پرانے قرضہ جات جن میں ڈگریاں صادر ھوچکے پیش ان کی جلد از جلد تعمیل میں سہولت ھوگی۔ اور عبو قرضہ جات رکے ھوئے ھیں اور جو رقمیں سوسائٹیز کو وصول طلب ھیں ان کے جلد حاصل کرنے میں کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار یا ان کے ایسے ماتحتین جنہیں وہ یہ اختیار تفویض کریں تعمیل کارروائی کرینگے۔ میں سمجھتا ھوں یہ بات ضروری ہے۔ یہ خامی رفع ھونا ضروری ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کی ضرورت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ رزرو بنک انڈیا سے جو قرض حیدرآباد اسٹیٹ کے لئے اسٹیٹ کوآپریٹیو بنک کو دیا جاتا ہے اسکی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ ایک مدت مقررہ کے اندر ادا کردیاجائے۔ اگر اس مدت میں ادا نہ ہوتو دوسر سے سال قرضہ حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس اہم شرط کی تکمیل کے لحاظ سے بھی اس بل کو منظور کرنا ضروری ہو جاتا ہے ۔ ڈپارٹمنٹ کے عمددداروں کو یہ اختیارات دئے جائیں تو وہ جلد سے جلد قرضہ وصول کرسکینگے ۔ اور اسکی ادائی ہوسکیگی یہ اختیارات دئے جائیں تو وہ جلد سے جلد قرضہ وصول کرسکینگے ۔ اور اسکی ادائی ہوسکیگی اور اسکی وجہ سے کاشتکاروں کو اسینشیل آپریشنس کے لئے وقت پر قرضہ جات بھی مل سکینگے اور انہیں آسانی سے ریلیف ملسکیگی ۔ کیونکہ دوسر نے ذرائع سے انہیں قرضہ ملنے کے راستے بند ہوچکے ہیں۔ ہم نے ڈیٹرس ریلیف بل ( Debtors relief Bill ) پاس کیا ہے۔ اور کئی ہوائین بھی ہیں ان کے لئے یہی ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ گورنمیٹ نے انہیں رقم قوانین بھی ہیں ان کے لئے یہی ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ گورنمیٹ نے انہیں رقم فراہم کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ میں عرض کرونگا کہ اس بل کو منظور کیا خائے ۔

\* شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : ۔ مسٹر اسپیکر سر۔ اس بل کے بارے میں آنریبل موور نے اپنی وضاحتی تقریر میں اسے ایک معمولی سا بل فرمایا ہے۔ میں اس نوبت پر اختلاف کرنے کے لئے نہیں کھڑا ھوا ھوں لیکن اس کی تعمیل کے تعلق سے جو شبہات ھیں اونکو میں ھاؤس کے سامنے رکھونگا ۔ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کوسیونگ ( Saving ) کے نقطۂ نظر سے رکھا گیا ہے اور منشا یہ ہے کہ کسانوں کو اس سے سہولت ھوسکے قرضوں کی وصولی کے سلسلہ میں نہیں معلوم کہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ اون کی سہولت کو ملحوظ رکھیگا یا نہیں ۔ کسانوں کے ذمہ لاکھوں روپیہ باقی ھیں ۔ وہ اس وجہ سے باقی ھیں کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے ان میں اداکرنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ اس قابل باقی ھیں کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے ان میں اداکرنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ اس قابل نہیں ھیں کہ اپنے قرضے اداکر سکیں ۔ مادھو راؤکسی کی اگریرین رپورٹ (Agrarian report) میں خاص طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسانوں کے ذمہ خانگی قرضوں کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسانوں کے ذمہ خانگی قرضوں کے ساتھ ساتھ کوآپریٹیو کے قرضے کافی ھیں ۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ پرھیڈ ( Per head )

ساتھ کسانوں سے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ قرضے وصول نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسانوں کے زمینات ضبط اور ہراج ہونے کی نوبت آجائے۔ عدالت میں رجوع ہو کر کسانوں سے قرض وصول کرنے کی صورت میں خلاف ضابطگی کی گنجائش نہیں رہتی لیکن راست کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ وصول کرمے تو سمکن ہے کہ کسانوں کو پریشان ہونا پڑے۔ سمکن ہے کہ ان کی جائدادیں ضبط اور نیلام کی جائیں۔ کیونکہ اس میں ایسا پراویژن سے استفادہ کرے۔ رکھا گیا ہے۔ تعمیل کے دوران میں سمکن ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس پراویژن سے استفادہ کرے۔ اور کسانوں کی جائداد کو ضبط و نیلام کرنے سے دریغ نہ کرے۔ ڈپارٹمنٹ تو یہ چا ہیگا کہ زیادہ سے زیادہ بقایا کسی طرح وصول کیا جائے تاکہ اپنی کارگزاری ہو اور ڈپارٹمنٹ کے کریڈٹ ( Credit ) کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہارے کے کریڈٹ ( یہ خانے۔ ہارے کی نواب میں وضاحت کرینگے۔

श्री देवीसिंग चौहान (औसा) :- मिस्टर स्पीकर सर, मेरा जिस फर्स्ट रीडिंग के-वक्त बोलने का जिस्ता नहीं था, लेकिन अपोजीशन की जानिव से जो ख्याल जाहिर किया गया जुससे मुझे बोलने पर मजबूर होना पड रहा है। यह अक मामूलो बिल है जिस लिये कि कोआपरेटिव्ह सोसायटीज के कर्जेजात आसानी से वसूल किये जायें। लेकिन जिसके बारे में भी कुछ असे शुक्क जाहिर किये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि काश्तकारों पर वडा जुल्म होगा, गोया तमाम जुल्म और ज्यादती को रफा करने की जिम्मेदारी आनरेवल मेंबर ने ही ली है। असी छोटी सी बातों पर मी जिस तरह से कहा जाता है। में समझता हुं कि अपोजीशन का कल्स्ट्रक्टिक्ह किटिसीजम (Constructive criticism) का रोल (Roll) होना चाहिये जुससे पूरी तरह से दस्तवरदारी की जा रही है। नाजायज तरीके से अपोजीशन करने की अनुको आदत ही हो रही है।

شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ : ۔ آنریبل ممبر کو مغالطہ هورها ہے ۔ میں نے صرف جن خطرات کا اندیشہ تھا اونکا اظہار کیا ہے اور یه ریکوسٹ ( Request ) کی ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھیں ۔ میں سمجھتا هوں که اسبارے میں آپکا اظہار خیال نے موقع ہے ۔

श्री देवीसिंग चौहान :- में कहुंगा कि यह शक जाहीर करना बिलकुल बेमहल है, बेमौका है और असके लिये यहां पर कोशी गुंजाशिश नहीं है। अगर कोशी असा मौका पैदा हो जाता है तो असके लिये कोशॉपरेटिव्ह डिपार्टेमेंट की मुशीनरी है, हुकूमत है, असके सामने ये बात आ सकती है। लेकिन अन्हें तो अस बिल का स्वागत करना चाहिये था। कोशापरेटिव्ह डिपार्टमेंट का काम एक रहा है, अनकी जो रकावटें हैं अनको आसान बनानेके लिये और कोऑपरेटिव्ह म्व्हमेंट (Co operative Movement) को तरककी देने के लिये यह अमेंडिंग बिल (Amending Bill) लाया जा रहा है। असके बारे में कोशी शिकायत का मौका मिलता है तो असके लिये और जगाहें थीं। में जितना ही कहना चाहता था कि कोशॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से काम करने का मौका दिया जाय और कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट को आगे बढायें। काश्तकारों को आसानि के साथ अवादा पैमाने पर कर्जेजातु दिये जाने के लिये बिल लाया गया है असमें शक व शुबहा करने की कोशी मुंका कहीं है।

شری بھگؤنتراؤ گاڑھے : - میں مختصر طور پر ایک ایک جملے میں اعتراضات کا جواب دیدونگا ۔ ڈیٹرس ریلیف بل ( Debtors Relief Bill ) کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بعض قرضه جات مستثنر رکھر گئر ہیں۔ میں نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ مختلف قوانین کی وجہ سے کسانوں کو قرضہ جات نہیں سل رہے ہیں ۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ عہدہ داران کوآپریٹیو وصولی قرضہ کے سلسلہ سیں من مانے کارروائی کرینگروغیرہ سیں کہونگا کہ یہ اندیشہ صحیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ اوارڈ ( Award ) کے کارروائی سے ضابطہ دیوانی متعاق کیا گیا ہے اسکے بعد بھی بدعنوانی ہوتو وہ علحدہ طور پر لائن جاسکتی ہے اور اسکا انسداد هوسکتا ہے۔ یه بھی ایک غلط فہمی ہے که بقایا کے سلسله میں کسانوں کے مکانات اور جائداد هراج کردیجائیگی وغیره ـ جیسے دوسری سهولتیں کسانوں کو دیگئی هیں اوسی طرح کوآپریٹیو ڈپارممنٹ وصولی قرضہ کے سلسلہ میں بھی رعایتیں ملحوظ رکھیگا ۔ سودکی رقم بڑھگئی ہے تو اوس کے لئر احکامات موجود ھیں اونکر لحاظ سے عمل ھوگا۔ میں سمجهتا هول كه اگر آنريبل ممبرس كو اس سلسله مين احكامات كا علم هوتا تو ان اعتراضات کی نوبت نه آتی ۔ ایک آسامی قرضر کی وصولی کے سلسلہ میں کسان کو نمببور کرسکتا ہے کیونکہ وہ انڈیجول ( Individual ) کا مفاد ہوتا ہے ـ بهال يه بات بهين هے \_ سوسائٹي قرضه ديتي هے اور سوسائٹيٹي هي قرضه وصول کرتي هے \_ یہ کاشتکاروں کی سوسائٹی ہے ۔ کاشتکاروں کے سرمایہ کی سوسائیٹی ہے ۔ اسلٹر میں كم ونكاكه يه اعتراضات صحيح نهيل هيل اسلئر ميل خواهش كرتا هول كه فرسك ) منظور کی جائے۔ ریدنگ ( First reading

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time."

The motion was adopted.

Shri Bhagwant Rao Gadhe: I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

The motion was adopted.

Shri Devisingh Chowhan: I beg to move:

- (a) "That in the marginal note to Section 66-C, omit 'and revision'."
  - (b) "For lines 42 and 43, substitute 'be final'."
  - (c) "Omit lines 44 and 56".

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Govindrao More (Kandhar-General): I beg to move: "That after line 35, add:

'(2) Notwithstanding anything contained in section 60 or 66-A of the Act, the Registrar may, of his own motion, or on the application of any party to the execution proceedings pending with the Civil Court of the Revenue Authorities as the case may be, transfer the execution application at any stage and start execution either by himself or by any officer subordinate to him empowered in that behalf'."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Bhagwant Rao Gadhe: I accept both the amendments.

Clause 2.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 2 as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:

"That Short title, Commencement, and Preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Short title, Commencement, and Preamble were added to the Bill.

Shri Bhagwant Rao Gadhe: I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

The motion was adopted.

# Statement regarding the accident to the G.T. Express on 27th September, 1954

Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir, I request the hon, the Chief Minister to make a statment.....

The Chief Minister (Shri B. Ramakrishna Rao): Sir, I am on my legs.

میں بہت بڑے حادثے کے بارہے میں کچھ اطلاعات ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

Mr. Speaker: The Chief Minister has information, I think, covering upto 2 p.m. today.

\*Shri B. Ramakrishna Rao: Yes, till 2 or 2-30 p.m.

دو ڈھائی بجے تک جو واقعات گزرے انکی کچھ تفصیلات ھاؤس کے سامنے آنریبل ھوم منسٹر نے بیان کئے ھیں۔ اوسکے بعد کے واقعات میں ھاؤس کے سامنے رکھنا چاھتا ھوں مقام واردات سے میں ابھی آدھ گھنٹہ پہلے آیا ھوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپٹو دی لاسٹ منیٹ ( Up-to-the last minute ) نہیں تو کم سے کم اوس وقت تک کے واقعات کا خلاصه بیان کروں جب میں وھاں سے نکلا۔

نوگ پیچھے کے ڈبہ میں تھے وہ سچ گئے اور ایک تھروکیاریج ( Through carriage ) جو دلی کے لئے تھا اور جو سامنے لگا ہوا تھا اوس میں کے کچھ لوگ بھی بیچ گئے ۔ دو کیاریج کے لوگ بچ گئے باق سب کیاریجس ندی میں بهد گئے ۔ اون میں سے آکٹر لوگوں کی سوت واقع ہوگئی ۔ جو لوگ بچ گئے اور جولوگ زخمی ہوگئے اون کی تعداد حاصل کیگئی قریب قریب هم یا . ه آدمی زخمی هوئے تھے اون کو وهاں پر فوری مدد دی گئی۔ مقاسی ڈاکٹر واقعہ کے آدھگھنٹرے کے بعد ھی پہنچ گئے ۔ چونکہ رات کا وقت تھا وھاں کوئی لائٹ نہیں تھی ۔ چوطرف تاریکی تھی ۔ لیکن پھر بھی جو مدد دی جا سکتی تھی ، دى گئى \_ حيدرآباد ميں جب اس حادثه كى اطلاع ملى تو آر \_ ئى \_ دى يوليس \_ اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کےجن عہدہ داروں کی ضرورت تھی وہ یہاں سے چلے گئے ۔ اور وہاں پر انہوں نے کام شروع کیا ۔ سب سے پہلا کام یہ تھاکہ نعشوں کی تلاشی کی جائے اور جو نوگ ابھی زندہ موجود تھے اون کے زخموں کا علاج کیا جائے ۔ جہاں تک میری معلومات ھیں ساڑھےتین بجے تک (س) نعشیں برآمد ہوئی تھیں ۔ اور نعشوں کی برآمدگی کا سلسله جاری ہے۔ سرچ پاڑیز لگائی گئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ و، ندی بالکل چھوٹی ہے۔ ) تها چنانچه مگر کل رات اوس میں اسٹارمی واٹر ( Stormy water نعشیں دس میل تک بهدگئیں \_ بعض جگه سات سات میل تک مواضعات میں نعشیں ملی ھیں نہ اون کے لانے کے لئے ٹرکس بھیجے گئے۔ اور سرچ پارٹیز بھی بھیجی گئیں۔ تاکہ ندی کے کورس پر دس دس اور بارہ بارہ میل تک عشوں کا پته نگایا جائے ۔ کل رات جو لوگ مفرکر رہےتھر اون کے عزیز و اقارب کو جب اطلاع ملی تو وہ موٹروں لاریوں اور پسوں میں مقام حادثه پر پہنچے ۔ بعض عزیز و انارب کو نعشیں ملیں ۔ اور بعض لوگ ونده بھی ملے ۔ ساڑھے تین بجے تک (۲۷) نعشیں برآمد هوئی تھیں ۔ اور خطرہ یہ ہے که اور بہت سی نعشیں برآمد طلب هیں ۔ اون کی تلاشی کا سلسانه جاری ہے۔ چند زخمیوں کا علاج جنگاؤں هسپتال میں کیا گیا ہے ۔ اور چند زخمیوں کو بشمول آرسی رکے او گوں کے حيدرآباد بهيجديا كيا هے تاكه عثانيه هسپتال مين زخمي شده لوگوں كا علاج كيا جاسكے . جو نعشین برآمد ہوئیں اور جن کو اون کے عزیز و اقارب نے آئڈ نٹیفائی ( Identify کرلیا ہے وہ ان کے حوالے کی گئیں اور وہ اون کو لیکر گئے ۔ لیکن جن لوگوں کے عزیز و افارب . نہیں بہنچے یا جن کو لوگ ابھی تک آئڈنٹیفائی نہیں کرسکے اون کو عثانیہ ہمیتال میں بھیجدیا گیا ہے۔ جیسے جیسے نعشین برآمد ہو رہی ہیں ویسے ویسے اون کو عثانیہ هسپتال بھیجا جا رہا ہے تاکہ اون کے عزیز و اقارب اون کو شناخت کرکے لے جا سکیں۔ بجهراس حادثه کا بڑا هي سخت افسوس هے ـ ميں خود وهاں پر بعض لوگوں كے ساتھ يہنجا ـ ریوینیو. منسٹر شری رنگا ریڈی ۔ ڈاکٹر چنا ریڈی ۔ شریمتی سنگم لکشمی بائی اور اس هلؤں کے کئی آنریبل ممبرس بھی تشریف لائے تھے ۔ ان سب لوگوں نے اوس حادثه کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کہ سکتا ھوں کہ اتنا دردناک واقعہ کم از کم اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ۔ میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں کہد اسکتا ہے یہ ایسی

سصیبت آنی ہے جس کی روکنا ہارہے اختیار سیں نہ تھا۔ساری کوششیں جو سہلو کین کے عزیز و اقارب کو میدد دینے کے لئے کرنا چاہئے تھی کی جارھی ھیں ۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے ۔ صبح آلیر کے پاس جو ریلوے پل تھا اوس کا اسپیان توٹ گیا ۔ اور اس پر جو ریلوے پٹری تھی وہ علمدہ ہو کر معلق ہوگئی ہے ۔ اور پل کا جو کھم تھا وہ بھی گرگیا ہے ۔ اور دُرین كا آنا جانا بالكل بندهو گيا هے۔ جہاں جہاں بل درست ميں هيں وهاں ريلوے كا آنا جانا رک جائیگا یا یه که جب ریلوے کمیونیکیشنس ( Communications ) جاری هوں تو ارانت منٹ ( Transhipment ) میں عوسکیگا ۔ سیں نے سنا ھے کہ سنٹرل ریلومے کے جنرل سینجر شری سلڈانہ پلین( Plane ) کے ذریعہ پہنچ گئے ہیں اور کرین وغیرہ طلب کرکے جوکیاریجیس دہنسے ہوئے ہیں اور جن میں نعشیں ہیں اون کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی۔جی۔پی اور کاکٹر بھی سوفع پر سوجود ھیں۔ اور کوششیں کر رہے ھیں کہ کرین آنے کے پہنے انسانی مدد سے ان کو نکالا جائے لیکن مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ریت کے اندر کیاریجس کا کیچھ حصہ دهنس گیا ہے۔ آلیر میں جس طرح پل گرگیا ہے ویسا حادثه ایک اور بھی ہوا ہے۔ جس کا تعلق اس سے میں لیکن اوس ۔ دنہ سے بھی میں بت متاثر ہوا۔ بھونگیر اسکول کے تقریباً (۳۲) طلبا اور ٹیچرس اس واقعہ کو سنکر اون کی مدد کرنے کے لئے ڈرک کے ذریعہ بھونگیر سے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ آلیر کے قریب پہنچے تھے کہ اون کی ٹرک انٹ گئی۔ (۲۳) آدسی زخمی هویئ اون میں سے تقریباً (۹) آدمیوں کو فریکچر ( Fracture ) آگیا ہے ۔ جن سیں طلبا اور ٹیچرس دونوں بھی شامل ھیں ۔ وہ سب بھونگیر کے دواخانہ میں ، هبى ـ واپسى سين مين اون كو بهى ديكهنا هوا جلا آيا ـ غرض يه كه كيچه برت واتعات میرے نصبب میں دیکھنا تھے میں نے دیکھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اوگوں کو بھی واقعات کی اطلاع دوں ۔ حکومت کی طرف سے اون مسانروں کے عزیز و اتارب کی اطلاع کے لاے ایک پریس کمیو کے بھی جاری کیا گیا ہے ۔ اور ریڈیو پر بھی اعلان کیا ہ جارہا ہے۔ اس کا بھی اہتام کیا گیا ہےکہ جن لوگوں کو مالی مدد کی ضرورت ہے اون کو مالی امداد حکومت کی طرف سے دی جائے ۔ ہارے رومیبیلیٹیشن سکوٹری شری ذکیندر بهادر کو مجازگردانا گاہے کہ سسا نروں کے جو ڈسٹی ٹیوٹ عزیز و اقارب ہیں وہ اگر آئیں تو اون کی مدد کی جائے ۔ چنانچہ اس کا ریڈیو سے اعلان ہونے والاہے ۔ چنانچہ یہ واتعات ھیں جن کو میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ وہاں آئی ۔ جی۔ پی موجود ہیں۔ میں نے اون <u>سے</u> كمها هي كه جو سزيد هدايات وه حاصل كرنا جاهتي هين ذائر كثلي كنثيكث! Directly ا) کرکے مجھ سے یا ہوم منسٹر سے ھدایات حاصل کریں ۔ جس ریلیف کی بھی ضرورت ہے اوس کے متعلق حکومت کی طرف سے جلد از حلد کام کیا جا رہا ہے۔ ٹرکسکا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ سائری کی بھی مددگئی ہے۔ ویڈ کراس کی امبولنس کارین بھیجی گئیں میں ۔ اور طبابت کی جانب سے بھی لوگ گئے میں۔ اور خود حیدرآباد: اور سکندرآباد اور کمنکاؤں وغیرہ سے لوگ کثرت سے آرھے ھیں۔ اور وھاں کے سٹیزنس بھی

ملد دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جن کو میں انہاجے افسوس کے ساتھ ہاؤس کے ساتھ یا انسوس کے ساتھ کا اظہار کریگا۔ اور میرے جذبات میں شامل رہیگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جمھے یُتین ہے کہ اون سملو کین کے بساندگان کو تعزیت ادا کرنے میں بھی ہاؤس میرے ساقھ شریک ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگیا ہے جو بالکل ہارے بس کے باہر تھا۔ سوائے اس کے کہ ہم ون سماو کین کے بساندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور اون کی ضرورتوں کو پوراکریں اور کوئی دوسرا چارہ ہارے پاس نہیں۔

श्री वही. दी देशपांडे: — जो वाकयात हमारे स्टेट के अंदर हुओ हैं अनकी वजाहत चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी की है। जो वाकया गुजरा है वह दर्दनाक है, अफसोसनाक है। चहुत दुःख की बात है कि अितने लोग अिस मौके पर अपनी जान खो गये और जखमी हुवे। अनके बारे मे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ख्यालात जाहिर किये अनके साथ में अपनी पार्टी की तरफ से सहमत हूं। ओर अन लोगों के दुःख में शामिल हूं। साथ साथ में अम्मीद करता हूं कि जो लोग बचे हैं अनको हर तरीके से अमदाद मिले और आयदा असे वाकयात पेश न आयें। जितना ही जिस सिलसिले में कहते हुओ भुनके बारे में जो ख्यालात चीफ मिनस्टर साहब की तरफ से जाहिर किये गये और जो कन्डो-लन्सेस ( Condolences ) ऑफर ( Offer ) किये गये हैं अनका में भी जिजहार करना चाहता हूं।

\* شری کے ۔ اننت ریڈی (بالکیڈ) ، ۔۔جو درد ناک اور افسوسناک واقعہ بیان کیا گیا ہے اوس کے تعنق سے لبڈر آف دی ہاؤس نے جو اظہار رنج و غم کیا ہے اوس میں ہم بھی اون کے ساتھ شریک ہیں ۔ یہ جو واقعّہ تھا قدرنی تھا ظاہر ہے کہ حس پر کسی کو قابو نہیں تھا ۔ اس وافعہ کی وجہ سے جن لوگوں کو جانی و مالی نقصان ہوا اون کے پساندگان کو جو صدمہ ہوا اوس صدمہ میں اس ہاؤس کے آئریبل ممبرس بھی شریک ہیں ۔

مسٹر اسپیکر : ابھی جو خیالات ظاهر کئے گئے هیں اس میں میں بھی آپ لوگوں کا شریک هوں ۔ دوپہر کو هم نے جو وافعات سنے وہ خود کافی دردناک تھے ۔ اب اس میں یه اور بھی اضافه هو گیا ہے که جس لاری میں بچے مدد کے لئے جا جھے تھے وہ بھی الٹ گئی ۔ اور اون کو بھی حادثه پیش آیا ۔ اوس کے علاوہ ایک اور پل بھی ٹوٹ گیا ہے۔ غرض کافی نقصانات هوئے هیں ۔ هاؤس میں اس ساسله میں جو خبالات ظاهر کئر گئے هیں اون میں میں بھی شریک هوں ۔

\*Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir, before the House is prorogued, I wish to point out one thing.

सेशन खास तौर से लेजिस्लेशन ( Legislation ) के लिये बुलाया गया था, और जिसमें दो तीन अहम बिल्स हमारे सामने आये हैं। हैदराबाद के अंदर जो मुख्तलिफ जिन्स्टी-ट्यूशन्स ( Institutions ) है जुनको डेमोकटाजिज ( Democratise ) करने के लिये को तीन बिल यहां पेश किये गये थे। डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड बिल सिलेक्ट कमेदी से

हमारे सामने आया और हम अम्मीद कर रहे थे कि असी सेशन्ते अदैर असको पास कर दिया जायगा। असी तरह से म्युनिसीपल और टाअून कमेटीज अनट को अंक अन्सेरियत से तशकील देते हुने हाअस के सामने पेश किया गया। कार्पोरेशन के सिलसिले में भी अक बिले हाअस के सामने आया है और असमें सिकंदराबाद और हैदराबाद को अक करना था या नहीं असके बनरे में हक्मत की पार्टी के अंदर दो रायें हो गओ हैं और शायद अिसीलिये वह बिल हमारे सामने नहीं आ सका। वज्हात कुछ भी हो लेकिन मुझे आपके तवस्सूत से हुकृमत के सामने यही रखना है कि हैदराबाद की मुस्तिलिफ अिन्स्टीटचूरान्स को डेमोकटाजिज करने का जो मसला है वह पोस्टपोन (Postpone) हो गया है और गये दो ढाओ साल में जिन जिन्सटीटघूशन्स के जिलेक्शन के सिलसिले में जो दिक्कत आ रही है अनको असी सेशन में दूर नहीं किया जा सका। मैंने लोकल सेल्फ गवर्ने हेंट के मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि कम से कम अिस वक्त अिन बिलों की फर्स्ट रीडिंग कि जाय और सिलेक्ट कमेटी के पास मेजा जाय लेकिन वह कोशिश नाकारा हुआ। में हक मत से कहना चाहता हूं कि यह जो डेमोकटायजेशन ( Democratisation ) ) है वह हैदराबाद में देरी से आया है और अधिक Process का प्रोसेस ( देरी में असको डालना मुनासिब नहीं है। जिसलिये मुझे यह कहना है कि अगर जरूरी हो तो श्रेक स्पेशल सेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिल्स के लिये नवंबर या विसेंबर में तीन हफ्ते के लिये बलाया जा सकता है। असा करना मुनासिब होगा, चूंकि आज असेंब्ली खतम होने का अमकान है जिसलिये जिस तरफ के लोगों का जो आम स्थाल है वह मैं हाअस के सामने रखना चाहता था।

अंक चीज में और कहना चाहता हूं, जिसे मेंने अिसके पहले भी अर्ज किया था कि सेशन की जो तारीख होती है असकी अित्तला हमें काफी पहले मिलनी चाहिये, ताकि हमें सवाल आदि भेजने में सुविधा हो। हाअस ऑफ दी पिपल में यह प्रॅक्टिस ( Practice ) है कि अनकी सेशन की डेट तीन या चार महिने पहले से तय कर दी जाती है। असी तरह हमारे यहां भी अगर काफी पहले से यह डेट मुकरंर की जाय तो मुनासिब होगा। अब जब सेशन होगा तब असके डेट्स ( Dates ) काफी पहले अनाअन्स ( Announce ) होने चाहिये, यही मेरा सजेशन ( Suggestion ) है।

### Prorogation of the Assembly

Mr. Speaker: The last announcement I have to make is about the prorogation of the Assembly A Message has been received from the Rajprmukh which reads:

"In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 with Article 288 of the Constitution, I, Mir Osman Ali Khan, Rajpramukh of Hyderabad do hereby prorogue the House of the Legislature of the Hyderabad State with effect from 29th Sepetmber, 1954"

.....

The Assembly is prorogued accordingly.